

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 मई 2025—ज्येष्ठ 9, शक 1947

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरे पुत्र का नाम रुद्वेद उपाध्याय (Rudved Upadhyay) था, जो कि अब परिवर्तित करके राजवीर उपाध्याय (Rajveer Upadhyay) कर लिया गया है तथा उसे वर्तमान में इसी नाम से जाना जाता है तथा उसे इसी नाम से ही जाना व पहचाना जावेगा।

पुराना नाम
(रुद्वेद उपाध्याय)

(G-2344)

नया नाम
(राजवीर उपाध्याय)
(Rajveer Upadhyay)
पिता—मयूर उपाध्याय
पता—एच-13, ग्रीन पार्क कालोनी,
ऋषी नगर, उज्जैन (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, हर्षिता धानक पुत्री श्री हाकम सिंह धानक, निवासी—ग्राम पलदूना, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश घरेलु नाम रानू (RANU) दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरे जन्म प्रमाण—पत्र, वोटर कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में हर्षिता धानक (HARSHITA DHANAK) दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में हर्षिता धानक (HARSHITA DHANAK) पुत्री श्री हाकम सिंह धानक के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(रानू)
(RANU)

(G-2345)

नया नाम
(हर्षिता धानक)
(HARSHITA DHANAK)
पुत्री—श्री हाकम सिंह धानक.

नाम परिवर्तन

मैं, प्रांजल अग्रवाल पुत्र श्री बी.एल. अग्रवाल, पता—मकान नंबर—106, वार्ड नंबर 6, बाजार वार्ड, पाटन, जिला जबलपुर (म.प्र.). अपने पुत्र पार्थ अग्रवाल जिसका जन्म प्रमाण—पत्र में नाम पार्थ अग्रवाल पुत्र श्री प्रांजल अग्रवाल दर्ज है, भूलवश अन्य दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम प्रत्युष अग्रवाल दर्ज है, जिसे मैं, परिवर्तित कराकर पार्थ अग्रवाल पुत्र श्री प्रांजल अग्रवाल दर्ज कराना चाहता हूँ भविष्य में मेरे पुत्र को पार्थ अग्रवाल पुत्र श्री प्रांजल अग्रवाल के नाम से जाना—पहचाना जावे तथा समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में पार्थ अग्रवाल पुत्र श्री प्रांजल अग्रवाल नाम दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(प्रत्युष अग्रवाल)

(पार्थ अग्रवाल)

(G-2346)

नाम परिवर्तन

मैं, हीनल ठाकुर पुत्री सतीश कुमार ठाकुर, निवासी—म नं. एल.आई.जी.—45, हर्षवर्धन नगर, सी.टी.टी. नगर, भोपाल, (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश हीना ठाकुर (HEENA THAKUR) लिखा गया है, जो कि गलत है जबकि मेरे जन्म प्रमाण—पत्र एवं समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में हीनल ठाकुर (HEENAL THAKUR) पुत्री सतीश कुमार ठाकुर, दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अद्वशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मुझे हीनल ठाकुर (HEENAL THAKUR) पुत्री सतीश कुमार ठाकुर, के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(हीना ठाकुर)

(हीनल ठाकुर)

(HEENA THAKUR)

(HEENAL THAKUR)

(G-2347)

पुत्री—सतीश कुमार ठाकुर।

नाम परिवर्तन

मैं, तेजस दिनकर (TEJAS DINKAR S/o. RAJESH DINKAR), निवासी—वार्ड नं. 10, नयापुरा, सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम तेजस्व दिनकर अंकित हो गया था, जबकि मेरा वास्तविक नाम तेजस दिनकर है, जो कि मैं, अब भविष्य में अपने वास्तविक नाम तेजस दिनकर (TEJAS DINKAR S/O RAJESH DINKAR) के नाम से जाना जाऊगा, अब मेरा नाम भविष्य में सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में तेजस दिनकर (TEJAS DINKAR S/o. RAJESH DINKAR) लिखा एवं सम्बोधित किया जावेगा।

पुराना नाम

नया नाम

(तेजस्व दिनकर)

(तेजस दिनकर)

(TEJASVA DINKAR)

(TEJAS DINKAR)

(G-2348)

पुत्र—श्री राजेश दिनकर

S/o. RAJESH DINKAR

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सोनम सुले पत्नी रव. श्री संदीप सिंह बघेल, निवासी—म.नं.—466, सी—सेक्टर, सर्वधर्म कालोनी, कोलार रोड भोपाल (म.प्र.). यह कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम शौर्य सिंह बघेल था। मेरे पति का स्वर्गवास हो चुका है। अब मैं, अपने पुत्र का नाम शौर्य सुले (Shaurya Suley) उसके समस्त दस्तावेजों में कराना चाहती हूँ। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके परिवर्तित नाम शौर्य सुले (Shaurya Suley) पुत्र रव. संदीप सिंह बघेल, (Sandeep Singh Baghel) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

प्रार्थनी

(सोनम सुले)।

(G-2349)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रेम सैनी पुत्र श्री मगन माली, निवासी—ग्राम बरईपुरा, तहसील निवाड़ी, जिला निवाड़ी (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम धीरु माली दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसका सही एवं सत्य नाम धीरेन्द्र सैनी पुत्र प्रेम सैनी है जो कि उसके जन्म प्रमाण—पत्र में भी दर्ज है, जो कि सत्य एवं सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम धीरेन्द्र सैनी (Dheerendra Sainee) पुत्र प्रेम सैनी (Prem Sainee) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(प्रेम सैनी)

(G-2350)

नाम परिवर्तन

मैं, रविन्द्र जैन पिता श्री शीलचंद जैन, निवासी—मस्तिष्क वार्ड, बीना, हाल निवासी—समाधान हॉस्पिटल के पास, पुष्पविहार कॉलोनी, वीरसावरकर वार्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम परी जैन अंकित है, जो कि उसका घरेलू नाम है, जबकि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण—पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम संस्कृति जैन दर्ज है, जो कि सही एवं सत्य है। परी जैन एवं संस्कृति जैन उक्त दोनों नाम मेरी पुत्री के ही नाम हैं। अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को परी जैन के स्थान पर संस्कृति जैन के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(परी जैन)

नया नाम

(संस्कृति जैन)

प्रार्थी

पिता—रविन्द्र जैन

(G-2351)

नाम परिवर्तन

मैं, रविन्द्र जैन पिता श्री शीलचंद जैन, निवासी—मस्तिष्क वार्ड, बीना, हाल निवासी—समाधान हॉस्पिटल के पास, पुष्पविहार कॉलोनी, वीरसावरकर वार्ड बीना, जिला—सागर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम प्रणिता जैन अंकित है, जो कि उसका घरेलू नाम है, जबकि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण—पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम प्रशस्ति जैन दर्ज है, जो कि सही एवं सत्य है। प्रणिता जैन एवं प्रशस्ति जैन उक्त दोनों नाम मेरी पुत्री के ही हैं। अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को प्रणिता जैन के स्थान पर प्रशस्ति जैन के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(प्रणिता जैन)

(G-2352)

नया नाम

(प्रशस्ति जैन)

आवेदक

पुत्री—रविन्द्र जैन

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शिव कुमार प्रधान पुत्र स्व. प्यारेलाल प्रधान, निवासी—एम.ए. 44, धनवंतरी नगर, जबलपुर जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के समस्त शैक्षणिक प्रमाण—पत्रों, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में उसका नाम सौम्य प्रधान है, जिसे बदलकर अब यश प्रधान कर दिया है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को सभी शासकीय/अशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में उसके सही नाम यश प्रधान (Yash Pradhan) पुत्र शिव कुमार प्रधान (Shiv Kumar Pradhan) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(सौम्य प्रधान)

(G-2353)

नया नाम

(यश प्रधान)

(Yash Pradhan)

पुत्र—शिव कुमार प्रधान

(Shiv Kumar Pradhan)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का पूर्व का नाम अलीशा मणि (ALISHA MANI) था। मेरी पुत्री का नया नाम अवनी मणि (AVNI MANI) पिता श्री विवेक अहिरवार हो गया है। मेरी पुत्री भविष्य में अवनी मणि (AVNI MANI) के नाम से जानी और पहचानी जाएगी।

प्रार्थी

(विवेक अहिरवार)

निवासी—म.नं.—जे—8/94,

पुलिस लाइन, नेहरू नगर, भोपाल (म.प्र.)

(G-2354)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लक्ष्मण सिंह आत्मज—श्री अमर सिंह, निवासी ग्राम—निशाना, शाजापुर (म.प्र.). मेरी पुत्री का वास्तविक नाम सपना राजपूत (SAPNA RAJPUT) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम पूजा कुंवर (POOJA KUNVAR) हो गया था, अब मेरी पुत्री अपने वास्तविक व नये नाम सपना राजपूत (SAPNA RAJPUT) के नाम से जानी व पहचानी जायेगी एवं भविष्य में सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का यही नाम रहेगा।

पुराना नाम

नया नाम

(पूजा कुंवर)

(सपना राजपूत)

(POOJA KUNVAR)

(SAPNA RAJPUT).

(G-2355)

नाम परिवर्तन

मैं, शिशिर कुमार तिवारी आत्मज—श्री रमाकांत तिवारी, निवासी—वार्ड क्र. 03, जगदीशपुरा, होशंगाबाद नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरे पुत्र का वास्तविक नाम मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम अर्थवर्त हो गया है। अब मेरा पुत्र अपने वास्तविक व नये नाम मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) के नाम से जाना जायेगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का यही नाम रहेगा।

पुराना नाम

नया नाम

(अर्थवर्त)

(मृदुल तिवारी)

(G-2356)

(Mridul Tiwari)

पिता—शिशिर कुमार तिवारी

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का पूर्व नाम धर्मिता टेलर (DHARMITA TAILOR) को परिवर्तित कर नया नाम स्पर्श टेलर (SPARSH TAILOR) हो गया है। मेरी पुत्री के आधार कार्ड में पूर्व नाम धर्मिता टेलर के स्थान पर नया नाम स्पर्श टेलर (SPARSH TAILOR) किया जावे एवं मेरे समस्त दस्तावेजों में जहां पुराना नाम दर्ज था उसके स्थान पर नया नाम स्पर्श टेलर (SPARSH TAILOR) पढ़ा और लिखा जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(धर्मिता टेलर)

(स्पर्श टेलर)

(DHARMITA TAILOR)

(SPARSH TAILOR)

(G-2357)

पिता—विजय टेलर

नाम परिवर्तन

मैं, विमल गुप्ता पुत्र श्री रामबाबू गुप्ता, निवासी—वार्ड न. 6, इटायली गेट, सदर बाजार, गोहद, जिला भिन्ड (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम वैद (Vaid) पुत्र विमल गुप्ता अंकित हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र का सही नाम वेद गुप्ता (Ved Gupta) पुत्र विमल गुप्ता (Vimal Gupta) है जो कि सत्य एवं सही है, जो कि उसके जन्म प्रमाण—पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम वेद गुप्ता (Ved Gupta) पुत्र विमल गुप्ता (Vimal Gupta) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(विमल गुप्ता).

(G-2358)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का पूर्व का नाम निशादराज (NISHADRAJ) को परिवर्तित कर नया नाम (NISHENDRA) हो गया है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में पूर्व नाम निशादराज के स्थान पर नया नाम निशेंद्र (NISHENDRA) किया जावे. अतः अब मेरे समस्त दस्तावेजों में जहां पुराना नाम दर्ज था, उसके स्थान पर नया नाम निशेंद्र (NISHENDRA) पढ़ा और लिखा जावे.

पुराना नाम

(निशादराज)

(NISHADRAJ)

(G-2359)

नया नाम

(निशेंद्र)

(NISHENDRA).

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का पूर्व नाम लतिश मेवाड़ा (LATISH MEWADA) को परिवर्तित कर नया नाम लक्ष्य (LAKSHYA) हो गया है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में पूर्व नाम लतिश मेवाड़ा (LATISH MEWADA) के स्थान पर नया नाम लक्ष्य (LAKSHYA) किया जावे. अतः अब मेरे समस्त दस्तावेजों में जहां पुराना नाम दर्ज था. उसके स्थान पर नया नाम लक्ष्य (LAKSHYA) पढ़ा और लिखा जावे.

पुराना नाम

(लतिश मेवाड़ा)

(LATISH MEWADA)

(G-2360)

नया नाम

(लक्ष्य)

(LAKSHYA).

नाम परिवर्तन

मैं, झंडा सिंह कुशवाह पुत्र भूरे सिंह, निवासी—ग्राम आदासेमर, विदिशा, (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर त्रुटिवश शीतल कुशवाह (SHEETAL KUSHWAH) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों में सुमन कुशवाह (SUMAN KUSHWAH) पुत्री झंडा सिंह कुशवाह, नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सुमन कुशवाह (SUMAN KUSHWAH) पुत्री झंडा सिंह कुशवाह के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(झंडा सिंह कुशवाह).

(G-2361)

नाम परिवर्तन

मैं, रीना चौहान पति श्री आशुतोष चौहान, निवासी-319, अंसल टाउनशिप, तलावली चांदा, इंदौर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम गर्विश चौहान पुत्र आशुतोष चौहान अंकित हो गया है जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र का सही नाम स्वास्तिक सिंह चौहान (Swastik Singh Chouhan) पुत्र आशुतोष चौहान (Ashutosh Chouhan) है जो कि सत्य एवं सही है, जो कि उसके जन्म प्रमाण-पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम स्वास्तिक सिंह चौहान (Swastik Singh Chouhan) पुत्र आशुतोष चौहान (Ashutosh Chouhan) के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(रीना चौहान).

(G-2362)

नाम परिवर्तन

मैं, रीना चौहान पति श्री आशुतोष चौहान, निवासी-319, अंसल टाउनशिप, तलावली चांदा, इंदौर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम एकांशी सिंह चौहान पुत्री आशुतोष चौहान अंकित हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरी पुत्री का सही नाम ओजस्वी सिंह चौहान (Ojaswi Singh Chouhan) पुत्री आशुतोष चौहान (Ashutosh Chouhan) है जो कि सत्य एवं सही है, जो कि उसके जन्म प्रमाण-पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम ओजस्वी सिंह चौहान (Ojaswi Singh Chouhan) पुत्री आशुतोष चौहान (Ashutosh Chouhan) के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(रीना चौहान)

(G-2363)

नाम परिवर्तन

मैं, कमल किशोर शर्मा पुत्र श्री गोपी कृष्ण शर्मा, निवासी-वार्ड न. 11, नेहरू पार्क के पास, कालापीपल, शाजापुर, (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में घर का बोलता हुआ नाम कोणार्क शर्मा (KONARK SHARMA) पुत्र श्री कमल किशोर शर्मा (KAMAL KISHORE SHARMA) दर्ज हो गया है. मेरे पुत्र का सही नाम आराध्य शर्मा (AARADHYA SHARMA) पुत्र श्री कमल किशोर शर्मा (KAMAL KISHORE SHARMA) है. भविष्य में वह इसी नाम व सरनेम से जाना-पहचाना जावेगा.

प्रार्थी

(कमल किशोर शर्मा)

(G-2364)

CHANGE OF NAME

I Jayesh Upadhyay hereby declared that I have change my daughter name as Krishnavi Upadhyay So from now and in future she will be known as Krishnavi Upadhyay for all purposes.

Old Name

New Name

(KENISHA UPADHYAY)

(KRISHNAVI UPADHYAY)

(G-2365)

Address-11, Tamboli Bakhali, Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, नंदलाल श्रीवास (NANDLAL SHRIVAS) पिता का नाम स्व. श्री मैकूराम श्रीवास (MAIKURAM SHRIVAS), निवासी—गंगा माईया, वार्ड नं.-78, बिलपुरा रांझी, जबलपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड समग्र आई.डी. मैं मेरा नाम नंदलाल श्रीवास (NANDLAL SHRIVAS) पिता का नाम स्व. श्री मैकूराम श्रीवास (MAIKURAM SHRIVAS) दर्ज है एवं मेरे सर्विस बुक में मेरा नाम नंदलाल पिता का नाम मैकूराम त्रुटिवश गलत अंकित है. नंदलाल (NANDLAL) एवं नंदलाल श्रीवास (NANDLAL SHRIVAS) ये दोनों मेरे स्वयं के नाम हैं. अतः मेरे सर्विस बुक में नंदलाल श्रीवास (NANDLAL SHRIVAS) पिता का नाम स्व. श्री मैकूराम श्रीवास (MAIKURAM SHRIVAS) जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा जाए.

पुराना नाम
(नंदलाल)
(NANDLAL)
पिता—मैकूराम
(MAIKURAM)

(G-2366)

नया नाम
(नंदलाल श्रीवास)
(NANDLAL SHRIVAS)
पिता—स्व. श्री मैकूराम श्रीवास
(MAIKURAM SHRIVAS).

नाम परिवर्तन

मैं, वंदना पति आंनद कुमार इवने, मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम वंदना उईके पिता मुन्ना उईके दर्ज है. जो गलत है, मेरा सही नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेज, जाति प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई.डी., स्थायी निवास प्रमाण—पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट में वंदना पिता मुन्ना दर्ज है. अतः मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा सही नाम वंदना पति आंनद कुमार इवने दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(वंदना उईके)
पिता—मुन्ना उईके

(G-2367)

नया नाम
(वंदना)
पति—आंनद कुमार इवने.

उपनाम परिवर्तन

मैं, घनश्याम कछावा (GHANSHYAM KACHHAVA) पुत्र श्री हीरालाल कछावा, निवासी—53, श्री कृष्ण कॉलोनी, अंकपात मार्ग, उज्जैन (म.प्र.). मेरे सर्विस रिकार्ड में त्रुटिवश मेरा पूर्व नाम घनश्याम माली (GHANSHYAM MALI) पुत्र श्री हीरालाल माली दर्ज है जो कि गलत है जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में नया नाम घनश्याम कछावा (GHANSHYAM KACHHAVA) पुत्र श्री हीरालाल कछावा नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः राजपत्र प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अद्वशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में घनश्याम कछावा (GHANSHYAM KACHHAVA) पुत्र श्री हीरालाल कछावा के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(घनश्याम माली)
(GHANSHYAM MALI)
पुत्र—श्री हीरालाल माली
(G-2368)

नया नाम
(घनश्याम कछावा)
(GHANSHYAM KACHHAVA)
पुत्र—श्री हीरालाल कछावा.

नाम परिवर्तन

मैं, रीता नरवरिया (Rita Narwariya) एमआईजी 104, सांई हेवन सिटी, डबल फाटक, नर्मदापुरम्. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम (Rita Narwariya) दर्ज है और इसी नाम से मुझे जाना जाता है. जबकि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम (Rita Kapil Narvariya) दर्ज है. रीता नरवरिया (Rita Narwariya) एवं (Rita Kapil Narvariya) दोनों नाम मेरे ही हैं. अतः मैंने अपने सर्विस संबंधी रिकार्डों में अपना नाम (Rita Narwariya) संशोधित कर दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(रीता नरवरिया)

(Rita Narwariya)

पता—एमआईजी 104, सांई हेवन सिटी,
डबल फाटक, नर्मदापुरम्.

(G-2369)

नाम परिवर्तन

मैं, पूजा कुमरे (Pooja kumre) (पत्नी श्री आनंद इवनाती) पुत्री श्री बोगीराम कुमरे, निवासी—न्यू पहाड़े कॉलोनी, जवाहर नगर, गुलाबरा, छिंदवाड़ा, अब मेरा नाम परिवर्तित होकर पूजा इवनाती (Pooja Iwnati) हो गया है अब मुझे मेरे नए नाम पूजा इवनाती (Pooja Iwnati) नाम से सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों में दर्ज माना जाये.

प्रार्थिनी

(पूजा इवनाती)

पत्नी—श्री आनंद इवनाती.

(G-2370)

CHANGE OF NAME

I, No. 14468740X Ex NK MANOHAR Son of SHRI GONDU MEHRA, residing Vill-Thana Sainkhera. PO.- Thana Sainkhera. Teh- Multai, Distt-Betul, State Madhya Pradesh. PIN-460557 have change my name MANOHAR has been recorded in my service documents whereas my correct name is MANOHAR LAL BISANDRE.

Applicant

(MANOHAR LAL BISANDRE)

(G-2371)

उपनाम परिवर्तन

शादी के पूर्व तक मेरा नाम भावना पिता श्री माधोसिंह डावर था, मेरा विवाह श्री कैलाश चौहान के साथ संपन्न होने के बाद से मेरा नया नाम भावना चौहान पति श्री कैलाश चौहान हो गया है. अतः अब मुझे मेरे नये नाम भावना चौहान पति श्री कैलाश चौहान के नाम से जाना—पहचाना जाए एवं समस्त शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम भावना चौहान पति श्री कैलाश चौहान दर्ज किया जाए.

पुराना नाम

नया नाम

(भावना डावर)

(भावना चौहान)

पिता—श्री माधोसिंह डावर

पति—श्री कैलाश चौहान

(G-2372)

निवासी—चिचलगुडा, जिला अलीराजपुर.

नाम परिवर्तन

मैं, भैयन चढ़ार तनय श्री घंसू चढ़ार, निवासी—ग्राम बम्हौरी मडिया, पोस्ट जुड़ावन, तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.). पूर्व में मेरा नाम भैयन चढ़ार था जिसे बदलकर हल्काई चढ़ार कर लिया है, जो सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम से जाना जाए अथवा दर्ज किया जाए।

प्रार्थी
(हल्काई चढ़ार).

(G-2373)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती विमलाबाई पत्नी श्री रघुवीर, पता—म.नं. -151, गली नं. 3, छोला कैची, रेल्वे पुलिया क्र. 2 के पास, वर्तमान पता—म.नं.—146, गढ़मुर्गा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा वास्तविक नाम विमलाबाई पत्नी रघुवीर है, जो सही है। अब से मुझे मेरे अपने शासकीय, अशासकीय तथा अन्य समस्त दस्तावेजों में सही एवं वास्तविक नाम गुड़डी बाई के स्थान पर विमला बाई पत्नी श्री रघुवीर के नाम से लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(गुड़डी बाई)	(विमलाबाई).

(G-2374)

नाम परिवर्तन

मैं, सोनम कुशवाह, पत्नी श्री विनोद कुशवाहा, निवासी—म. न. 492, ग्राम चोपड़ा कला, विदिशा रोड, भोपल (म.प्र.). मेरा नाम त्रुटिवश गुड़डी बाई अंकित हो गया है, जबकि मेरा सही व वास्तविक एवं प्रचलित नाम सोनम कुशवाह है, जो कि मेरे पैन कार्ड तथा निवासी प्रमाण—पत्र पर अंकित है। अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत से मुझे गुड़डी बाई के स्थान पर वास्तविक एवं समाज में सम्बोधित किये जा रहे प्रचलित नाम सोनम कुशवाह अंकित कर, उक्त नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(गुड़डी बाई)	(सोनम कुशवाह).

(G-2375)

उपनाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती प्रज्ञा शर्मा पत्नी श्री ऋषि शर्मा (Pragya Sharma W/o Rishi Sharma), निवासी—मकान नंबर 132, कल्पना नगर, रायसेन रोड, पिपलानी, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में नाम प्रज्ञा जायसवाल द्वारा श्री अमित कुमार गुप्ता (Pragya Jaiswal C/o Amit Kumar Gupta) दर्ज है व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम प्रज्ञा जायसवाल (Pragya Jaiswal) है। अब भविष्य में मुझे श्रीमती प्रज्ञा शर्मा पत्नी श्री ऋषि शर्मा (Pragya Sharma W/o Rishi Sharma) के नाम से जाना—पहचाना जाये।

पुराना नाम	नया नाम
(प्रज्ञा जायसवाल)	(प्रज्ञा शर्मा)
(Pragya Jaiswal)	(Pragya Sharma)
	पत्नी—श्री ऋषि शर्मा
	(W/o Rishi Sharma).

(G-2376)

नाम परिवर्तन

मैं, मझलीबहु अहिरवार पति दुपपा अहिरवार, निवासी—ग्राम गरेह गैसाबाद, तहसील हटा, जिला दमोह (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम दुपपा दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरा सही एवं सत्य नाम मझलीबहु अहिरवार (Majhalibahu Ahirwar) पत्नी श्री दुपपा (Duppa) है. जो कि सत्य एवं सही है, जो कि मेरे अन्य दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(दुपपा)

(G-2377)

नया नाम
(मझलीबहु अहिरवार)
(Majhalibahu Ahirwar)
पत्नी—श्री दुपपा
(Duppa).

नाम परिवर्तन

मैं, कांती बाई राव पत्नी मोहन सिंह राव, निवासी—वार्ड नं. 13, इन्द्रावार्ड, नयाखेड़ा, तहसील व थाना सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश शांतिबाई राव नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे वोटर कार्ड में कांती बाई राव पत्नी मोहन सिंह राव अंकित है, जो कि सही है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम कांती बाई राव पत्नी मोहन सिंह राव के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(शांतिबाई राव)

(G-2378)

नया नाम
(कांती बाई राव).

नाम परिवर्तन

मैं, पुष्पलता पाल पुत्री श्री मधु पाल, निवासी—208/ए-1, शांति नगर, होशंगाबाद (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश पुष्प लता पाल (PUSHPLATA PAL) पुत्री श्री मधु पाल दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में पुष्पलता पाल (PUSHPLATA PAL) पुत्री श्री मधु पाल दर्ज है, जो कि सही है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मुझे पुष्पलता पाल (PUSHPLATA PAL) पुत्री श्री मधु पाल के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(पुष्प लता पाल)
(PUSHPLATA PAL)

(G-2379)

नया नाम
(पुष्पलता पाल)
(PUSHPLATA PAL)
पुत्री—श्री मधु पाल.

उपनाम परिवर्तन

मैं, सुखराम कुर्मी पिता सुन्दर लाल कुर्मी, निवासी—रत्नपुरा बरखेरा, सिकन्दर, जिला सागर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में मेरा नाम सुखराम पटेल (SUKHRAM PATEL) दर्ज था जो गलत है. जिसे सुधरवाकर सुखराम कुर्मी (SUKHRAM KURMI) दर्ज करवा लिया है. मैं, पूर्व में प्राइवेट नौकरी में कार्यरत था, जिसमें मेरा नाम सुखराम पटेल (SUKHRAM PATEL) दर्ज है और मेरे प्रोविडेंट फंड (पी.एफ.) में भी यही नाम दर्ज है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरान्त मेरे पी.एफ. खाते में मेरा नाम सुखराम पटेल (SUKHRAM PATEL) जो कि गलत है के स्थान पर सुधरवाकर सुखराम कुर्मी (SUKHRAM KURMI) जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सुखराम पटेल)
(SUKHRAM PATEL)

(G-2380)

नया नाम
(सुखराम कुर्मी)
(SUKHRAM KURMI).

नाम परिवर्तन

मैं, सरिता कुशवाह पति महेश कुशवाह, निवासी—३६९, काशी विश्वनाथ मंदिर, एयरपोर्ट रोड, इंदौर (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सरिता पटेल (SARITA PATEL) दर्ज हो गया है. जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम सरिता कुशवाह (SARITA KUSHWAHA) जो सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम सरिता कुशवाह (SARITA KUSHWAHA) के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सरिता पटेल)
(SARITA PATEL)
(G-2381)

नया नाम
(सरिता कुशवाह)
(SARITA KUSHWAHA)
पति—महेश कुशवाह

नाम परिवर्तन

मैं, असमा पत्नी नासिर खान (पूर्व नाम असमा अहमद/असमा) निवासी—म.न. एफ—३४, वर्धमान ग्रीन पार्क, अशोका गार्डन, भोपाल (म.प्र.). मैंने सभी भविष्य के प्रयोजनों के लिए अपना नाम (असमा अहमद/असमा) से बदलकर “असमा खान” रखा लिया है. इसी नाम से जानी—पहचानी जाऊंगी.

(G-2382)

प्रार्थिनी
(Asma Ahmad).

नाम परिवर्तन

मैं, लोकपाल सिंह चौहान (lokpal singh chauhan) पिता विरेन्द्र सिंह चौहान, पता—१५९, शर्मा एनकलेव, वंदना नगर, इंदौर (म.प्र.). मेरा नाम लोकपाल सिंह चौहान (lokpal singh chauhan) है तथा मेरा यही सही नाम मेरे दस्तावेज जैसे—द्वायविंग लाईसेंस में दर्ज है एवं मेरे आधार कार्ड में, इंग्लिश में (lokpal singh chauhan) के स्थान पर (lockpal singh chauhan) त्रुटिवश अंकित हो गया है. जो सही होकर इंग्लिश में (lokpal singh chauhan) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही एवं वास्तविक नाम लोकपाल सिंह चौहान (lokpal singh chauhan) के नाम से जाना व पहचाना जाये.

(G-2383)

प्रार्थी
लोकपाल सिंह चौहान
(lokpal singh chauhan)
पिता—विरेन्द्र सिंह चौहान

नाम परिवर्तन

मुझ प्रार्थी का सही नाम निशिका सिंह ठाकुर (NISHIKA SINGH THAKUR) है, यही नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेज, मतदाता परिचय—पत्र व जन्म प्रमाण—पत्र में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड को अपडेट करवाते समय त्रुटिवश मेरा नाम दिव्या सिंह ठाकुर दर्ज हो गया है. अतः इस नाम परिवर्तन सूचना के बाद मेरे उक्त आधार कार्ड में मेरा सही नाम निशिका सिंह ठाकुर पढ़ा—लिखा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(दिव्या सिंह ठाकुर)
(DIVYA SINGH THAKUR)
(G-2384)

नया नाम
(निशिका सिंह ठाकुर)
(NISHIKA SINGH THAKUR)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रकाश चन्द्र चोपडा पिता सोभागमल चोपडा, निवासी-12, राजपुत बोडिंग कालोनी, रतलाम (म.प्र.). मेरे पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवासी प्रमाण-पत्र एवं ड्रायविंग लायरेंस स्कूल मार्कशीट में प्रकाश चन्द्र चोपडा तथा पहचान पत्र व शेयर सर्टिफिकेट में प्रकाश चोपडा हैं। प्रकाश चोपडा एवं प्रकाश चन्द्र चोपडा दोनों एक ही पुरुष हूँ। मेरे शासकीय एवं अद्वशासकीय रिकार्ड तथा शेयर, पहचान-पत्र या जहां कहीं पर प्रकाश चोपडा अंकित हो, वहां प्रकाश चन्द्र चोपडा पिता सोभागमल चोपडा पढ़ा जावे। भविष्य में प्रकाश चन्द्र चोपडा (PRAKASH CHANDRA CHOPRA) पिता सोभागमल चोपडा के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा, दस्तावेज उक्त नाम से दर्ज किया जाये व माना जावे।

पुराना नाम
(प्रकाश चोपडा)
(G-2385)

नया नाम
(प्रकाश चन्द्र चोपडा)
पिता—सोभागमल चोपडा।

नाम परिवर्तन

मैं, हरि सिंह पिता श्री देवी राम, निवासी—ग्राम छुगंरिया, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम हरि सिंह (HARI SINGH) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम किशन सिंह (KISHAN SINGH) हो गया है, अब मैं अपने वास्तविक व नये नाम हरी सिंह (HARI SINGH) के नाम से जाना जाऊंगा एवं सभी शासकीय/अद्वशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा।

पुराना नाम
(किशन सिंह)
(KISHAN SINGH)
(G-2386)

नया नाम
(हरि सिंह)
(HARI SINGH)

नाम परिवर्तन

मैं, जानकी बाई साहू पति रामनाथ साहू, निवासी-32 के, झूला वाला फर्श, शुकवारी बाई, सागर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश जानकारी के अभाव में, मेरा नाम प्रेम रानी (PREM RANI) दर्ज हो गया है, जो गलत है। जबकि मेरा सही नाम जानकी बाई साहू (JANKI BAI SAHU) जो सही है। मेरे पैन कार्ड एवं मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में नाम जानकी बाई साहू दर्ज है। जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम जानकी बाई साहू (JANKI BAI SAHU) के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(प्रेम रानी)
(PREM RANI)
(G-2387)

नया नाम
(जानकी बाई साहू)
(JANKI BAI SAHU)
पति—रामनाथ साहू।

नाम परिवर्तन

मैं, मूरत सिंह लोधी पिता अपरवल लोधी, निवासी—ग्राम नाउखेडा विधालय के पास, वार्ड नं. 11, नाउखेडा चन्द्रपुरा, सागर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम हनमत लोधी (HANAMAT LODHI) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है। जबकि मेरा सही नाम मूरत सिंह लोधी (MURAT SINGH LODHI) जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम मूरत सिंह लोधी (MURAT SINGH LODHI) के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(हनमत लोधी)
(HANAMAT LODHI)
(G-2388)

नया नाम
(मूरत सिंह लोधी)
(MURAT SINGH LODHI)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुनील पिता श्री करन सिंह, निवासी—ग्राम डुगंरिया, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम सुनील (SUNEEL) है। आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सबाल सिंह (SABAL SINGH) हो गया है। अब मैं, अपने वास्तविक व नये नाम सुनील (SUNEEL) के नाम से जाना जाऊंगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा।

पुराना नाम
(सबाल सिंह)
(SABAL SINGH)

(G-2389)

नया नाम
(सुनील)
(SUNEEL).

नाम परिवर्तन

मैं, यासीन शाह पुत्र श्री अकील शाह, निवासी—63/1, ग्राम भीलाखेड़ी, अममदपुर तहसील, श्यामपुर, जिला सीहोर, (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश जाय सिंह (JAYA SINGH) नाम दर्ज हो गया है। जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड में यासीन शाह (YASHEEN SHAH) पुत्र श्री अकील शाह दर्ज है। जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में यासीन शाह (YASHEEN SHAH) पुत्र श्री अकील शाह के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(जाय सिंह)
(JAYA SINGH)

(G-2390)

नया नाम
(यासीन शाह)
(YASHEEN SHAH)

पुत्र—श्री अकील शाह।

नाम परिवर्तन

मैं, रमेश पंथी आत्मज श्री हरिचंद, निवासी—मकान नं. 5615, पंचवटी कालोनी, फेस-2, करोंद, राजहंस स्कूल के पीछे भोपाल (म.प्र.). पूर्व मे मुझे धरमचंद/धरमचंद पंथी/रमेश/रमेश पंथी आत्मज श्री हरिचंद के नाम से जाना—पहचाना जाता था तथा मैं, अपना नाम धरमचंद/धरमचंद पंथी/रमेश/रमेश पंथी आत्मज श्री हरिचंद लिखता था। अब वर्तमान मे मैं, रमेश पंथी आत्मज श्री हरिचंद के नाम से जाना—पहचाना जाता हूँ। मेरा परिवर्तित नाम रमेश पंथी आत्मज श्री हरिचंद पढ़ा—लिखा एवं मान्य किया जावे।

प्रार्थी
(रमेश पंथी)
आत्मज—श्री हरिचंद।

(G-2391)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व का नाम गणेश मूर्ति (GANESH MURTHY) आत्मज श्री के. रामास्वामी (K. RAMASWAMY) था। मैंने अपने पूर्व के नाम को परिवर्तित कर आर. गणेशमूर्ति (R. GANESH MURTHY) आत्मज श्री के. रामास्वामी (K. RAMA SWAMY) कर लिया है। मैं, अपने पुराने नाम गणेश मूर्ति (GANESH MURTHY) का त्याग करता हूँ। तथा वर्तमान मे मुझे सभी व्यक्ति आर. गणेशमूर्ति (R. GANESH MURTHY) के नाम से जानते हैं। मेरा नाम आर. गणेशमूर्ति (R. GANESH MURTHY) शासकीय दस्तावेजों जैसे शैक्षणिक दस्तावेज, प्रमाण—पत्र, जन्म प्रमाण—पत्र, समग्र आई डी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आदि मे लिखा व पढ़ा जावे एवं मुझे नये नाम/कुल नाम आर. गणेशमूर्ति (R. GANESH MURTHY) से ही सम्बोधित करें।

पुराना नाम
(गणेश मूर्ति)
(GANESH MURTHY)

(G-2392)

नया नाम
(आर. गणेशमूर्ति)
(R. GANESH MURTHY)

आत्मज—के. रामास्वामी

(K. RAMASWAMY).

नाम परिवर्तन

मैं, नंदराम बसोर पिता किशन लाल बसोर, निवासी—दुर्गानगर, रजाखेड़ी, मकरोनिया, तहसील व जिला सागर (म.प्र.). मेरे दो नाम प्रचलित हैं, मेरा चालू नाम मुन्ना लाल (MUNNA LAL) तथा वास्तविक नाम नंदराम बसोर (NANDRAM BASOR) है. मेरे पैन कार्ड, कोविड कार्ड एवं अंकसूची में मेरा नाम नंदराम बसोर (NANDRAM BASOR) आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मुन्ना लाल (MUNNA LAL) दर्ज हो गया है, जो गलत है. जबकि मेरा सही नाम नंदराम बसोर (NANDRAM BASOR) जो सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम नंदराम बसोर (NANDRAM BASOR) के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मुन्ना लाल)
(MUNNA LAL)
(G-2393)

नया नाम
(नंदराम बसोर)
(NANDRAM BASOR)
पिता—किशन लाल बसोर.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लक्ष्मण सिंह पिता मांगीलाल, निवासी—ग्राम उमरदाड, पोर्स्ट धुराडा कला, तहसील जावर, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम बब्लू (BABLU) दर्ज हो गया है, जबकि मेरे वोटर कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा सही नाम लक्ष्मण सिंह (LAKSHMAN SINGH) पिता मांगीलाल दर्ज है, जो कि सत्य एवं सही है. अतः भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय समस्त दस्तावेजों में लक्ष्मण सिंह (LAKSHMAN SINGH) पिता मांगीलाल के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे.

(G-2394)

आवेदक
(लक्ष्मण सिंह)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विजय सिंह (VIJAY SINGH) पिता मांगीलाल, निवासी—ग्राम गल्लाखेड़ी (ग्वाला) पोर्स्ट गुराड़िया वर्मा, तहसील जावर, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम बजे सिंह (BAJE SINGH) दर्ज हो गया है, जबकि मेरे वोटर कार्ड में मेरा सही नाम विजय सिंह (VIJAY SINGH) दर्ज हैं जो कि सत्य एवं सही है. अतः भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में विजय सिंह (VIJAY SINGH) पिता मांगीलाल के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे.

(G-2395)

आवेदक
(विजय सिंह).

उपनाम परिवर्तन

मैं, रोशनी गुप्ता पत्नी मनीष गुप्ता, निवासी—पुराना बाजार, अमहदपुर, सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में विवाह से पूर्व रोशनी नरवारिया (ROSHNI NARWARIYA) पुत्री शंकर लाल नरवारिया नाम दर्ज है. मेरा विवाह मनीष गुप्ता से होने के पश्चात् मेरा सरनेम नरवारिया से बदलकर गुप्ता किया जा रहा है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में रोशनी गुप्ता (ROSHNI GUPTA) पत्नी मनीष गुप्ता के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

(G-2396)

पुराना नाम
(रोशनी नरवारिया)
(ROSHNI NARWARIYA)

पुत्री—शंकर लाल नरवारिया

नया नाम
(रोशनी गुप्ता)
(ROSHNI GUPTA)

पत्नी—मनीष गुप्ता.

नाम परिवर्तन

मैं, कैलाश बाई पति मिश्रीलाल यादव, निवासी—516, नियर हनुमान मंदिर, आचार्य नरेन्द्र देव नगर, गोविंदपुरा, हुजूर, भोपाल (म.प्र.) इस जाहिर सूचना के माध्यम से अवगत करना चाहता हूँ कि मुझे अब रामवती यादव पति जीवन लाल यादव के नाम से ही जाना एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(कैलाश बाई)

पति—मिश्री लाल यादव

(G-2397)

नया नाम

(रामवती यादव)

पति—जीवनलाल यादव.

नाम परिवर्तन

मैं, यशोदा पाटनकर पत्नी श्री संतोष राव पाटनकर, निवासी—म.नं. एल.आई.जी.— 324, ए—सेक्टर, राजीव नगर, भोपाल, फेस—3, अयोध्या बायपास रोड, भोपाल (म.प्र.).

1. यशोदा पाटनकर पत्नी श्री संतोष राव पाटनकर एवं

2. योगिता राव पत्नी श्री संतोष राव दोनों ही नामों से समाज में जानी व पहचानी जाती हूँ मेरे दोनों ही नाम प्रचलित हैं। मेरे शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम योगिता राव पत्नी श्री संतोष राव दर्ज है। अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

प्रार्थिनी

(यशोदा पाटनकर)

पत्नी—श्री संतोष राव पाटनकर.

(G-2398)

नाम परिवर्तन

मैं, उमा रघुवंशी पत्नी श्री सुरेश कुमार रघुवंशी, पता—वार्ड नंबर 15, महात्मा तुलसी वार्ड, उदयपुरा, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन (म.प्र.). यह कि मेरा नाम आधार कार्ड में अंगूरी बाई पत्नी श्री सुरेश कुमार रघुवंशी दर्ज है, जबकि समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम उमा रघुवंशी पत्नी श्री सुरेश कुमार रघुवंशी दर्ज है, अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरान्त मुझे उमा रघुवंशी पत्नी श्री सुरेश कुमार रघुवंशी लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे किया जावे।

पुराना नाम

(अंगूरी बाई)

(G-2399)

नया नाम

(उमा रघुवंशी).

नाम परिवर्तन

मैं, लक्ष्मण सिंह परते पिता प्रेमलाल परते, निवासी—ग्राम उदयपुर, पोस्ट उदयपुर, थाना बीजाडांडी, तहसील नारायणगंज, जिला मण्डला (म. प्र.). मेरा आधार कार्ड बना हुआ है जिसमें मेरा नाम मुन्ना लाल परते पिता प्रेमलाल हैं जो कि गलत नाम दर्ज है। मेरा सही नाम लक्ष्मण सिंह परते पिता प्रेमलाल परते हैं जो कि सत्य एवं सही है। अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरान्त मुझे लक्ष्मण सिंह परते पिता प्रेमलाल परते, पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे।

आवेदक

(लक्ष्मण सिंह परते)

(G-2400)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरी पुत्री का नाम गुड़िया गोरखपुरिया पिता अरविंद गोरखपुरिया (GUDIYA GORAKHPURIYA) था. जो कि अब मेरी पुत्री का नाम परिवर्तित होकर जानवी गोरखपुरिया (JANVI GORAKHPURIYA) हो गया है. तथा मेरी पुत्री को इसी नाम से जाना—पहचाना जावे तथा समस्त शासकीय व अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में अंकित कराया जावे.

आवेदक
(पिंकी गोरखपुरिया)
पता—8/1, गोतमपुरा, जिला इंदौर (म.प्र.).

(G-2401)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम श्रीकांत लड़ा पिता कैलाश लड़ा (SHRIKANT LADDHA S/o KAILASH LADDHA) था. मैंने अपना नाम बदलकर कलश लड़ा (KALASH LADDHA) कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे कलश लड़ा पिता कैलाश लड़ा (KALASH LADDHA S/o KAILASH LADDHA) के नाम से जाना एवं पहचाना एवं लिखा—पढ़ा समझा जावे.

आवेदक
(कलश लड़ा)
पता—72, गुमास्ता नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-2402)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम कुन्दा थत्ते पिता वसंतराव थत्ते (KUNDA THATTE D/o VASANT RAO THATTE) था. विवाह पश्चात् मैंने अपना नाम बदलकर श्रीमती मिताली चाफेकर पति मनीष चाफेकर (MITALI CHAFEKHAR W/o MANISH CHAFEKHAR) कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना—पहचाना जायेगा एवं मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेज में यही नाम, दर्ज है.

आवेदक
(मिताली चाफेकर)
पता—405, बजाज जी, रेली मंडी,
बिजलपुर, जिला इंदौर (म.प्र.).

(G-2403)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम शिवराज सिंह चावडा पिता अजय सिंह चावडा है किन्तु त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम Shivam S/o Sona Bai हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम शिवराज सिंह चावडा पिता अजय सिंह चावडा Shivraj singh Chawda S/o Ajay singh Chawda है. अतः भविष्य में उसे इसी नाम से जाना—पहचाना जावेगा एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंकित करवाया जावेगा.

आवेदक
(अजय सिंह चावडा)
पता—ग्राम जम्बुडी सरवर
जिला इंदौर (म.प्र.).

(G-2404)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का पूर्व में नाम शिवार्थ जायसवाल ध्रुव (Shivarth Jaiswal Dhruv) था. जिसे परिवर्तन कर वर्तमान में मेरा पुत्र शिवार्थ जायसवाल (Shivarth Jaiswal), के नाम से जाना—पहचाना व पुकारा जावेगा एवं शासकीय, अशासकीय अभिलेखों में अंकित किया जावेगा.

प्रार्थी
(संदीप जायसवाल)
(Sandeep Jaiswal)

पता—19, शांति नगर, छोटा बांगड़दा रोड,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-2405)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम मनोज शर्मा पिता ओमप्रकाश जांगीड़ (Manoj Sharma S/o. Om Prakash Jangid) था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे मनोज जांगीड़ पिता ओमप्रकाश जांगीड़ (Manoj Jangid S/o. Om Prakash Jangid), के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावेगा एवं शासकीय अभिलेखों में अंकित किया जावे.

प्रार्थी
(मनोज जांगीड़)
(Manoj Jangid)

पता—198—4, सोलंकी नगर, विजय नगर,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-2406)

नाम परिवर्तन

मैं, महेश शिंदे, निवासी—EWS—65, PH—5, अयोध्या नगर, भोपाल, (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश दिशा शिंदे (DISHA SHINDE) नाम दर्ज हो गया है जो कि गलत है. जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र में अदिति शिंदे (ADITI SHINDE) नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय /अद्वशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में अदिति शिंदे (ADITI SHINDE) पुत्री महेश शिंदे के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे.

प्रार्थी
(महेश शिंदे).

(G-2407)

नाम परिवर्तन

मैं, भूरा सिंह मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम रामनारायन (RAMNARAYAN) गलत अंकित हो गया है. अतः मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में उसका वास्तविक और सही नाम रितिक कुमार अहिरवार (RITIK KUMAR AHIRWAR) है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का सही नाम रितिक कुमार अहिरवार (RITIK KUMAR AHIRWAR) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम (रामनारायन) (RAMNARAYAN)	नया नाम (रितिक कुमार अहिरवार) (RITIK KUMAR AHIRWAR)
--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

पिता—श्री भूरा सिंह पता—29, ग्राम बसिया खास, धामनोद, जिला विदेश (म.प्र.).

(G-2408)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती दरसी बाई पत्नी स्व. श्री बाबूलाल सिरमोलिया, निवासी—म.नं. 270, संजय नगर की झुगियां शहजहांनाबाद, भोपाल (म.प्र.). मेरा नाम परसी बाई पत्नी स्व. श्री बाबूलाल सिरमोलिया है, जो कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश दर्ज है. मेरा वास्तविक एवं सही नाम श्रीमती दरसी बाई पत्नी स्व. श्री बाबूलाल सिरमोलिया है जो कि सही व सत्य है. परसी बाई एवं दरसी बाई दोनों नाम मेरे ही हैं. मैं, अपना नाम परसी बाई से परिवर्तन कर दरसी बाई करना चाहती हूँ. अतः राजपत्र में प्रकाशन के उपरांत शासकीय/अशासकीय व अन्य सभी दस्तावेजों में मुझे दरसी बाई के नाम से जाना—पहचाना जाये.

पुराना नाम
(परसी बाई)
(G-2409)

नया नाम
(दरसी बाई)
पत्नी—स्व. श्री बाबूलाल सिरमोलिया.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शिव कंस्ट्रक्शन, शॉप नं. 2, यंग ब्लड प्रेस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, उखरी रोड, चैरीताल, जबलपुर (म.प्र.). पंजीयन क्रमांक 4/14/01/0250/24, दिनांक 24 दिसम्बर 2024 को पंजीकृत है. उक्त फर्म में शुरू में 1. श्री विभाष कुमार दुबे आत्मज श्री सुबोध कुमार दुबे 2. श्रीमती शिखा दुबे पति श्री विक्रम दुबे पिता श्री राघवेंद्र चतुर्वेदी 3. रश्मी दुबे पति श्री सुबोध कुमार दुबे, पिता श्री ओमप्रकाश उपाध्याय 4. विक्रम दुबे पिता श्री सुबोध कुमार दुबे भागीदार थे. फर्म में दिनांक 27 जनवरी 2025 को उक्त भागीदारों में से 1. श्री विभाष कुमार दुबे आत्मज श्री सुबोध कुमार दुबे 2. श्रीमती शिखा दुबे पति श्री विक्रम दुबे पिता श्री राघवेंद्र चतुर्वेदी 3. रश्मी दुबे पति श्री सुबोध कुमार दुबे पिता श्री ओमप्रकाश उपाध्याय स्वेच्छा से अलग हो गए हैं एवं श्री पंकज कुमार गुप्ता आत्मज श्री राम गोपाल गुप्ता आपसी शामिल हो गए हैं. वर्तमान में फर्म में कुल दो भागीदार हैं, 1. विक्रम दुबे पिता श्री सुबोध कुमार दुबे 2. श्री पंकज कुमार गुप्ता आत्मज श्री राम गोपाल गुप्ता.

(G-2410)

मेसर्स शिव कंस्ट्रक्शन
पंकज कुमार गुप्ता
(भागीदार).

नाम परिवर्तन

मैं, लच्छी बाई पत्नी स्व. कढ़ेरी प्रसाद (Lachhi Bai W/o. Kadheri Prasad), निवासी—आर.पी.एफ. थाना के पास, वार्ड नं. 35, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड, मुळवारा, एन.के.जे., कटनी (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम भूलवश लक्ष्मी बाई (Laxmi Bai) दर्ज हो गया है. जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम लच्छी बाई (Lachhi Bai) है जो मेरे स्थानीय मूल निवासी प्रमाण—पत्र एवं मेरे पति के रेल्वे की सर्विस से सेवानिवृत्त होने पर जारी पी.पी.ओ. एवं रेल्वे के द्वारा जारी मेडिकल कार्ड में दर्ज है. अतः राजपत्र में प्रकाशन के उपरांत मेरे आधार कार्ड तथा समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम लच्छी बाई (Lachhi Bai) दर्ज किया जावे.

(G-2411)

प्रार्थिनी
(लच्छी बाई)
(Lachhi Bai).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ प्रार्थी का सही नाम रविनन्दन प्रसाद (RAVINANDAN PRASAD) है. जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज आदि में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड आदि में मेरा नाम रविनन्दन प्रसाद तिवारी (RAVINANDAN PRASAD TIWARI) दर्ज है. रविनन्दन प्रसाद एवं रविनन्दन प्रसाद तिवारी मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं, अतः इस नाम परिवर्तन सूचना प्रकाशन के उपरांत समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम रविनन्दन प्रसाद तिवारी (RAVINANDAN PRASAD TIWARI) के स्थान पर रविनन्दन प्रसाद (RAVINANDAN PRASAD) दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे रविनन्दन प्रसाद के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा जावे.

(G-2412)

पुराना नाम
(रविनन्दन प्रसाद तिवारी)

नया नाम
(रविनन्दन प्रसाद)
पुत्र—स्व. श्री मंकेश्वर तिवारी
निवासी—टीटीएस टाइप 1-212, एनटीपीसी बर्ती, विन्ध्यनगर, सिंगरौली, विन्ध्यानगर (म.प्र.).

PUBLIC NOTICE**(Notice U/s. 72 of Partnership Act, 1932)**

It is hereby declared that M/s. Madhya Pradesh Tyre Co. Registered Office at 163, RNT Marg, Indore, a registered firm with Registration No. 1022/75-1976 having Partners Shri Krishangopal Garg and Shri Hemant Garg. One of the partner Shri Krishangopal Garg passed away on 5th December 2024 and Smt. Swarnlata Garg admitted as new partner w.e.f 5th December 2024 and the business of the partnership firm is continued by Shri Hemant Garg and Smt. Swarnlata Garg.

For Madhya Pradesh Tyre Co.

Hemant Garg

(Partner).

(G-2413)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that the Firm M/s." SAFAL FOODS" (Reg. No. 07/35/01/0044/17) Dated 10/07/2017 Year 2017-18 Situated at 110, Ward No. 03, Choudhary Colony, Mandsaur (M.P.) 458001 has Retired Partner Mr. Yogesh Garg S/o. Rameshchandraji Garg W.E.F. 1st April 2025 as per Indian Partnership Act, 1932 and has Incoming as a Partner Mr. Mahesh Garg S/o. Shri Satyanarayan Ji Garg W.E.F. 1st April 2025 as per Indian Partnership Act, 1932. Further inform that Registered office of the firm has at S. No. 261, 262, 263/4, Gram Daulatpura, Mhow-Neemuch Bypass, Mandsaur (M.P.)-458001 W.E.F. 01.04.2025 as per Indian Partnership Act, 1932.

**Ms. SAFAL FOODS
Ramesh Chandra Garg
(Partner).**

(G-2414)

उपनाम परिवर्तन

मुझे प्रार्थनी का सही नाम रामदुलारी वैष्णव (RAMDULARI VAISHNAVA) है, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज आदि में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड आदि में मेरा नाम रामदुलारी शर्मा (RAMDULARI SHARMA) दर्ज है। रामदुलारी वैष्णव एवं रामदुलारी शर्मा मुझे एक ही महिला के नाम हैं। अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम रामदुलारी शर्मा (RAMDULARI SHARMA) के स्थान पर रामदुलारी वैष्णव (RAMDULARI VAISHNAVA) दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे रामदुलारी वैष्णव (RAMDULARI VAISHNAVA) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा जावे।

पुराना नाम
(रामदुलारी शर्मा)

नया नाम
(रामदुलारी वैष्णव)
पत्नी—राधेश्याम शर्मा
पता—ग्राम वीरा, पोस्ट वीरा,
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

(G-2415)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सूरज सिंह पुत्र कनीराम, निवासी—मकान नंबर—3, ग्राम—भानपुर, ग्राम पंचायत भानपुर के कड़िया, पोस्ट रातीबड़, भद्रभदा रोड, भोपाल (म.प्र.). पूर्व में मुझे सूरत सिंह पुत्र कनीराम एवं सुरेश पुत्र कनीराम से जाना जाता था जो मेरे राजस्व अभिलेख में उल्लेखित है। उक्त तीनों नाम मेरे ही हैं और मैं उक्त तीनों नामों से जाना व पहचाना जाता हूँ, किन्तु अब से मेरा नाम केवल सूरज सिंह पुत्र कनीराम ही रहेगा व यही नाम मेरे आधार कार्ड, मतदाता पहचान—पत्र, पैन कार्ड, समग्र आई. में भी दर्ज है। अतः भविष्य में मुझे सूरज सिंह पुत्र कनीराम के नाम से ही जान—पहचाना, लिखा—पढ़ा जावे एवं सभी शासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(सूरत सिंह एवं सुरेश)

नया नाम
(सूरज सिंह)
पुत्र—कनीराम

(G-2416)

नाम परिवर्तन

मैं, राजकुमारी बाई पत्नी श्री सन्तोष, निवासी—20 ख, पुनर्वास बड़ौदा, ग्राम पुनर्वास बड़ौदा, सतवास, जिला देवास (म.प्र.). त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड पर मेरा नाम ममता बाई पत्नी गिरधारी (MAMTA BAI W/o. GIRADHARI) दर्ज हो गया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। जबकि मेरा सही नाम राजकुमारी बाई (RAJKUMARI BAI) है। मैं, वर्तमान में राजकुमारी बाई (RAJKUMARI BAI) के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ तथा भविष्य में भी इसी नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी।

पुराना नाम
(ममता बाई)
(MAMTA BAI)
(W/o. GIRADHARI)

नया नाम
(राजकुमारी बाई)
(RAJKUMARI BAI)

(G-2417)

नाम परिवर्तन

मैं, बल्वीरसिंह आत्मज श्री नाथूसिंह, निवासी—14, ग्राम अशोखर, तहसील गोरमी, भिंड (म.प्र.). त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड व बैंक संबंधी दस्तावेज में उसका नाम उषा (USHA) दर्ज हो गया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। जबकि मेरी पुत्री का सही नाम काजल (KAJAL) है। मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण—पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है। मेरी पुत्री वर्तमान में काजल (KAJAL) के नाम से जानी व पहचानी जाती है तथा भविष्य में भी इसी नाम से जानी व पहचानी जावेगी।

पुराना नाम
(उषा)
(USHA)

नया नाम
(काजल)
(KAJAL)

(G-2418)

उपनाम परिवर्तन

मैं, महेश प्रसाद आत्मज श्री शिव चरण कुर्मी, निवासी—म.नं. 11, चिल्हिया, उर्दुवा कला, जबलपुर। मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम महेश प्रसाद दर्ज है जबकि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम महेश प्रसाद कुर्मी दर्ज है। मैं, अपने सर्विस रिकार्ड में अपना नाम महेश प्रसाद कुर्मी संशोधित कर दर्ज कराना चाहता हूँ। अतः मुझे महेश प्रसाद कुर्मी के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(महेश प्रसाद)
(G-2419)

नया नाम
(महेश प्रसाद कुर्मी)

नाम परिवर्तन

मैं, सतीषचन्द्र आत्मज—श्री रामचन्द्र मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम सतीषचन्द्र एवं पिता का नाम श्री रामचन्द्र दर्ज है। जबकि मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में मेरा नाम सतीश चन्द्र बुटलेकर दर्ज है तथा मेरे समग्र आई.डी. कार्ड में मेरे पिता का नाम श्री रामचन्द्र बुटलेकर दर्ज है। मैं, अपने सर्विस रिकार्ड में अपना नाम सतीषचन्द्र के स्थान पर सतीश चन्द्र बुटलेकर एवं पिता का नाम रामचन्द्र के स्थान पर रामचन्द्र बुटलेकर संशोधित कर दर्ज कराना चाहता हूँ। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे सतीश चन्द्र बुटलेकर एवं पिता का नाम रामचन्द्र बुटलेकर के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(सतीषचन्द्र)

नया नाम
(सतीश चन्द्र बुटलेकर).

(G-2420)

नाम परिवर्तन

मैं, कल्लू आत्मज—श्री धनराज, निवासी—मोमनखेड़ी, महू, नटेरेन, विदिशा (म.प्र.) हैं। यह कि त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम अनमोल (ANMOL) दर्ज हो गया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। जबकि मेरे पुत्र का सही नाम कान्हा बघेल (KANHA BAGHEL) है जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण—पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है। मेरा पुत्र वर्तमान में कान्हा बघेल (KANHA BAGHEL) के नाम से जाना व पहचाना जाता है तथा भविष्य में भी इसी नाम से जाना व पहचाना जावेगा।

पुराना नाम
(अनमोल)
(ANMOL)

नया नाम
(कान्हा बघेल)
(KANHA BAGHEL).

(G-2421)

नाम परिवर्तन

मैं, रामपाल यादव (Rampal Yadav) मेरा पुत्र प्रिंस यादव (Prince Yadav) है, जिसके आधार कार्ड में उसका नाम प्रियांश यादव (Priyansh Yadav) पुत्र रामपाल यादव (Rampal Yadav) अंकित है, जो कि सही नहीं है। मेरे पुत्र के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम प्रिंस यादव (Prince Yadav) पुत्र रामपाल यादव (Rampal Yadav) है। वह इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को प्रिंस यादव (Prince Yadav) पुत्र रामपाल यादव (Rampal Yadav) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

प्रार्थी
(रामपाल यादव)
(Rampal Yadav)
पता—ग्राम माधोपुर, पी.ओ. रिजौदा,
अशोकनगर (म.प्र.).

(G-2422)

नाम परिवर्तन

मैं, सुरेश चौहान (Suresh Chouhan) पुत्र अंबाराम चौहान हूँ। मेरा पुत्र हर्ष चौहान (Harsh Chouhan), उसके आधार कार्ड में उसका नाम आहिल (Aahil) (Papi) जो कि उसकी माता जी का नाम है, अंकित है। मेरे पुत्र के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम हर्ष चौहान (Harsh Chouhan) पुत्र सुरेश चौहान (Suresh Chouhan) है। वह इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को हर्ष चौहान (Harsh Chouhan) पुत्र सुरेश चौहान (Suresh Chouhan) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

प्रार्थी
(सुरेश चौहान)
(Suresh Chouhan)
पता— 47, ग्राम सोहड़, तह. बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.).

(G-2423)

नाम परिवर्तन

मैं, रमेश यादव (Ramesh Yadav) पुत्र रामाधार यादव, मेरा पुत्र अनमोल यादव (Anmol Yadav), उसके आधार कार्ड में उसका नाम राहुल (Rahul) पुत्र रमेश (Ramesh) अंकित है, जो सही नहीं है। मेरे पुत्र के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम अनमोल यादव (Anmol Yadav) पुत्र रमेश यादव (Ramesh Yadav) है। वह इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को अनमोल यादव (Anmol Yadav) पुत्र रमेश यादव (Ramesh Yadav) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

प्रार्थी
(रमेश यादव)
(Ramesh Yadav)

(G-2424)

पता—ग्राम बालाडोंगरी पोस्ट कुरासना,
चिंचोली, जिला बैतूल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, बसंत जैन (Basant Jain) पुत्र श्री पाँचुलाल जैन (Panchulal Jain) निवासी—109/ए, कालानी नगर, एयरपोर्ट रोड, इंदौर (म.प्र.). मेरे कुछ आवश्यक दस्तावेजों में मेरा नाम बसंत वेद (Basant Vaid/Basant Ved) एवं अन्य कुछ आवश्यक दस्तावेजों में बसंत जैन (Basant Jain) अंकित है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के अर्थात् एक ही व्यक्ति के हैं, जो कि मैं, स्वयं हूँ। अब मैं, अपना नाम केवल बसंत जैन (Basant Jain) पुत्र श्री पाँचुलाल जैन (Panchulal Jain) रखना चाहता हूँ। अब मैं इसी नाम से जाना जाता हूँ। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे बसंत जैन (Basant Jain) पुत्र श्री पाँचुलाल जैन (Panchulal Jain) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

पुराना नाम
(बसंत वेद)
(Basant Vaid/Basant Ved)

(G-2425)

नया नाम
(बसंत जैन)
(Basant Jain)
पुत्र—श्री पाँचुलाल जैन
(Panchulal Jain).

नाम परिवर्तन

मैं, मंजू शर्मा (Manju Sharma) पत्नी श्री अनिल शर्मा (Anil Sharma), निवासी—म.नं. 230, सुदामा नगर, सुभाष नगर, दक्षिण क्षेत्र की झुग्गी, तह. हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड/दस्तावेजों में मेरा नाम सुमन शर्मा (Suman Sharma) केयर ऑफ श्री अनिल शर्मा (Anil Sharma) अंकित है, किंतु मेरा सही नाम मंजू शर्मा (Manju Sharma) पत्नी श्री अनिल शर्मा (Anil Sharma) है और अब मैं, अपना यही नाम रखना चाहती हूँ। अब मैं, इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मंजू शर्मा (Manju Sharma) पत्नी श्री अनिल शर्मा (Anil Sharma) के नाम से जाना पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

पुराना नाम
(सुमन शर्मा)
(Suman Sharma)

(G-2426)

नया नाम
(मंजू शर्मा)
(Manju Sharma)
पत्नी—श्री अनिल शर्मा
(Anil Sharma).

नाम परिवर्तन

मैं, चन्द्रकला बर्थे (Chandrakala Barthe) पत्नी स्व. श्री बसंत बर्थे (Basant Barthe), निवासी—म.नं. 47, कैलाश नगर, सेमरा कलां, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम चन्द्रभागा बर्थे (Chandrabhaga Barthe) पत्नी श्री बसंत कुमार बर्थे (Basant Kumar Barthe) अंकित है, किंतु मेरा सही नाम चन्द्रकला बर्थे (Chandrakala Barthe) पत्नी स्व. श्री बसंत बर्थे (Basant Barthe) है। मैं, इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे चन्द्रकला बर्थे (Chandrakala Barthe) पत्नी स्व. श्री बसंत बर्थे (Basant Barthe) के नाम से जाना—पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

पुराना नाम
(चन्द्रभागा बर्थे)
(Chandrabhaga Barthe)
पत्नी—श्री बसंत कुमार बर्थे
(Basant Kumar Barthe)
(G-2427)

नया नाम
(चन्द्रकला बर्थे)
(Chandrakala Barthe)
पत्नी—स्व. श्री बसंत बर्थे
(Basant Barthe).

नाम परिवर्तन

मैं, कुवर सिंह सोलंकी (KUWAR SINGH SOLANKI) पिता भाव सिंह सोलंकी (BAV SINGH SOLANKI), निवासी—15, कोसमी वनग्राम, ग्राम कोसमी, चौरा कमरौरा, सुल्तानपुर, रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम गुलशन सिंह (Gulshan Singh) पिता भाव सिंह दर्ज है। जहां कहीं भी मेरा नाम गुलशन सिंह (Gulshan Singh) पिता भाव सिंह दर्ज है, उसके स्थान पर कुवर सिंह सोलंकी (KUWAR SINGH SOLANKI) पिता भाव सिंह सोलंकी (BAV SINGH SOLANKI) पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम
(गुलशन सिंह)
(Gulshan Singh)
(G-2428)

नया नाम
(कुवर सिंह सोलंकी)
(KUWAR SINGH SOLANKI)
पिता—भावसिंह सोलंकी
(BAV SINGH SOLANKI).

नाम परिवर्तन

मैं, पुष्पेन्द्र कर्ण (PUSHPENDRA KARAN) पिता हरी सिंह कर्ण (HARI SINGH KARAN), निवासी—24, न्यू कालोनी, जहांगीराबाद, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम पुष्पेन्द्र सिंह कर्ण (PUSHPENDRA SINGH KARAN) पिता हरी सिंह कर्ण (HARI SINGH KARAN) दर्ज है। अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम पुष्पेन्द्र कर्ण (PUSHPENDRA KARAN) पिता हरी सिंह कर्ण (HARI SINGH KARAN) दर्ज है। जहां कहीं भी मेरा नाम पुष्पेन्द्र सिंह कर्ण (PUSHPENDRA SINGH KARAN) पिता हरी सिंह कर्ण (HARI SINGH KARAN) दर्ज है। उसके स्थान पर पुष्पेन्द्र कर्ण (PUSHPENDRA KARAN) पिता हरी सिंह कर्ण (HARI SINGH KARAN) पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम
(पुष्पेन्द्र सिंह कर्ण)
(PUSHPENDRA SINGH KARAN)
(G-2429)

नया नाम
(पुष्पेन्द्र कर्ण)
(PUSHPENDRA KARAN)
पिता—हरी सिंह कर्ण
(HARI SINGH KARAN).

नाम परिवर्तन

मैं, नन्हेवीर नामदेव (Nanheveer Namdev) पुत्र बाबूलाल नामदेव (Babulal Namdev), निवासी—सी—81, भद्रभदा रोड, प्रेमपुरा भोपाल, टी.टी. नगर, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम नन्हे वीर नामदेव (Nanhe Veer Namdev) पुत्र श्री बाबूलाल नामदेव (Babulal Namdev) अंकित है, किन्तु मेरा सही नाम नन्हेवीर नामदेव (Nanheveer Namdev) पुत्र श्री बाबूलाल नामदेव (Babulal Namdev) है। मैं, इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे नाम नन्हेवीर नामदेव (Nanheveer Namdev) पुत्र श्री बाबूलाल नामदेव (Babulal Namdev) के नाम से जाना—पहचाना, एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

पुराना नाम
(नन्हे वीर नामदेव)
(Nanhe Veer Namdev)

(G-2430)

नया नाम
(नन्हेवीर नामदेव)
(Nanheveer Namdev)
पुत्र—श्री बाबूलाल नामदेव
(Babulal Namdev).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम इमराना बी से बदलकर इमराना खानम पत्नी हारून शाह खान रख लिया है। भविष्य में मुझे इमराना खानम के नाम से जाना जाये।

(G-2431)

प्रार्थनी
(इमराना खानम)
पता—वार्ड क्र. 07, महारानी लक्ष्मी बाई,
बैगमगंज, जिला—रायसेन (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, जावेद खान पिता भूरे खान, निवासी—मकान नंबर 68, भव्य सिटी कालोनी सराकया, मण्डीदीप, जिला रायसेन (म.प्र.). अबु तुराब (ABU TURAB) मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र का आधार कार्ड में उसका घर का नाम जैद खान दर्ज है। यह कि जैद खान एवं अबु तुराब नाम का मेरा एक ही पुत्र है। जैद खान को अब अबु तुराब (ABU TURAB) के नाम से जाना एवं पहचाना जायेगा।

(G-2432)

प्रार्थी
(जावेद खान).

नाम परिवर्तन

मैं, विनोद खैरवार पुत्र सुन्दरलाल खैरवार, निवासी—ग्राम पांडिया छपारा, तहसील केवलारी, जिला सिवनी (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम दक्षा (DAXA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। जबकि उसका सही नाम दक्ष खैरवार (DAKSH KHAIRWAR) पुत्र विनोद खैरवार (VINOD KHAIRWAR) है। जो कि उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम दक्ष खैरवार (DAKSH KHAIRWAR) पुत्र विनोद खैरवार (VINOD KHAIRWAR) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

(G-2433)

प्रार्थी
(विनोद खैरवार).

नाम परिवर्तन

मैं, रूपनारायण राजपूत पुत्र बहादुर सिंह राजपूत, निवासी—महात्मा गांधी वार्ड 01, तहसील वनखेड़ी, जिला होशंगाबाद (नर्मदापुरम) मध्यप्रदेश। मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश रामेश्वरी राजावत (RAMESHWARI RAJAVAT) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है। जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों पर वंशिका राजपूत (VANSHIKA RAJPUT) पुत्री रूपनारायण राजपूत नाम दर्ज है, जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय /व्यक्तिगत दस्तावेजों में नाम संशोधन कर नया नाम वंशिका राजपूत (VANSHIKA RAJPUT) पुत्र रूपनारायण राजपूत के नाम से जाना जावे।

(G-2434)

प्रार्थी
(रूपनारायण राजपूत).

नाम परिवर्तन

मैं, कृपाल सिंह पुत्र मूल सिंह, निवासी—ग्राम पीपल्या, ग्राम पंचायत सुखल्या, पोस्ट कोटरी कलां, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश यश (YASH) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों पर यशपाल सिंह राजपूत (YASHPAL SINGH RAJPUT) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त नये नाम यशपाल सिंह राजपूत (YASHPAL SINGH RAJPUT) पुत्र कृपाल सिंह के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(कृपाल सिंह).

(G-2435)

नाम परिवर्तन

मैं, रूपनारायण राजपूत पुत्र बहादुर सिंह राजपूत, निवासी—महात्मा गांधी वार्ड 01, तहसील वनखेड़ी, जिला होशंगाबाद (नर्मदापुरम) मध्यप्रदेश. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश वंदना राजावत (VANDANA RAJAVAT) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों पर सारिका (SARIKA) पुत्री रूपनारायण राजपूत नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में नया नाम सारिका (SARIKA) पुत्री रूपनारायण राजपूत दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(रूपनारायण राजपूत).

(G-2436)

नाम परिवर्तन

मैं, कृपाल सिंह बुंदेला पुत्र शेर सिंह बुंदेला, निवासी—ग्राम अचलगढ़, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश विष्णु सिंह बुंदेला (VISHNU SINGH BUNDELA) नाम दर्ज हो गया है, जो गलत है. जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों पर विश्वप्रताप सिंह बुंदेला (VISHWAPRATAP SINGH BUNDELA) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में विश्वप्रताप सिंह बुंदेला (VISHWAPRATAP SINGH BUNDELA) पुत्र कृपाल सिंह बुंदेला के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(कृपाल सिंह बुंदेला).

(G-2437)

नाम परिवर्तन

मैं, किरण पत्नी श्री महेश जाट, निवासी—ग्राम कलवाना, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.). यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम शांता बाई पुत्री श्री जगदीश पटेल नाम से जानी—पहचानी जाती थी, जो कि विवाह उपरांत मैं, अब किरण पत्नी श्री महेश जाट के नाम से जानी—पहचानी जाती हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम किरण (Kiran) पत्नी श्री महेश जाट के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शांता बाई)	(किरण)
पुत्री—श्री जगदीश पटेल	पत्नी—श्री महेश जाट.

(G-2438)

नाम परिवर्तन

मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में SAROJ MARY XALXO हो गया है, जो कि गलत है. सही नाम सरोज खालखो (SAROJ XALXO) है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सरोज खालखो (SAROJ XALXO) के नाम से पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम (सरोज मेरी खलखो) (SAROJ MERY XALXO) (G-2439)	नया नाम (सरोज खलखो) (SAROJ XALXO) पति—रोमानुस खलखो.
-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

नाम परिवर्तन

मैं, मुकेश कुमार साहू, पुत्र कालूराम साहू, निवासी—ग्राम अचलगढ़, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश राधिका साहू (RADHIKA SAHU) नाम दर्ज हो गया है. जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों पर रचना साहू (RACHNA SAHU) नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में रचना साहू (RACHNA SAHU) पुत्री मुकेश कुमार साहू के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

(G-2440)	प्रार्थी (मुकेश कुमार साहू) पुत्र—कालूराम साहू.
----------	-------------------------------------------------------

नाम परिवर्तन

मेरा नाम आधार कार्ड में भूल व त्रुटिवश गुड्डी (GUDDI) लिखा गया है, जिसे सुधारकर मैंने मेरा नाम गीता देवी (GEETA DEVI) पत्नी रामवीर रख लिया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम गीता देवी (GEETA DEVI) के नाम से जाना—पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम (गुड्डी) (GUDDI) (G-2441)	नया नाम (गीता देवी) (GEETA DEVI) पत्नी—रामवीर पता—जगन्नाथ का पूरा, बरेथा, मुरैना, जिला मुरैना (म.प्र.).
------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आम सूचना

मेसर्स स्नेह डेव्हलपर्स (M/s. Sneh Developers), पता—106, केप्टन सी.एस. नायडू आर्केड, 10/2, ओल्ड पलासिया, इन्दौर (म.प्र.). जिसका पंजीयन कमांक 03/27/01/00245/11 दिनांक 28 मार्च 2011 है. मेसर्स स्नेह डेव्हलपर्स के विद्यमान साझेदारों में से संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 20 नवम्बर 2024 के माध्यम से साझेदार (1) श्री संतोष कुमार धींग पिता श्री समरथमल जी धींग को पृथक् किया गया. वर्तमान में फर्म का संचालन क्रमशः (1) माइक्रोमिटी सायबर सिटी एलएलपी तर्फ नामित भागीदार श्री मनोज धनोतिया पिता श्री राजेन्द्र कुमार धनोतिया, पता—106, केप्टन सी.एस. नायडू आर्केड, 10/2 ओल्ड पलासिया, इन्दौर (म.प्र.) एवं (2) श्रीमती ममता गुप्ता पति श्री कमल गुप्ता, पता— 761, उषा नगर एक्सटेंशन, इन्दौर (म.प्र.) द्वारा किया जावेगा.

(G-2442)	मेसर्स स्नेह डेव्हलपर्स मनोज धनोतिया पुत्र—श्री राजेन्द्र कुमार धनोतिया (भागीदार).
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम नर्मदा चौहान (Narmada Chauhan) दर्ज हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम नर्मदा सेनवार (Narmada Senwar) है, जो कि मेरे अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे नर्मदा सेनवार (Narmada Senwar) के नाम से ही जाना व पहचाना जावेगा।

प्रार्थी
(नर्मदा सेनवार)
(Narmada Senwar)
पता—बिरला हॉस्पिटल के पास,
1111, न्यू गौरी नगर, इंदौर.

(G-2443)

नाम परिवर्तन

मैं, तोरन सिंह अहिरवार आत्मज श्री मदन सिंह अहिरवार, मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अंकित (ANKIT) गलत अंकित हो गया है। अतः मेरा वास्तविक और सही नाम तोरनसिंह अहिरवार (TORAN SINGH AHIRWAR) है। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरा सही नाम तोरनसिंह अहिरवार (TORAN SINGH AHIRWAR) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जाए।

पुराना नाम
(अंकित)
(ANKIT)

नया नाम
(तोरनसिंह अहिरवार)
(TORAN SINGH AHIRWAR)
पिता—मदन सिंह अहिरवार,
पता—वार्ड नं.—29, मकान नं.—60, बांटी नगर,
गली नं.—03, जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-2444)

नाम परिवर्तन

मैं, सुदामा बाई लोधी पत्नी स्व. श्री गेंदा लाल लोधी, मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम मुस्कान (MUSKAN) गलत अंकित हो गया है। अतः मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका वास्तविक और सही नाम अंशिका लोधी (ANSHIKA LODHI) है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का सही नाम अंशिका लोधी (ANSHIKA LODHI) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जाए।

पुराना नाम
(मुस्कान)
(MUSKAN)

नया नाम
(अंशिका लोधी)
(ANSHIKA LODHI)
माता का नाम—सुदामा बाई लोधी
पत्नी—स्व. श्री गेंदा लाल लोधी,
पता—मकान नं.—126, ग्राम कुँआखेड़ी,
जिला विदिशा (म.प्र.)

(G-2445)

नाम परिवर्तन

मैं, विजय कुमार, आत्माज स्व. श्याम लाल, निवासी—मकान नं. 1918, डिफेंस कॉलोनी, फेस 2, विलपुरा, वार्ड नं. 78, थाना राँझी, तहसील राँझी, जिला जबलपुर. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरे पिता का नाम श्याम लाल दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, अंक सूची, बैंक पासबुक मेरे पिता का नाम श्याम लाल कनौजिया दर्ज है। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे विजय कुमार पिता स्व. श्याम लाल कनौजिया के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा जाएगा।

आवेदनकर्ता
(विजय कुमार)

(G-2446)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे / Sukheja Brothers, पंजीयन क्रमांक 05/25/01/0183/15, पंजीयन दिनांक 12/02/2015, पता—23, Hospital Chouk, गोपदबनास, सीधी (म.प्र.)—486661. कार्यालय फर्म एवं संस्थाएं, रीवा, शहडोल संभाग, रीवा से पंजीकृत फर्म हैं। यह कि फर्म का वर्तमान कार्यालय पता 23, Hospital Chouk गोपदबनास, सीधी (म.प्र.) 486661 है। उक्त दिनांक 01/04/2023 को परिवर्तन करके फर्म का नवीन कार्यालय का पता— khasra No 345/ 1, Ward No 06, 23, Hospital Chowk] Sidhi गोपदबनास, सीधी (म.प्र.)—486661 किया गया है। यह कि वर्तमान में इस भागीदारी फर्म में पूर्व में (1) Shri Vijay Sukheja (2) Shri Prakash Sukheja पार्टनर थे जिसमें दिनांक 01/04/2023 को (1) Shri Vijay Sukheja S/o Shri Shavat Rai Sukheja फर्म से अस्वारथ्य होने के कारण फर्म से पृथक् हो गये। उक्त निकलने वाले साझेदार की किसी भी प्रकार की लेनदारी व देनदारी शेष नहीं हैं। एवं 14/04/2023 को पृथक् हुये पार्टनर की मृत्यु हो गई। आपसी सहमति से दिनांक 01/04/2023 को फर्म में दो नवीन पार्टनर (1) Shri Hitesh Sukheja S/o. Shri Prakash Sukheja aged 36 Years R/o.- House no 291, Sindhi Colony, Satna (M.P.) Pin code 485001 (2) Shri Gaurav Sukheja S/o. Shri Girish Sukheja Aged 33 Years, R/o H-N- 340, Sindhi Colony, Satna (M.P.) Pin Code-485001 को सम्मिलित किया गया है। इसके पश्चात जिसमें दिनांक 01.04.2024 को (1) Shri Prakash Sukheja S/o Shri Gopi Chand Sukheja अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये। निकलने वाले साझेदार की किसी भी प्रकार की लेनदारी व देनदारी शेष नहीं हैं। संशोधन के पश्चात् वर्तमान फर्म में दिनांक 01.04.2024 से भागीदार 1. Shri Hitesh Sukheja 2- Shri Gaurav Sukheja की भागीदारी रहेगी।

मे / Sukheja Brothers

1. Hitesh Sukheja

2. Gaurav Sukheja

(Partner).

(G-2447)

नाम परिवर्तन

मैं, शहादत खान पुत्र शहीद खान, निवासी—वार्ड नं. 22, इन्द्रा कॉलोनी, टीकमगढ़ तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम सानिया खान पुत्री शहादत खान अंकित हो गया है, जो कि गलत है। जबकि मेरी पुत्री का सही नाम मायकश मनसूरी (MAIKASH MANSOORI) पुत्री शहादत खान (SAHADAT KHAN) है, जो कि सत्य एवं सही है, जो कि उसके जन्म प्रमाण—पत्र में भी दर्ज है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम मायकश मनसूरी (MAIKASH MANSOORI) पुत्र शहादत खान (SAHADAT KHAN) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(शहादत खान)

(G-2448)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/S. Mahamangal Associates Registered office at 02 Shri Vishala, Dewas Road Ujjain (M.P.) 456010 and Registration No is 07/33/01/0017/20 dated 17/07/2020, which was constituted *vide* Partnership deed executed on 19/03/2020. In this Partnership firm subsequently following changes have occurred on 01/04/2022, Shree Pritam Raman S/o. Shri Ajay Jain has voluntarily retired from the Partnership firm and Shri Swapnesh Verma S/o. Shri Suresh Verma has joined the firm as a new partner W.e.f. 01/04/2022. Now 1. Yogeshwari Goswami and 2. Swapnesh Verma are the running Partners of the Partnership firm. Both running Partners have decided to change the principal place of Firm from 02 Shri Vishala, Dewas Road Ujjain M.P. To 52 M.I.G. Indira Nagar, Agar Road Ujjain M.P. W.e.f. 01/04/2022

M/S. Mahamangal Associates

Yogeshwari Goswami

(Partner).

(G-2449)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम गोलूसिंह टुटेजा (GOLUSINGH TUTEJA) था, जिसे मैंने परिवर्तन कर अपना नाम अमितोज सिंह टुटेजा (AMITOJ SINGH TUTEJA) कर लिया है, अतः अब, मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम अमितोज सिंह टुटेजा (AMITOJ SINGH TUTEJA) ही लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(गोलूसिंह टुटेजा)

(G-2450)

नया नाम
(अमितोज सिंह टुटेजा)
(AMITOJ SINGH TUTEJA)

पता—16/3, नाथ राजमोहल्ला, इंदौर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that, at present my Name is Ramu Karmodiya but now I want to change it from Ramu Karmodiya To Ram Karmodiya. Henceforth in all of my Government and Non-Government documents my New Name shall be written and read as Ram Karmodiya for all purposes.

Old Name
(Ramu Karmodiya)

(G-2451)

New Name
(Ram Karmodiya)

Add. :- Village-Bedakhedi, Teh.-Ashta,
Distt.- Sehore (M.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, सतीश यादव पिता गोविन्द यादव, निवासी—ग्राम गयागंज, पोर्ट-बरारु, सागर (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम राहुल यादव (RAHUL YADAV) दर्ज हो गया है, जो गलत है। जबकि मेरा सही नाम सतीश यादव (SATISH YADAV) के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(राहुल यादव)
(RAHUL YADAV)

(G-2452)

नया नाम
(सतीश यादव)
(SATISH YADAV)

पिता—गोविन्द यादव

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अपने पक्षकार श्री लज्जा राम सिंह गुर्जर, पुत्र स्व. श्री घमण्डी सिंह गुर्जर निवासी—ओहदपुर, अल्कापुरी के पीछे, सिटी सेंटर ग्वालियर, द्वारा दिये गये निर्देशानुसार, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री लज्जा राम सिंह गुर्जर पुत्र स्व. श्री घमण्डी सिंह गुर्जर, श्री वीरेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र श्री लज्जा राम सिंह गुर्जर, श्रीमती ज्योति गुर्जर पत्नी श्री साहब सिंह गुर्जर एवं श्रीमती सोना सिंह गुर्जर पत्नी श्री राकेश सिंह गुर्जर, निवासी—ओहदपुर, अल्कापुरी के पीछे, सिटी सेंटर, ग्वालियर, द्वारा मेसर्स देव डेवलपर्स के नाम से साझेदारी पत्रक दिनांक 12 जून 2012 के अनुसार साझेदार होकर व्यवसाय करते थे। अब नवीन संशोधित साझेदारी पत्रक दिनांक 10 सितम्बर 2024 द्वारा श्री लज्जा राम सिंह गुर्जर पुत्र स्व. श्री घमण्डी सिंह गुर्जर, श्री वीरेन्द्र सिंह गुर्जर एवं श्रीमती सोना सिंह गुर्जर पत्नी श्री राकेश सिंह गुर्जर निवासी—ओहदपुर, अल्कापुरी के पीछे, सिटी सेंटर ग्वालियर का साझेदारी फर्म से स्वेच्छापूर्ण अलग होना तय किया गया है तथा श्री साहब सिंह गुर्जर पुत्र श्री लज्जा राम सिंह गुर्जर, आयु 53 वर्ष, निवासी—ओहदपुर, अल्कापुरी के पीछे, सिटी सेंटर, ग्वालियर को फर्म में साझेदार के रूप में सभी साझेदारों की सहमति के रूप में प्रवेश देना तय हुआ है। अतः अब, नवीन संशोधित साझेदारी पत्रक दिनांक 10 सितम्बर 2024 श्री साहब सिंह गुर्जर पुत्र श्री लज्जा राम सिंह गुर्जर एवं श्रीमती ज्योति गुर्जर पत्नी श्री साहब सिंह गुर्जर निवासी—ओहदपुर, अल्कापुरी के पीछे, सिटी सेंटर, ग्वालियर फर्म में साझेदार होना तय किया गया है एवं तदानुसार साझेदारी फर्म मेसर्स देव डेवलपर्स में उपरोक्तानुसार दो पार्टनर्स हो गए हैं और यह साझेदारी दिनांक 10 सितम्बर 2024 से प्रभावी हो गई है।

मेसर्स—देव डेवलपर्स

ज्योति
(भागीदार)

पता—78, न्यू हाईकोर्ट के पास, अल्कापुरी, ओहदपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2453)

नाम परिवर्तन

मैं, अंजली जैन पुत्री श्री कमलेश जैन, निवासी—राजपूत कॉलोनी, विदिशा (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश गुडिया जैन नाम दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरे मूल निवास प्रमाण—पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में अंजली जैन (ANJALI JAIN) पुत्री श्री कमलेश जैन नाम दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंजली जैन (ANJALI JAIN) पुत्री श्री कमलेश जैन के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(गुडिया जैन)

(G-2454)

नया नाम
(अंजली जैन)
(ANJALI JAIN)
पुत्री—श्री कमलेश जैन।

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मेरे आधार कार्ड में अनुराधा देवी पत्नी—राजेन्द्र सिंह दर्ज हो गया है जो कि गलत है। मेरा सही नाम चंद्रलेखा चौहान पति राजेन्द्र सिंह है जो कि मेरे समरत शैक्षणिक एवं शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे चंद्रलेखा चौहान पति राजेन्द्र सिंह लिखा व पढ़ा जावे।

(G-2455)

प्रार्थिनी
(चंद्रलेखा चौहान)
पत्नी—श्री राजेन्द्र सिंह
निवासी—एल.आई.जी. 263, गंभीरिया सागर,
तह. व जिला—सागर (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेश कुमार लखेरा पुत्र स्व. श्री दरयाव प्रसाद लखेरा, निवासी—मोती मस्जिद के पीछे, जवाहर चौक, पोतदार गली, टीकमगढ़, तह व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अशिका लखेरा (Anshika Lakhera) अंकित हो गया है जो कि गलत है। जबकि उसका सही नाम आशी लखेरा (ASHI LAKHERA) पुत्री राजेश कुमार लखेरा (Rajesh Kumar Lakhera) है जो कि उसके जन्म प्रमाण—पत्र में भी दर्ज है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम आशी लखेरा (ASHI LAKHERA) पुत्री राजेश कुमार लखेरा (Rajesh Kumar Lakhera) के नाम से जाना पहचाना एवं लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे।

(G-2456)

प्रार्थी
(राजेश कुमार लखेरा)

आम सूचना

फर्म मेसर्स अग्रवाल हास्पिटलिटी, रामचरित मानस भवन के सामने, पुराना इलाहाबाद बैंक के पास, वार्ड नं 07, जिला छतरपुर (म.प्र.)—471001 पंजीयत फर्म है। जिसका पंजीयन नंबर 06—12—01—00056—11, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म एण्ड सोसायटी सागर (म.प्र.) द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2011 को किया गया था, जिसमें (संसोधन के बाद) दिनांक 29 मार्च 2017 निम्नांकित पार्टनर थे :

1. श्री बालकर्ण अग्रवाल
2. श्री सुनील अग्रवाल
3. श्री विजय अग्रवाल

उपरोक्त इस पंजीयत फर्म के पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ने पर इस फर्म को पुनः पुनर्गठित करने की कार्यवाही चल रही है तथा श्री बालकर्ण अग्रवाल, श्री सुनील अग्रवाल एवं श्री विजय अग्रवाल के साथ एवं श्री अजय अग्रवाल फर्म के नये पार्टनर बन रहे हैं, जिसके अनुसार दिनांक 31 जुलाई 2020 से निम्नांकित भागीदार रहेंगे :—

1. श्री बालकर्ण अग्रवाल
2. श्री सुनील अग्रवाल
3. श्री विजय अग्रवाल
4. श्री अजय अग्रवाल

एवं फर्म का पता रामचरित मानस भवन के सामने, पुराना इलाहाबाद बैंक के पास, वार्ड नं 07, जिला छतरपुर (म.प्र.) 471001 होगा।

(G-2457)

अग्रवाल हास्पिटलिटी
बालकर्ण अग्रवाल
(भागीदार)।

नाम परिवर्तन

मैं, अलकेश जाट आत्मज श्री आत्माराम, निवासी—ग्राम सन्नौद, जिला देवास (म.प्र.). मेरी पुत्री का वास्तविक नाम सोनाक्षी जाट (SONAKSHI JAT) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सोनू (SONU) हो गया है. अब मेरी पुत्री अपने वास्तविक नाम सोनाक्षी जाट (SONAKSHI JAT) के नाम से जानी जायेगी एवं सभी शासकीय/अद्वृशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का यही नाम रहेगा.

(G-2458)

प्रार्थी
(अलकेश जाट)

नाम परिवर्तन

मैं, प्राँशी पुत्री श्री दीपक, निवासी—ग्राम कामती रंधीर, जिला—नर्मदापुरम (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम प्रियांशी अंकित हो गया है. जबकि मेरा सही एवं सत्य नाम प्राँशी (Pranshi) पुत्री श्री दीपक (Deepak) है जो मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम प्राँशी (Pranshi) पुत्री श्री दीपक (Deepak) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

(G-2459)

पुराना नाम (प्रियांशी) (Priyanshi)	नया नाम (प्राँशी) (Pranshi)
	पुत्री—श्री दीपक (Deepak).

नाम परिवर्तन

मैं, पारुल गुप्ता पुत्री श्री प्रह्लाद गुप्ता, मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरे नाम पारुल गुप्ता पुत्री श्री प्रह्लाद गुप्ता है. अतः मेरे विवाह श्री मुकेश कुमार शुक्ला के साथ हुआ है. मैं, विवाह उपरांत अपना नाम परिवर्तन करना चाहती हूँ. मुझे विवाह उपरांत पारुल शुक्ला पत्नी श्री मुकेश कुमार शुक्ला के नाम से जाना जावे.

(G-2460)

प्रार्थी
(पारुल गुप्ता).

नाम परिवर्तन

मैं, अनिल पाण्डव (ANIL PANDAV) पिता स्व. उमाजी पाण्डव, निवासी—म.नं. 382, संजय गांधी नगर, टी.वी. टॉवर के पास, सदर केन्ट, जबलपुर (म.प्र.). मेरे शासकीय रिकार्ड में मेरा नाम भूलवश अनिल कुमार पाण्डव (ANIL KUMAR PANDAV) दर्ज हो गया है. मेरे अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आई.डी., बैंक रिकार्ड आदि में मेरा सही नाम अनिल पाण्डव (ANIL PANDAV) दर्ज है. मेरा सही नाम अनिल पाण्डव (ANIL PANDAV) है एवं मुझे इसी नाम से जाना—पहचाना जाए एवं शासकीय रिकार्ड में दर्ज किया जावे.

(G-2461)

पुराना नाम (अनिल कुमार पाण्डव) (ANIL KUMAR PANDAV)	नया नाम (अनिल पाण्डव) (ANIL PANDAV)
----------------------------------------------------------	-------------------------------------------

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर (नगरीय) एवं पंजीयक लोक न्यास, जिला सतना
मध्यप्रदेश**

सतना, दिनांक 11 अप्रैल 2025

प्रारूप-4

[देखे नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक सतना जिला के समक्ष

यतः कि श्री आदर्श कुमार त्रिपाठी पिता रामलाला त्रिपाठी, निवासी वार्ड नं.-04, सहिजना कोठानर भटनवारा, जिला सतना मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951(1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 30 मई 2025 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा:-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|-----------------|---|----------------------------------------------------|
| 1. न्यास का नाम | : | “श्री सिद्धेश्वर धाम बालाजी सरकार सतना ट्रस्ट” |
| 2. न्यास का पता | : | सगमा, रेल्वे स्टेशन के पास, जिला सतना, मध्यप्रदेश. |
| 3. अचल सम्पत्ति | : | निरंक |
| 4. चल सम्पत्ति | : | निरंक |

प्रारूप-5

[देखे नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, सतना के समक्ष

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गइन करती है।

अब इसलिए मैं, राहुल सिलाड़िया लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 30 मई 2025 को कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 30 मई 2025 के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

(G-2462)

राहुल सिलाड़िया, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक।

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक लोक न्यास, अनुभाग व जिला अशोक
मध्यप्रदेश**

अशोकनगर, दिनांक 15 मई 2025

[नियम पांच (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत]

क्र.-0001-बी-113(4)-2024-2025-64.— एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक अशोकनगर, जिला अशोकनगर के समक्ष यह कि आवेदक श्री दिग्म्बर जैन 1008 आदीश्वर आदिनाथ जी समिति ऋषभधाम द्वारा अध्यक्ष श्री वर्धमान जैन पुत्र श्री सुमत कुमार जैन एवं सचिव श्री पलाश जैन पुत्र श्री भानुप्रकाश जैन, ग्राम तूमैन, तहसील व जिला अशोकनगर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना—पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन—पत्र दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है।

किसी आपत्ति का सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 7 दिवस के अंदर दो प्रतियों में लिखित करने प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपरिस्थित होना चाहिये उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा:—

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष श्री वर्धमान जैन पुत्र श्री सुमत कुमार जैन, ग्राम तूमैन, तहसील व जिला अशोकनगर, श्री दिग्म्बरी जैन 1008 आदीश्वर आदिनाथ जी समिति ऋषभधाम, ग्राम तूमैन, तहसील व जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश
2. अचल सम्पत्ति रूपये 1,50,000/- रु. (एक लाख पचास हजार रुपये) मूल्य की कुछ उपयोगी वस्तुएं इन्वर्टर, टेबिल, पूजन के बर्तन, पानी मोटर हैं।

(G-2463)

बृजबिहारी लाल श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी, उज्जैन नगर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 20 मई 2025

प्रारूप—चार

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5(1) देखिए]

पंजीयक,

लोकन्यास,

उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष

क्र.—एसडीएम नगर—रीडर—1—2025—566.— चूंकि, आवेदक महंत श्री राजेन्द्र गिरी अध्यक्ष, मांगल धाम चैरिटेबल ट्रस्ट उज्जैन, कार्यालय कार्तिक मेला ग्राउण्ड के सामने, आवान अखाडे के पास, सदावल रोड, उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 23 जून 2021 को दोपहर 03:00 बजे स्थान—समाट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के सामने स्थित संयुक्त तहसील भवन कोठी महल के प्रथम तल के कक्ष कमांक 104 में विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन नगर, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 23 जून 2021 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा:—

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

- | | | |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. न्यास का नाम | : | “मांगल धाम चैरिटेबल ट्रस्ट” |
| 2. न्यास का पता | : | कार्तिक मेला ग्राउण्ड के सामने, आहवान अखाडे के पास, सदावल रोड, उज्जैन मध्यप्रदेश। |
| 3. अचल सम्पत्ति | : | वर्तमान में न्यास ने अपने पास अचल संपत्ति शून्य दर्शाई है। |
| 4. चल सम्पत्ति | : | वर्तमान में न्यास ने अपने पास चल संपत्ति 11000/- रु. दर्शाई है। |

लक्ष्मीनारायण गर्ग, पंजीयक।

(G-2464)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं लोक न्यास पंजीयक, सागर, जिला सागर, मध्यप्रदेश
सागर, दिनांक 29 अप्रैल 2025 मौजा सागर खास तहसील व जिला सागर
प्रारूप—चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1951
का नियम 5 का उपनियम (1) देखिए]

रा.प्र.क्र.—180—बी—113—वर्ष 2024—25—566.— जैसा कि श्री 1008 देव पारसनाथ दिगम्बर जैन मंदिर, कठरनी बाई बरियाघाट वार्ड, सागर के अध्यक्ष प्रमोद कुमार पिता गुलाबचंद जैन, निवासी—वर्णी कॉलोनी, सागर, तहसील व जिला सागर के द्वारा मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1961 के नियम 2 के तहत एक आवेदन—पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन—पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 28 मई 2025 को विचार किया जायेगा, कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हो और आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के पन्द्रह दिनों के अंदर अपनी आपत्ति या सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा:—

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल—चल सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | श्री 1008 देव पारसनाथ दिगम्बर जैन मंदिर कठरनीबाई बरियाघाट, सागर |
| 2. अचल सम्पत्ति | : | मंदिर से लगा हुआ एक |
| 3. चल सम्पत्ति | : | 85,878.00/-रु. |

पेशी दिनांक — 28 मई 2025

जारी दिनांक — 2 मई 2025

(G-2465)

अदिति यादव, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 7 मई 2025

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

प्र.क्र.-01-बी-113-25-26.— श्री राजकुमार पुत्र श्री अनंत प्रसाद दुबे, निवासी एल.आई.जी.-1, बी-135 मुखर्जी नगर विदिशा अध्यक्ष द्वारा "देवी का बाग माता रानी न्यास" सांची रोड, विदिशा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 6 जून 2025 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियों करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि वह गठन करती है।

अतः, मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 6 जून 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।—

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. लोक न्यास का नाम और पता : | "देवी का बाग माता रानी न्यास" विदिशा |
| 2. चल सम्पत्ति : | निरंक |
| 3. अचल सम्पत्ति : | वर्तमान में मंदिर में स्थित अचल संपत्ति की राशि 76,500/- रुपये। |

शितिज शर्मा, पंजीयक।

(G-2466)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, अनुभाग देवास, जिला देवास,
मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 28 अप्रैल 2025

उद्घोषणा

[पब्लिक ट्रस्ट एकट 1951 की धारा 5(2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम 1952 के नियम 5(1) देखिए]

क्र.-27-रीडर-1-2025.— आवेदक श्री मांगीलाल पिता पांचुलाल विजयवर्गीय अध्यक्ष "विजयवर्गीय वैश्य समाज देवास सामाजिक एवं धार्मिक ट्रस्ट" कार्यालय 143-बी, कालानी बाग, देवास मध्यप्रदेश द्वारा इस न्यायालय में एक आवेदन पत्र धारा 4 (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 के अन्तर्गत "विजयवर्गीय वैश्य समाज देवास सामाजिक एवं धार्मिक ट्रस्ट कार्यालय 143-बी, कालानी बाग, देवास मध्यप्रदेश के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन—पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा—पत्र उद्घेश्य नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूपरेखा आदि के साथ आवेदन पत्र संलग्न किया गया है।

अतः: "विजयवर्गीय वैश्य समाज देवास सामाजिक एवं धार्मिक ट्रस्ट" कार्यालय 143-बी, कालानी बाग, देवास मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संरक्षा को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति आगामी पेशी दिनांक 28 मई 2025 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

आज दिनांक 28 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(G-2467)

बिहारी सिंह, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार।

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, नजूल संत हिरदाराम नगर, बैरागढ
वृत्त, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 19 मई 2025

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

प्र.क्र.—बी—113—2025—26.— जैसा कि "मां भगवती सांस्कृतिक एवं जनकल्याण न्यास" पता कृष्णपुरम कॉलोनी नेवरी, भोपाल द्वारा श्री लवलेश शर्मा आ. रव. श्री घनश्याम शर्मा निवासी 82, कृष्णपुरम कॉलोनी, नियर संजीव नगर, नेवरी, हुजूर भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है।

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष ख्यां अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. ट्रस्ट का नाम व पता : | "मां भगवती सांस्कृतिक एवं जनकल्याण न्यास" |
| | पता—कृष्णपुरम कॉलोनी नेवरी, भोपाल मध्यप्रदेश। |
| 2. अचल सम्पत्ति : | निरंक |
| 3. चल सम्पत्ति : | निरंक |

आज दिनांक 19 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(G-2468)

रवि शंकर राय, रजिस्ट्रार।

कार्यालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, शहर वृत्त, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 14 मई 2025

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला भोपाल]

क्र.—2857—रीडर—2025.— आवेदक श्रीराम तिवारी, निदेशक, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ, स्वराज संस्थान संचालनालय, रवीन्द्र भवन परिसर, भोपाल द्वारा "श्रीकृष्ण पाठ्येय न्यास" को ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है।

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हों तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

- | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. ट्रस्ट का नाम : | "श्रीकृष्ण पाठ्येय न्यास" |
| 2. कार्यालय का पता : | स्वराज संस्थान संचालनालय, रवीन्द्र भवन परिसर, भोपाल, मध्यप्रदेश। |
| 3. अचल सम्पत्ति : | निरंक |
| 4. चल सम्पत्ति : | रुपये 1995/- (एक हजार नौ सौ पन्नानवे रुपये) |

(G-2469)

दीपक पाण्डेय, रजिस्ट्रार।

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश
रायसेन, दिनांक 29 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 एवं 16 के अंतर्गत]

क्र.—पंजीयन—पुनर्गठन—2025—263.—आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 के द्वारा प्रदेश की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के संबंध में भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय की मंशा अनुरूप ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स के पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी की बैठक में जिले की 11 पैक्स संस्थाओं में से 17 नवीन पैक्स के गठन हेतु निर्णय लिया गया, जिसमें बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिंगवाड़ा का पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, अर्जनी का गठन करने का निर्णय भी समिलित था। तत्पश्चात् शासन के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) तथा अपर कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित DCDC की उप समिति—ज्वाइंट वर्किंग कमेटी (JWC) की बैठकों में भी उक्तानुसार निर्णय पारित किए गये।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के उक्त निर्देशों एवं कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी—DCDC—JWC की बैठकों में लिए गये निर्णय अनुसार प्रभावित बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिंगवाड़ाकला, पंजीयन क्रमांक—1539, दिनांक 5 अगस्त 1957 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—838 रायसेन, दिनांक 12 दिसम्बर 2023 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) एवं धारा 16 (5) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के समस्त सदस्यों को अध्यापेक्षा/सूचना—पत्र जारी कर अपेक्षा की गई थी कि एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि वे परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जायें अथवा प्रभावित सोसायटी में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों को बने रहने दें।

अध्यापेक्षा—पत्र में प्रभावित और परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र का निम्नानुसार उल्लेख किया गया था:—

क्रमांक	वर्तमान समिति का नाम (प्रभावित संस्था)	समिति अंतर्गत ग्राम के नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम के नाम	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम की ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	चिंगवाड़ाकला	चिंगवाड़ाकला	अर्जनी	अर्जनी, दिलहारी, मूडापार, दुगरिया, निम्नापुर, रामगढ़ गुप्ती, कालापाठा, बरछैका।	दिलहारी, रामगढ़, गुप्ती

उपरोक्त अध्यापेक्षा—पत्र के सम्बन्ध में प्रभावित प्राथमिक कृषि साख सहकारी साख संस्था मर्यादित, चिंगवाड़ाकला, के द्वारा दिनांक 27 मार्च 2025 को संस्था की आमसभा आयोजित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, अर्जनी, (एम—पैक्स) के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया था, किन्तु पैक्स पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रारूप 'ब' एवं प्रारूप 'स' में जानकारी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में पुनर्गठन योजना का अनुमोदन नहीं कराने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक—साख—72025—140, रायसेन, दिनांक 7 मार्च 2025 से संस्था के पुनर्गठन हेतु प्रभावित संस्था के सदस्यों को पुनः पत्र जारी किया गया तथा पुनर्गठन हेतु आयुक्त, सहकारिता मध्यप्रदेश, भोपाल के परिपत्रों तथा अधिनियम एवं नियम के अनुसार वांछित जानकारी, निर्धारित प्रारूप अनुमोदन करने एवं शेष रहे विषयों पर चर्चा कर निर्णय लेने हेतु प्रभावित संस्था से विशेष साधारण सभा आयोजित करने की अपेक्षा की गई। उक्त अध्यापेक्षा—पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु पत्र क्रमांक—पंजीयन—2025—182, रायसेन, दिनांक 29 मार्च 2025 को प्रेषित किया गया है।

प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिंगवाड़ाकला, के द्वारा उक्त अध्यापेक्षा के संबंध में सदस्यों को विशेष साधारण सभा की सूचना एवं पुनर्गठन हेतु अपेक्षित विषयों पर निर्णय लेने के लिये नियमानुसार सूचना—पत्र दिनांक 7 मार्च 2025 को जारी कर विशेष साधारण सभा दिनांक 27 मार्च 2025 को आयोजित की गई।

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, अर्जनी, (एम—पैक्स) का गठन करने हेतु निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के ग्राम तथा परिणामी संस्था के मुख्यालय निम्नानुसार निर्धारित किये गए हैं।

क्रमांक	प्रभावित संस्था			परिणामी संस्था			
	नाम	कार्यक्षेत्र के नाम	ग्राम पंचायत	नाम	संस्था मुख्यालय	कार्यक्षेत्र के ग्राम	ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	चिंगवाड़ाकला	चिंगवाड़ाकला, कला, मझगावा, डौकरी, बमनई, चिकली, उषापुर, तुलसीपार, उचैरा, सहजपुरी, गजनदा, सिमरियाकला, सुनैटी, समनापुर, सिंहपुरी जमनिया।	चिंगवाड़ाकला, अर्जनी, अर्जनी, अर्जनी, दिलहारी, मूडापार दुगरिया, निम्नापुर, रामगढ़ गुप्ती, कालापाठा, बरछैका	अर्जनी, दिलहारी, मूडापार दुगरिया, निम्नापुर, रामगढ़ गुप्ती, कालापाठा, बरछैका	दिलहारी, रामगढ़, गुप्ती।		

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में संस्था के पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रस्तावित संस्था की जानकारी, प्रारूप 'ब' परिणामी संस्था की जानकारी तथा प्रारूप 'स' संस्था में कार्यरत कर्मचारी एवं संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी अनुमोदित की गई।

विशेष साधारण सभा में प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में संशोधन बाबद निर्णय पारित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 7 के उपनियम 3 अंतर्गत निर्धारित प्रारूप बी/ख, सी/ग एवं डी/घ अनुमोदित किया गया तथा परिणामी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, अर्जनी की आदर्श उपविधियां अंगीकृत की गई हैं।

विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था के आगामी पाँच वर्ष के लिये कार्ययोजना को अनुमोदित कर प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था की लेनदारी एवं देनदारी, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन हेतु अपैक्स बैंक के पत्र क्रमांक-2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर एसओपी के अनुसार किये जाने का निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्तानुसार आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा दिये गये निर्देशों कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति/कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति DCDC एवं अपर कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की उप समिति ज्यांईट वर्किंग कमेटी JWC की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) एवं 16(5) के अन्तर्गत की गई अध्यापेक्षा के सम्बन्ध में प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिंगवाड़ाकला की विशेष साधारण सभा दिनांक 27 मार्च 2025 में संस्था के पुनर्गठन की योजना स्वीकृत की जाकर प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किये जाने का निर्णय पारित किया गया है तथा पुनर्गठन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर मेरे मत से प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किया जाकर परिणामी संस्था पंजीकृत किया जाना सदस्यों के हित में आवश्यक हो गया है।

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अंतर्गत, जिसकी शक्तियां मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99, पन्द्रह-1-सी 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ छविकांत वाघमारे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन, एतद्वारा प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिंगवाड़ाकला, पंजीयन क्रमांक-1539, दिनांक 5 अगस्त 1957, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन के पुनर्गठन योजना को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता हूँ:-

1. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिंगवाड़ाकला, पंजीयन क्रमांक-1539, दिनांक 5 अगस्त 1957 का नाम एवं पंजीयन क्रमांक यथावत रहेगा। संस्था का मुख्यालय ग्राम चिंगवाड़ाकला, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन रहेगा। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 11(2) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार संशोधन स्वीकृत कर पंजीबद्ध किया जाता है, तदनुसार प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:-

क्रमांक	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)
1	चिंगवाड़ाकला, कला मझगवा, डौकरी, बमनई, चिकली, उपापुर, तुलसीपार, उचैरा, सहजपुरी, गजनदा, सिमरियाकला, सुनैटी, समनापुर, सिंहपुरी, जमनिया.	चिंगवाड़ाकला, तुलसीपार, समनापुर, सिंहपुरी

2. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., अर्जनी (एम. पैक्स.) का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 (1) के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है, नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., अर्जनी का पंजीयन क्रमांक DR-RSN-1593, दिनांक 29 अप्रैल 2025 है।

संस्था का मुख्यालय ग्राम अर्जनी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश होगा। संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:-

क्रमांक	परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम	ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)
1	अर्जनी, दिलहारी, मूडापार, डूगरिया, निम्नापुर, रामगढ़, गुप्ती, कालापाठा, बरछेका.	दिलहारी, रामगढ़, गुप्ती.

3. प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिंगवाड़ाकला की विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., अर्जनी (एम. पैक्स.) की आदर्श उपविधि अंगीकृत की गई है, जिसे अनुमोदित एवं पंजीबद्ध किया जाता है।

4. नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, अर्जनी (एम. पैक्स.) का वर्गीकरण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 के अंतर्गत "संसाधन सोसायटी" के अंतर्गत किया जाता है।

5. प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के पुनर्गठन की कार्यवाही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार की जावें। प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिंगवाड़ाकला (एम. पैक्स.) की विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, सदस्यों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन अपैक्स बैंक, भोपाल के पत्र क्रमांक-2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) के अनुसार नियत समय सीमा में महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायसेन के मार्गदर्शन में पूर्ण किया जावे। उक्त विभाजन के उपरान्त परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या अर्जनी (एम. पैक्स.) अपना कार्य प्रारंभ करेगी।

6. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., अर्जनी (एम. पैक्स.) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि, संस्था पर लागू होने वाले अन्य अधिनियम तथा नियमों के अनुबन्धों, शासन एवं शासकीय विभागों/अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अथवा जारी किये जाने वाले परिपत्रों/निर्देशों तथा लगाई गई शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., चिंगवाड़ाकला, (एम. पैक्स.) का विशेष साधारण सभा में लिये गए निर्णय अनुसार परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., अर्जनी (एम. पैक्स.) के लिये प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का हस्तांतरण होने तक प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., चिंगवाड़ाकला, (एम. पैक्स.) के प्रशासक/संचालक मण्डल के मार्गदर्शन में कार्य करेगी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 34(1) के अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

रायसेन, दिनांक 29 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 एवं 16 के अंतर्गत]

क्र.-पंजीयन-पुनर्गठन-2025-262.—आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680 भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 के द्वारा प्रदेश की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के संबंध में भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय की मंशा अनुरूप ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स के पुनर्गठन हेतु कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी की बैठक में जिले की 11 पैक्स संस्थाओं में से 17 नवीन पैक्स के गठन हेतु निर्णय लिया गया, जिसमें बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, साँईखेड़ा का पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खैरी का गठन करने का निर्णय भी सम्मिलित था। तत्पश्चात् शासन के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) तथा अपर कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित DCDC की उप समिति-ज्वाइंट वर्किंग कमेटी (JWC) की बैठकों में भी उक्तानुसार निर्णय पारित किए गये।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के उक्त निर्देशों एवं कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी—DCDC—JWC की बैठकों में लिए गये निर्णय अनुसार प्रभावित बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, साँईखेड़ा पंजीयन क्रमांक 1554 दिनांक 18 अक्टूबर 1957 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक-पंजीयन-2023-838 रायसेन दिनांक 12 दिसम्बर 2023. से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) एवं धारा 16 (5) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के समस्त सदस्यों को अध्यापेक्षा/सूचना—पत्र जारी कर अपेक्षा की गई थी कि एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि वे परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों को बने रहने दें।

अध्यापेक्षा—पत्र में प्रभावित और परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र का निम्नानुसार उल्लेख किया गया था—

क्रमांक (1)	वर्तमान समिति का नाम (प्रभावित संस्था) (2)	समिति अंतर्गत ग्राम के नाम (3)	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था) (4)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम (5)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम पंचायत (6)
1.	साँईखेड़ा	साँईखेड़ा, निगरी, बटेर, सलैया, सौजनी	खैरी	खैरी, पड़रिया, बरेली, मेढ़ंकी, भौड़िया,	खैरी

उपरोक्त अध्यापेक्षा—पत्र के सम्बन्ध में प्रभावित प्राथमिक कृषि साख सहकारी साख संस्था मर्यादित साँईखेड़ा के द्वारा दिनांक 28 मार्च 2025 को संस्था की आमसभा आयोजित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित खैरी (एम—पैक्स) के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया था, किन्तु पैक्स पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रारूप 'ब' एवं प्रारूप 'स' में जानकारी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में पुनर्गठन योजना का अनुमोदन नहीं कराने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक—साख-2025-144, रायसेन, दिनांक 7 मार्च 2025 से संस्था के पुनर्गठन हेतु प्रभावित संस्था के सदस्यों को पुनः पत्र जारी किया गया तथा पुनर्गठन हेतु आयुक्त सहकारिता मध्यप्रदेश भोपाल के परिपत्रों तथा अधिनियम एवं नियम के अनुसार वांछित जानकारी, निर्धारित प्रारूप अनुमोदन करने एवं शेष रहे विषयों पर चर्चा कर निर्णय लेने हेतु प्रभावित संस्था से विशेष साधारण सभा आयोजित करने की अपेक्षा की गई। उक्त अध्यापेक्षा—पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु पत्र क्रमांक—पंजीयन-2025-182 रायसेन, दिनांक 29 मार्च 2025 को प्रेषित किया गया है।

प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित साँईखेड़ा के द्वारा उक्त अध्यापेक्षा के संबंध में सदस्यों को विशेष साधारण सभा की सूचना एवं पुनर्गठन हेतु अपेक्षित विषयों पर निर्णय लेने के लिये नियमानुसार सूचना—पत्र दिनांक 7 मार्च 2025 को जारी कर विशेष साधारण सभा दिनांक 28 मार्च 2025 को आयोजित की गई।

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खैरी, (एम-पैक्स) का गठन करने हेतु निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के ग्राम तथा परिणामी संस्था के मुख्यालय निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:-

क्रमांक	प्रभावित संस्था			परिणामी संस्था			
	नाम	कार्यक्षेत्र के नाम	ग्राम पंचायत	नाम	संस्था मुख्यालय	कार्यक्षेत्र के ग्राम	ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	साईंखेड़ा	साईंखेड़ा, निगरी, बटेर, सलैया, सौजनी.	साईंखेड़ा, निगरी बटेर.	खैरी	खैरी	खैरी, पड़रिया, बरेली, मेडंकी औडिया.	खैरी

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में संस्था के पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रस्तावित संस्था की जानकारी, प्रारूप 'ब' परिणामी संस्था की जानकारी तथा प्रारूप 'स' संस्था में कार्यरत कर्मचारी एवं संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी अनुमोदित की गई।

विशेष साधारण सभा में प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में संशोधन बाबत् निर्णय पारित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 7 के उपनियम (3) अंतर्गत निर्धारित प्रारूप बी/ख, सी/ग एवं डी/घ अनुमोदित किया गया तथा परिणामी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खैरी की आदर्श उपविधिया अंगीकृत की गई हैं।

विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था के आगामी पांच वर्ष के लिये कार्ययोजना को अनुमोदित कर प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था की लेनदारी एवं देनदारी, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन हेतु अपैक्स बैंक के पत्र क्रमांक-2661 दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर एसओपी के अनुसार किये जाने का निर्णय पारित किया गया है।

उधरोक्तानुसार आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा दिये गये निर्देशों कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति/कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति DCDC एवं अपर कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की उप समिति ज्वाइंट वर्किंग कमेटी JWC की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) एवं 16 (5) के अन्तर्गत की गई अध्यापेक्षा के सम्बन्ध में प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित। साईंखेड़ा की विशेष साधारण सभा दिनांक 28 मार्च 2025 में संस्था के पुनर्गठन की योजना स्वीकृत की जाकर प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किये जाने का निर्णय पारित किया गया है तथा पुनर्गठन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर मेरे मत से प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किया जाकर परिणामी संस्था पंजीकृत किया जाना सदस्यों के हित में आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अंतर्गत, जिसकी शक्तियां मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ छविकांत वाघमारे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन, एतद्वारा प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, साईंखेड़ा, पंजीयन क्रमांक-1554, दिनांक 18 अक्टूबर 1957 तहसील सिलवानी जिला रायसेन, के पुनर्गठन योजना को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता हूँ-

1. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, साईंखेड़ा, पंजीयन क्रमांक-1554, दिनांक 18 अक्टूबर 1957 का नाम एवं पंजीयन क्रमांक यथावत् रहेगा। संस्था का मुख्यालय ग्राम साईंखेड़ा, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन रहेगा। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 11(2) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार संशोधन स्वीकृत कर पंजीबद्ध किया जाता है, तदनुसार प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:-

क्रमांक	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में समिलित ग्राम	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में समिलित ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)
1	साईंखेड़ा, निगरी, बटेर, सलैया, सौजनी	साईंखेड़ा, निगरी, बटेर

2. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., खैरी (एम. पैक्स.) का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 (1) के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है, नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., खैरी का पंजीयन क्रमांक—DR—RSN—1592, दिनांक 29 अप्रैल 2025 है।

संस्था का मुख्यालय ग्राम खैरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश होगा। संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा।

क्रमांक	परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र में समिलित ग्राम	ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)
1	खैरी, पड़रिया, बरेली, मेढ़ंकी, भौड़िया।	खैरी

3. प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, साँईखेड़ा की विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., खैरी (एम. पैक्स.) की आदर्श उपविधि अंगीकृत की गई है, जिसे अनुमोदित एवं पंजीबद्ध किया जाता है।

4. नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खैरी (एम. पैक्स.) का वर्गीकरण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 के अंतर्गत "संसाधन सोसायटी" के अंतर्गत किया जाता है।

5. प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के पुनर्गठन की कार्यवाही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार की जावें। प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, साँईखेड़ा (एम. पैक्स.) की विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, सदस्यों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन अपैक्स बैंक भोपाल के पत्र क्रमांक—2661 दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) के अनुसार नियत समय—सीमा में महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायसेन के मार्गदर्शन में पूर्ण किया जावें। उक्त विभाजन के उपरान्त परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., खैरी (एम. पैक्स.) अपना कार्य प्रारंभ करेगी।

6. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., खैरी (एम. पैक्स.) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि, संस्था पर लागू होने वाले अन्य अधिनियम तथा नियमों के अनुबन्धों, शासन एवं शासकीय विभागों/अधिकारियों द्वारा समय—समय पर जारी किये गए अथवा जारी किए जाने वाले परिपत्रों/निर्देशों तथा लगाई गई शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., साँईखेड़ा (एम. पैक्स.) के विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., खैरी (एम. पैक्स.) के लिये प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का हस्तांतरण होने तक प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., साँईखेड़ा (एम. पैक्स.) के प्रशासक/संचालक मण्डल के मार्गदर्शन में कार्य करेगी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 34(1) के अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-2471)

रायसेन, दिनांक 29 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 एवं 16 के अंतर्गत]

क्र.—पंजीयन—पुनर्गठन—2025—264.— आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 के द्वारा प्रदेश की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के संबंध में भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय की मंशा अनुरूप ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स के पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी की बैठक में जिले की 11 पैक्स संस्थाओं में से 17 नवीन पैक्स के गठन हेतु निर्णय लिया गया, जिसमें बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कुण्डाली का पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, करस्बा बम्हौरी का गठन करने का निर्णय भी सम्मिलित था। तत्पश्चात् शासन के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) तथा अपर कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित DCDC की उप समिति—ज्वाइंट वर्किंग कमेटी (JWC) की बैठकों में भी उक्तानुसार निर्णय पारित किये गये।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के उक्त निर्देशों एवं कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी—DCDC/JWC की बैठकों में लिए गये निर्णय अनुसार प्रभावित बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कुण्डाली पंजीयन क्रमांक—1672, दिनांक 27 अक्टूबर 1958 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—838 रायसेन, दिनांक 12 दिसंबर 2023 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) एवं धारा 16 (5) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के समस्त सदस्यों को अध्यापेक्षा/सूचना—पत्र जारी कर अपेक्षा की गई थी कि एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि वे परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जायें अथवा प्रभावित सोसायटी में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों को बने रहने दें।

अध्यापेक्षा—पत्र में प्रभावित और परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र का निम्नानुसार उल्लेख किया गया था:—

क्रमांक	वर्तमान समिति का नाम (प्रभावित संस्था)	समिति अंतर्गत ग्राम के नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम की ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कुण्डाली	कुण्डाली, जाम, सियलवाडा, चोरपिपलिया, नयाखेडा, बाजनी रमपुरा, खिरकाघाटी, कोठरी, गगनवाडा, डुगरिया, करतौली, केसली।	करस्बा बम्हौरी	करस्बा, बम्हौरी, भैंसरा, पहरिया, सीतापार, भजिया, कुकबाडा, रमगढा, जैतगढ़, बिलाई, पौढ़ी बेलगांव, सलैया।	करस्बा बम्हौरी, पहरिया, सीतापार।

उपरोक्त अध्यापेक्षा—पत्र के सम्बन्ध में प्रभावित प्राथमिक कृषि साख सहकारी साख संस्था मर्यादित, कुण्डाली के दिनांक 27 मार्च 2025 को संस्था की आमसभा आयोजित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित करस्बा बम्हौरी (एम—पैक्स) के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया था, किन्तु पैक्स पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रारूप 'ब' एवं प्रारूप 'स' में जानकारी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में पुनर्गठन योजना का अनुमोदन नहीं कराने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक—साख—2025—146, रायसेन, दिनांक 7 मार्च 2025 से संस्था के पुनर्गठन हेतु प्रभावित संस्था के सदस्यों को पुनः पत्र जारी किया गया तथा पुनर्गठन हेतु आयुक्त, सहकारिता मध्यप्रदेश भोपाल के परिपत्रों तथा अधिनियम एवं नियम के अनुसार वांछित जानकारी, निर्धारित प्रारूप अनुमोदन करने एवं शेष रहे विषयों पर चर्चा कर निर्णय लेने हेतु प्रभावित संस्था से विशेष साधारण सभा आयोजित करने की अपेक्षा की गई। उक्त अध्यापेक्षा—पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु पत्र क्रमांक—पंजीयन—2025—182, रायसेन, दिनांक 29 मार्च 2025 को प्रेषित किया गया है।

प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कुण्डाली के द्वारा उक्त अध्यापेक्षा के संबंध में सदस्यों को विशेष साधारण सभा की सूचना एवं पुनर्गठन हेतु अपेक्षित विषयों पर निर्णय लेने के लिये निम्नानुसार सूचना—पत्र दिनांक 7 मार्च 2025 जारी कर विशेष साधारण सभा दिनांक 27 मार्च 2025 को आयोजित की गई।

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कस्बा बम्हौरी (एम—पैक्स) का गठन करने हेतु निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के ग्राम तथा परिणामी संस्था के मुख्यालय निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं:—

क्रमांक	प्रभावित संस्था			परिणामी संस्था			
	नाम	कार्यक्षेत्र के नाम	ग्राम पंचायत	नाम	संस्था मुख्यालय	कार्यक्षेत्र के ग्राम	ग्राम पंचायत
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कुण्डाली	कुण्डाली, जाम; सियलवाडा, चोरपिपलिया, नयाखेडा, बाजनी, रमपुरा खिरकाघाटी, कोठरी, गगनवाडा, डुगरिया, करतौली, केसली ली.	कुण्डाली, सियलवाडा, करतौली, पड़रियाकला.	कस्बा बम्हौरी	कस्बा बम्हौरी, मैसरा, पहरिया, सीतापार, भजिया, कुकबाडा, रमगढा, जैतगढ़, बिलाई, पौढी, बेलगांव सलैया।	कस्बा बम्हौरी, पहरिया, सीतापार,	कस्बा बम्हौरी, पहरिया, सीतापार.

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में संस्था के पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रस्तावित संस्था की जानकारी, प्रारूप 'ब' परिणामी संस्था की जानकारी तथा प्रारूप 'स' संस्था में कार्यरत कर्मचारी एवं संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी अनुमोदित की गई।

विशेष साधारण सभा में प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में संशोधन बाबद निर्णय पारित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 7 के उपनियम (3) अंतर्गत निर्धारित प्रारूप बी/ख, सी/ग एवं डी/घ अनुमोदित किया गया तथा परिणामी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कस्बा बम्हौरी की आदर्श उपविधियां अंगीकृत की गई हैं।

विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था के आगामी पाँच वर्ष के लिये कार्ययोजना को अनुमोदित कर प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था की लेनदारी एवं देनदारी, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन हेतु अपैक्स बैंक के पत्र क्रमांक—2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर एसओपी के अनुसार किये जाने का निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्तानुसार आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा दिये गये निर्देशों, कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति/कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति DCDC एवं अपर कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की उप समिति ज्वार्इट वर्किंग कमेटी JWC की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) एवं 16 (5) के अन्तर्गत की गई अध्यापेक्षा के संबंध में प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कुण्डाली की विशेष साधारण सभा दिनांक 27 मार्च 2025 में संस्था के पुनर्गठन की योजना स्वीकृत की जाकर प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किये जाने का निर्णय पारित किया गया है तथा पुनर्गठन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर मेरे मत से प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किया जाकर परिणामी संस्था पंजीकृत किया जाना सदस्यों के हित में आवश्यक हो गया है।

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अंतर्गत, जिसकी शक्तियां मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99 पन्द्रह—1—सी, 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ छविकांत वाघमारे, उप—पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्वारा प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कुण्डाली पंजीयन क्रमांक—1672, दिनांक 27 अक्टूबर 1958, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन के पुनर्गठन योजना को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

1. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कुण्डाली पंजीयन क्रमांक—1672, दिनांक 27 अक्टूबर 1958 का नाम एवं पंजीयन क्रमांक यथावत रहेगा। संस्था का मुख्यालय ग्राम कुण्डाली, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन रहेगा। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 11 (2) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार संशोधन स्वीकृत कर पंजीबद्ध किया जाता है, तदनुसार प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा।

क्रमांक	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में समिलित ग्राम	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में समिलित ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)
1	कुण्डाली, जाम, करतौली, कैसली, चौरपिपरिया गगनबाड़ा, खिरकाघाटी, नयाखेड़ा, सियलबाड़ा, दुगरिया, रमपुरा, वाजनी, कोठरी.	कुण्डाली, सियलबाड़ा, करतौली, पडरिया कला

2. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., कस्बा बम्हौरी (एम. पैक्स.) का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 (1) के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है, नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., कस्बा बम्हौरी का पंजीयन क्रमांक—DR—RSN—1594 दिनांक 29 अप्रैल 2025 है। संस्था का मुख्यालय ग्राम कस्बा बम्हौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश होगा। संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:-

क्रमांक	परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र में समिलित ग्राम	ग्राम पंचायत
1	कस्बा बम्हौरी, भैंसरा, पहरिया, सीतापार, भजिया, कुकबाड़ा, रमगंडा, जैतगढ़, बिलाई, पौढ़ी, बेलगांव, सलैया	कस्बा बम्हौरी, पहरिया, सीतापार

3. प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कुण्डाली की विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., कस्बा बम्हौरी (एम. पैक्स.) की आदर्श उपविधि अंगीकृत की गई है, जिसे अनुमोदित एवं पंजीबद्ध किया जाता है।

4. नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कस्बा बम्हौरी (एम. पैक्स.) का वर्गीकरण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 के अंतर्गत "संसाधन सोसायटी" के अंतर्गत किया जाता है।

5. प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के पुनर्गठन की कार्यवाही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार की जावें। प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कुण्डाली (एम. पैक्स.) की विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, सदस्यों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन अपैक्स बैंक भोपाल के पत्र क्रमांक—2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) के अनुसार नियत समय—सीमा में महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायसेन के मार्गदर्शन में पूर्ण किया जावें। उक्त विभाजन के उपरान्त परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., कस्बा बम्हौरी (एम. पैक्स.) अपना कार्य प्रारंभ करेगी।

6. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., कस्बा बम्हौरी (एम. पैक्स.) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि, संस्था पर लागू होने वाले अन्य अधिनियम तथा नियमों के अनुबन्धों, शासन एवं शासकीय विभागों/अधिकारियों द्वारा समय—समय पर जारी किये गए अथवा जारी किये जाने वाले परिपत्रों/निर्देशों तथा लगाई गई शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., कुण्डाली (एम. पैक्स.) के विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., कस्बा बम्हौरी (एम. पैक्स) के लिये प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का हस्तांतरण होने तक प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., कुण्डाली (एम. पैक्स.) के प्रशासक/संचालक मण्डल के मार्गदर्शन में कार्य करेगी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 341 के अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

रायसेन, दिनांक 29 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 एवं 16 के अंतर्गत]

क्र.—पंजीयन—पुनर्गठन—2025—265.— आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 के द्वारा प्रदेश की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के संबंध में भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय की मंशा अनुरूप ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स के पुनर्गठन हेतु कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी की बैठक में जिले की 11 पैक्स संस्थाओं में से 17 नवीन पैक्स का गठन हेतु निर्णय लिया गया, जिसमें बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित,, वर्धा बम्होरी का पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित., पड़रिया का गठन करने का निर्णय भी सम्मिलित था। तत्पश्चात् शासन के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) तथा अपर कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित DCDC की उप समिति—ज्वाइट वर्किंग कमेटी (JWC) की बैठकों में भी उक्तानुसार निर्णय पारित किय गये।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के उक्त निर्देशों एवं कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी—DCDC—JWC की बैठकों में लिए गये निर्णय अनुसार प्रभावित बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, वर्धा बम्होरी पंजीयन क्रमांक 04 दिनांक 20 जनवरी 1960 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—838 रायसेन दिनांक 12 दिसम्बर 2023 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) एवं धारा 16 (5) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के समस्त सदस्यों को अध्यापेक्षा/सूचना पत्र जारी कर अपेक्षा की गई थी कि एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि वे परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जायें अथवा प्रभावित सोसायटी में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों को बने रहने दें।

अध्यापेक्षा—पत्र में प्रभावित और परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र का निम्नानुसार उल्लेख किया गया था—

क्रमांक (1)	वर्तमान समिति का नाम (प्रभावित संस्था) (2)	समिति अंतर्गत ग्राम के नाम (परिणामी संस्था) (3)	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था) (4)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम (5)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम पंचायत (6)
1.	वर्धा बम्होरी	वर्धा बम्होरी, सिंगोटा, उमरझिर बुढ़ा, पाला, चंद्रपुरा, रिमझा, मनकवाड़ा।	पड़रिया	पड़रिया खुर्द, कीरतपुर, रमपुराकला रमपुरा, दाखली, खमरिया, बरेली,	पड़रिया, कीरतपुर रमपुराकला, दैनी।

उपरोक्त अध्यापेक्षा—पत्र के सम्बन्ध में प्रभावित प्राथमिक कृषि साख सहकारी साख संस्था मर्यादित वर्धा बम्होरी के द्वारा दिनांक 28 मार्च 2025 को संस्था की आमसभा आयोजित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित पड़रिया (एम—पैक्स) के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया था, किन्तु पैक्स पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रारूप 'ब' एवं प्रारूप 'स' में जानकारी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में पुनर्गठन योजना का अनुमोदन नहीं कराने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक—साख—2025—145 रायसेन दिनांक 7 मार्च 2025 से संस्था के पुनर्गठन हेतु प्रभावित संस्था के सदस्यों को पुनः पत्र जारी किया गया तथा पुनर्गठन हेतु आयुक्त, सहकारिता, मध्यप्रदेश, भोपाल के परिपत्रों तथा अधिनियम एवं नियम के अनुसार वांछित जानकारी, निर्धारित प्रारूप अनुमोदन करने एवं शेष रहे विषयों पर चर्चा कर निर्णय लेने हेतु प्रभावित संस्था से विशेष साधारण सभा आयोजित करने की अपेक्षा की गई। उक्त अध्यापेक्षा पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु पत्र क्रमांक—पंजीयन—2025—182, रायसेन, दिनांक 29 मार्च 2025 को प्रेषित किया गया है।

प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित वर्धा बम्होरी के द्वारा उक्त अध्यापेक्षा के संबंध में सदस्यों को विशेष साधारण सभा की सूचना एवं पुनर्गठन हेतु अपेक्षित विषयों पर निर्णय लेने के लिये निम्नानुसार सूचना—पत्र दिनांक 7 मार्च 2025 को जारी कर विशेष साधारण सभा दिनांक 28 मार्च 2025 को आयोजित की गई।

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित पड़रिया (एम—पैक्स) का गठन करने हेतु निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के ग्राम तथा परिणामी संस्था के मुख्यालय निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं:—

क्रमांक	प्रभावित संस्था				परिणामी संस्था		
	नाम	कार्यक्षेत्र के नाम	ग्राम पंचायत	नाम	संस्था मुख्यालय	कार्यक्षेत्र के ग्राम	ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	वर्धा बम्होरी	वर्धा बम्होरी, सिंगोटा, उमरझिर, बुढ़ा, पाला, चंद्रपुरा, वर्धा, रिमझा, मनकवाड़ा,	वर्धा, बम्होरी मनकवाड़ा	पड़रिया	पड़रिया खुर्द, कीरतपुर, रमपुरा कला, रमपुरा, दाखली, खमरिया, बरेती, दैनी।	पड़रिया खुर्द, कीरतपुर, रमपुरा कला, रमपुरा, दाखली, खमरिया, बरेती, दैनी।	पड़रिया, कीरतपुर, रमपुराकला।

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में संस्था के पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रस्तावित संस्था की जानकारी, प्रारूप 'ब' परिणामी संस्था की जानकारी तथा प्रारूप 'स' संस्था में कार्यरत कर्मचारी एवं संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी अनुमोदित की गई।

विशेष साधारण सभा में प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में संशोधन बाबद निर्णय पारित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 7 के उपनियम (3) अंतर्गत निर्धारित प्रारूप बी/ख, सी/ग एवं डी/घ अनुमोदित किया गया तथा तथा परिणामी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित। पड़रिया की आदर्श उपविधियां अंगीकृत की गई हैं।

विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था के आगामी पाँच वर्ष के लिये कार्ययोजना को अनुमोदित कर प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था की लेनदारी एवं देनदारी, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन हेतु अपैक्स बैंक के पत्र क्रमांक 2661 दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर एसओपी के अनुसार किये जाने का निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्तानुसार आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा दिये गये निर्देशों, कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति/कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति DCDC एवं अपर कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की उप समिति ज्याइंट वर्किंग कमेटी JWC की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 (3) एवं 16 (5) के अन्तर्गत की गई अध्यापेक्षा के सम्बन्ध में प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित। वर्धा बम्होरी की विशेष साधारण सभा दिनांक 28 मार्च 2025 में संस्था के पुनर्गठन की योजना स्वीकृत की जाकर प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किये जाने का निर्णय पारित किया गया है तथा पुनर्गठन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर मेरे मत से प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किया जाकर परिणामी संस्था पंजीकृत किया जाना सदस्यों के हित में आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अंतर्गत, जिसकी शक्तियां मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक—एफ—५—१—९९ पन्द्रह—१—सी, 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. छविकांत वाघमारे, उप—पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन, एतद्वारा प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित वर्धा बम्होरी पंजीयन क्रमांक 04, दिनांक 20 जनवरी 1960 तहसील सिलवानी जिला रायसेन के पुनर्गठन योजना को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

1. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, वर्धा बम्होरी पंजीयन क्रमांक 04 दिनांक 20 जनवरी 1960 का नाम एवं पंजीयन क्रमांक यथावत रहेगा। संस्था का मुख्यालय ग्राम वर्धा बम्होरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन रहेगा। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 11(2) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार संसाधन स्वीकृत कर पंजीबद्ध किया जाता है, तदनुसार प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:-

क्रमांक	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत
1	वर्धा बम्होरी, सिंगोटा, उमरझिर, बुढ़ा, पाला, चंद्रपुरा, वर्धा रिमझा, मनकवाड़ा	वर्धा, बम्होरी, मनकवाड़ा

2. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., पड़रिया (एम. पैक्स.) का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 9 (1) के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है, नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या पड़रिया का पंजीयन क्रमांक-DR-RSN-1595 दिनांक 29 अप्रैल 2025 है।

संस्था का मुख्यालय ग्राम पड़रिया तहसील सिलवानी जिला रायसेन (म.प्र.) होगा। संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:-

क्रमांक	परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम	ग्राम पंचायत
1	पड़रिया खुर्द, कीरतपुर, रमपुराकला, रमपुरा दाखली, खमरिया, बरेली, दैनी	पड़रिया, कीरतपुर, रमपुराकला

3. प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, वर्धा बम्होरी की विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. पड़रिया (एम. पैक्स.) की आदर्श उपविधि अंगीकृत की गई है, जिसे अनुमोदित एवं पंजीबद्ध किया जाता है।

4. नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पड़रिया (एम. पैक्स.) का वर्गीकरण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 के अंतर्गत "संसाधन सोसायटी" के अंतर्गत किया जाता है।

5. प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के पुनर्गठन की कार्यवाही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार की जावें। प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, वर्धा बम्होरी (एम. पैक्स.) की विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, सदस्यों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन अपैक्स बैंक भोपाल के पत्र क्रमांक 2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) के अनुसार नियत समय-सीमा में महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायसेन के मार्गदर्शन में पूर्ण किया जावें। उक्त विभाजन के उपरान्त परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या पड़रिया (एम. पैक्स.) अपना कार्य प्रारंभ करेगी।

6. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या पड़रिया (एम. पैक्स.) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि, संस्था पर लागू होने वाले अन्य अधिनियम तथा नियमों के अनुबन्धों, शासन एवं शासकीय विभागों/अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अथवा जारी किये जाने वाले परिपत्रों/निर्देशों तथा लगाई गई शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या वर्धा बम्होरी (एम. पैक्स.) के विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या पड़रिया (एम. पैक्स.) के लिये प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का हस्तांतरण होने तक प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., वर्धा बम्होरी (एम. पैक्स.) के प्रशासक/संचालक मण्डल के मार्गदर्शन में कार्य करेगी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 34(1) के अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

रायसेन, दिनांक 29 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 एवं 16 के अंतर्गत]

क्र.-साख-पंजीयन-2025-267.—आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 के द्वारा प्रदेश की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के संबंध में भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय की मंशा अनुरूप ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स के पुनर्गठन हेतु कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी की बैठक में जिले की 11 पैक्स संस्थाओं में से 17 नवीन पैक्स का गठन हेतु निर्णय लिया गया, जिसमें बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सॉची का पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिरहौली का गठन करने का निर्णय भी सम्मिलित था। तत्पश्चात् शासन के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) तथा अपर कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित DCDC की उप समिति ज्वाइंट वर्किंग कमेटी (JWC) की बैठकों में भी उक्तानुसार निर्णय पारित किय गये।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के उक्त निर्देशों एवं कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी—DCDC—JWC की बैठकों में लिए गये निर्णय अनुसार प्रभावित बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित सॉची, पंजीयन क्रमांक 288, दिनांक 25 जनवरी 1977 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक—पंजीयन-2023-838 रायसेन दिनांक 12 दिसम्बर 2023, से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) एवं धारा 16 (5) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के समस्त सदस्यों को अध्यापेक्षा/सूचना—पत्र जारी कर अपेक्षा की गई थी कि एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करे कि वे परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों को बने रहने दें।

अध्यापेक्षा—पत्र में प्रभावित और परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र का निम्नानुसार उल्लेख किया गया था:—

क्रमांक (1)	वर्तमान समिति का नाम (प्रभावित संस्था) (2)	समिति अंतर्गत ग्राम के नाम (3)	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था) (4)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम (5)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम की ग्राम पंचायत (6)
1.	सॉची	सॉची, धनियाखेड़ी, ढकना, कमापार काढीकानाखेड़ा, कानाखेड़ा, मठा, मरमटा, मडबाई, पिपिरिया, बिल्हौरी, माची, उचेर, चपना, नोनाखेड़ी, नागौरी, आमखेड़ा, अनहौरी, गुलगांव, मुरलीखेड़ी, नरौदा।	चिरहौली	चिरहौली, ऐरन, वांसखेड़ा, सिलवाहा, फिरौजपुर, सरचंपा, मरमटा, सरचंपा, गुलगांव।	चिरहौली, वासखेड़ा सरचंपा, गुलगांव।

उपरोक्त अध्यापेक्षा—पत्र के सम्बन्ध में प्रभावित प्राथमिक कृषि साख सहकारी साख संस्था मर्यादित, सांची के द्वारा दिनांक 25 मार्च 2025 को संस्था की आमसभा आयोजित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिरहौली (एम-पैक्स) के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया था, किन्तु पैक्स पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रारूप 'ब' एवं प्रारूप 'स' में जानकारी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में पुनर्गठन योजना का अनुमोदन नहीं कराने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक—साख—2025-137 रायसेन दिनांक 7 मार्च 2025 से संस्था के पुनर्गठन हेतु प्रभावित संस्था के सदस्यों को पुनः पत्र जारी किया गया तथा पुनर्गठन हेतु आयुक्त, सहकारिता, मध्यप्रदेश, भोपाल के परिपत्रों तथा अधिनियम एवं नियम के अनुसार वांछित जानकारी, निर्धारित प्रारूप अनुमोदन करने एवं शेष रहे विषयों पर चर्चा कर निर्णय लेने हेतु प्रभावित संस्था से विशेष साधारण सभा आयोजित करने की अपेक्षा की गई। उक्त अध्यापेक्षा—पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु पत्र क्रमांक—पंजीयन—2025—182, रायसेन, दिनांक 29 मार्च 2025 को प्रेषित किया गया है।

प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित सांची के द्वारा उक्त अध्यापेक्षा के संबंध में सदस्यों को विशेष साधारण सभा की सूचना एवं पुनर्गठन हेतु अपेक्षित विषयों पर निर्णय लेने के लिये निम्नानुसार सूचना-पत्र दिनांक 7 मार्च 2025 को जारी कर विशेष साधारण सभा दिनांक 25 मार्च 2025 को आयोजित की गई।

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित चिरहौली (एम-ऐक्स) का गठन करने हेतु निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के ग्राम तथा परिणामी संस्था के मुख्यालय निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं:-

क्रमांक	प्रभावित संस्था			परिणामी संस्था			
	नाम	कार्यक्षेत्र के नाम	ग्राम	नाम	संस्था	कार्यक्षेत्र के ग्राम	ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सांची	सांची, धनियाखेड़ी, ढकला कमापार, काढीकानाखेड़ा, कानाखेड़ा, मठा, मरमटा, मडबाई, पिपिरिया, बिल्हौरी, माची, उचेर, चपना, नोनाखेड़ी, नागौरी, आमखेड़ा, अनहौरी, गुलगांव, मुरलीखेड़ी, नरौद.	सांची, मडबाई गुलगांव, उचेर ढकना चपना, कचनारिया।	चिरहौली	चिरहौली	चिरहौली, ऐरन, वांसखेड़ा, सिलवाहा, फिरौजपुर, सरचंपा मरमटा, सरचंपा, गुलगांव।	चिरहौली, वांसखेड़ा सरचंपा, गुलगांव।

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में संस्था के पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रस्तावित संस्था की जानकारी, प्रारूप 'ब' परिणामी संस्था की जानकारी तथा प्रारूप 'स' संस्था में कार्यरत कर्मचारी एवं संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी अनुमोदित की गई।

विशेष साधारण सभा में प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में संशोधन बाबद निर्णय पारित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 7 के उपनियम (3) अंतर्गत निर्धारित प्रारूप बी/ख, सी/ग एवं डी/घ अनुमोदित किया गया तथा परिणामी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित। चिरहौली की आदर्श उपविधियां अंगीकृत की गई हैं।

विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था के आगामी पाँच वर्ष के लिये कार्ययोजना को अनुमोदित कर प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था की लेनदारी एवं देनदारी, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन हेतु अपैक्स बैंक के पत्र क्रमांक-2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर एसओपी के अनुसार किये जाने का निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्तानुसार आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा दिये गये निर्देशों, कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति / कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति DCDC एवं अपर कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की उप समिति ज्वाईट वर्किंग कमेटी JWC की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) एवं 16 (5) के अन्तर्गत की गई अध्यापेक्षा के सम्बन्ध में प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित सांची की विशेष साधारण सभा दिनांक 25 मार्च 2025 में संस्था के पुनर्गठन की योजना स्वीकृत की जाकर प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किये जाने का निर्णय पारित किया गया है तथा पुनर्गठन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर मेरे मत से प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किया जाकर परिणामी संस्था पंजीकृत किया जाना सदस्यों के हित में आवश्यक हो गया है।

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अंतर्गत, जिसकी शक्तियां मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ छविकांत वाघमारे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन, एतद्वारा प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित सांची पंजीयन क्रमांक-288, दिनांक 25 जनवरी 1977 तहसील रायसेन जिला रायसेन के पुनर्गठन योजना को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता हूँ -

1. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, साँची पंजीयन क्रमांक-288 दिनांक 25 जनवरी 1977 का नाम एवं पंजीयन क्रमांक यथावत रहेगा। संस्था का मुख्यालय ग्राम साँची, तहसील रायसेन, जिला रायसेन रहेगा। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 11(2) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार संशोधन स्वीकृत कर पंजीबद्ध किया जाता है, तदनुसार प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:-

क्रमांक	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)
1	साँची, धनियाखेड़ी, ढकना, कमापार, काढीकानाखेड़ा, कानाखेड़ा, मठा, मरमटा, मढबाई, पिपिरया, बिल्हौरी, माची, उचेर, चपना, नोनाखेड़ी, नागौरी, आमखेड़ा, अनहौरी, गुलगांव, मुरलीखेड़ी, नरौदा,	साँची, मडबाई, गुलगांव, उचेर, ढकना चपना, कचनारिया

2. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., चिरहौली (एम. पैक्स.) का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 (1) के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है, नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., चिरहौली का पंजीयन क्रमांक-DR-RSN-1597 दिनांक 29 अप्रैल 2025 है।

संस्था का मुख्यालय ग्राम चिरहौली, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश होगा। संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:-

क्रमांक	परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम	ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)
1	चिरहौली, ऐरन, वांसखेड़ा, सिलवाहा, फिरौजपुर, सरचंपा, मरमटा, सरचंपा, गुलगांव	चिरहौली, वासखेड़ा, सरचंपा, गुलगांव

3. प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, साँची की विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., चिरहौली (एम. पैक्स.) की आदर्श उपविधि अंगीकृत की गई है, जिसे अनुमोदित एवं पंजीबद्ध किया जाता है।

4. नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिरहौली (एम. पैक्स.) का वर्गीकरण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 के अंतर्गत "संसाधन सोसायटी" के अंतर्गत किया जाता है।

5. प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के पुनर्गठन की कार्यवाही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार की जायें। प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, साँची (एम. पैक्स.) की विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, सदस्यों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन अपैक्स बैंक भोपाल के पत्र क्रमांक-2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) के अनुसार नियत समय सीमा में महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायसेन के मार्गदर्शन में पूर्ण किया जावें। उक्त विभाजन के उपरान्त परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., चिरहौली (एम. पैक्स.) अपना कार्य प्रारंभ करेगी।

6. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., चिरहौली (एम. पैक्स.) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि, संस्था पर लागू होने वाले अन्य अधिनियम तथा नियमों के अनुबन्धों, शासन एवं शासकीय विभागों/अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अथवा जारी किये जाने वाले परिपत्रों/निर्देशों तथा लगाई गई शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., साँची (एम. पैक्स.) के विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., चिरहौली (एम. पैक्स.) के लिये प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का हस्तांतरण होने तक प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., साँची (एम. पैक्स.) के प्रशासक/संचालक मण्डल के मार्गदर्शन में कार्य करेगी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 34(1) के अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

रायसेन, दिनांक 29 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 एवं 16 के अंतर्गत]

क्र.-पंजीयन-पुनर्गठन-2025-268.- आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680 भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 के द्वारा प्रदेश की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के संबंध में भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय की मंशा अनुरूप ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स के पुनर्गठन हेतु कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी की बैठक में जिले की 11 पैक्स संस्थाओं में से 17 नवीन पैक्स के गठन हेतु निर्णय लिया गया, जिसमें बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सुल्तानपुर का पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बगासपुर का गठन करने का निर्णय भी समिलित था। तत्पश्चात् शासन के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) तथा अपर कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित DCDC की उप समिति ज्वाइंट वर्किंग कमेटी (JWC) की बैठकों में भी उक्तानुसार निर्णय पारित किय गये।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के उक्त निर्देशों एवं कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी-DCDC-JWC की बैठकों में लिए गये निर्णय अनुसार प्रभावित बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सुल्तानपुर पंजीयन क्रमांक-394, दिनांक 12 फरवरी 1982 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक-पंजीयन-2023-838 रायसेन दिनांक 12 दिसम्बर 2023 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) एवं धारा 16 (5) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के समस्त सदस्यों को अध्यापेक्षा/सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा की गई थी कि एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि वे परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों को बने रहने दें।

अध्यापेक्षा-पत्र में प्रभावित और परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र का निम्नानुसार उल्लेख किया गया था:-

क्रमांक (1)	वर्तमान समिति का नाम (प्रभावित संस्था) (2)	समिति अंतर्गत ग्राम के नाम (परिणामी संस्था) (3)	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था) (4)	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम के नाम (5)	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम की ग्राम पंचायत (6)
1.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर, मंगरई, सेमरीकलां, राजलसुल्तानपुर, कराघाटी, खमरिया, दारूदगढ़, तजपुरा, ताड़ी, सिवनी, खमरिया, निमावर, बम्होरी, बोरखाड़ी, सतधारा।	बगासपुर	बगासपुर, हिरदुआ, मंजू सखुर्द घाट पिपिलिया, देहगांव खपरिया खापा, मगरधा, पिपलिया मडंवा रमपुरा, जेतपुर, दाते खौखउ, सेमरीखुर्द, सिलारी, चितोड़ा, पूसा, टिमकली, चकावली, झिरपई, पोनिया, केमवाली, पीपलवाली, नीलगढ़, धुंधवानी।	बगासपुर, सेमरी खुर्द, घाटपिपलिया, खपरियाखापा, डुगरिया।

उपरोक्त अध्यापेक्षा-पत्र के सम्बन्ध में प्रभावित प्राथमिक कृषि साख सहकारी साख संस्था मर्यादित, सुल्तानपुर के द्वारा दिनांक 25 मार्च 2025 को संस्था की आमसभा आयोजित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बगासपुर (एम-पैक्स) के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया था, किन्तु पैक्स पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रारूप 'ब' एवं प्रारूप 'स' में जानकारी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में पुनर्गठन योजना का अनुमोदन नहीं कराने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2025-141 रायसेन, दिनांक 7 मार्च 2025 से संस्था के पुनर्गठन हेतु प्रभावित संस्था के सदस्यों को पुनः पत्र जारी किया गया तथा पुनर्गठन हेतु आयुक्त सहकारिता मध्यप्रदेश भोपाल के परिपत्रों तथा अधिनियम एवं नियम के अनुसार बांधित जानकारी, निर्धारित प्रारूप अनुमोदन करने एवं शेष रहे विषयों पर चर्चा कर निर्णय लेने हेतु प्रभावित संस्था से विशेष साधारण सभा आयोजित करने की अपेक्षा की गई। उक्त अध्यापेक्षा-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु पत्र क्रमांक-पंजीयन-2025-182 रायसेन, दिनांक 29 मार्च 2025 को प्रेषित किया गया है।

प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सुल्तानपुर के द्वारा उक्त अध्यापेक्षा के संबंध में सदस्यों को विशेष साधारण सभा की सूचना एवं पुनर्गठन हेतु अपेक्षित विषयों पर निर्णय लेने के लिये निम्नानुसार सूचना—पत्र दिनांक 7 मार्च 2025 को जारी कर विशेष साधारण सभा दिनांक 25 मार्च 2025 को आयोजित की गई।

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बगासपुर (एम-पैक्स) का गठन करने हेतु निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के ग्राम तथा परिणामी संस्था के मुख्यालय निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं:—

क्रमांक	प्रभावित संस्था			परिणामी संस्था			
	नाम	कार्यक्षेत्र के नाम	ग्राम पंचायत	नाम	संस्था मुख्यालय	कार्यक्षेत्र के ग्राम	ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सुल्तान	सुल्तानपुर, मंगरई, सेमरीकला, राजलसुल्तानपुर, कराघाटी, खमरिया, दार्कड़गढ़, तजपुरा, ताड़ी, सिवनी, खमरिया, निमावर बम्हौरी, बोरखाड़ी, सत्तधारा,	सुल्तानपुर, सेमरीकला, राजलसुल्तानपुर, तजपुरा, ताड़ी, खमरिया, निमावर	बगासपुर	बगासपुर, हिरदुआ, मंजूसखुर्द घाट, पिपिलिया, देहगांव, राजलसुल्तानपुर, ताड़ी, खमरिया, निमावर	बगासपुर, हिरदुआ, मंजूसखुर्द घाट, पिपिलिया, देहगांव, खपरियाखापा, मगरस्था पिपलिया, खपरियाखापा, मंडवा, रमपुरा, जेतपुर, दातेखो, सेमरीखुर्द, सिलारी, चितोड़ा, पूसा, टिमकली, चकावली, झिरपझ, पोनिया, केमवाली, पीपलवाली, नीलगढ़, धुधवानी।	बगासपुर, सेमरी खुर्द, घाटपिपलिया, खुर्द, घाटपिपलिया, खपरियाखापा, मगरस्था पिपलिया, खपरियाखापा, मंडवा, रमपुरा, जेतपुर, दातेखो, झुगरिया, सेमरीखुर्द, सिलारी, चितोड़ा, पूसा, टिमकली, चकावली, झिरपझ, पोनिया, केमवाली, पीपलवाली, नीलगढ़, धुधवानी।

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में संस्था के पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रस्तावित संस्था की जानकारी, प्रारूप 'ब' परिणामी संस्था की जानकारी तथा प्रारूप 'स' संस्था में कार्यरत कर्मचारी एवं संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी अनुमोदित की गई।

विशेष साधारण सभा में प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में संशोधन बाबद निर्णय पारित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 7 के उपनियम 3 अंतर्गत निर्धारित प्रारूप बी/ख, सी/ग एवं डी/घ अनुमोदित किया गया तथा तथा परिणामी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बगासपुर की आदर्श उपविधिया अंगीकृत की गई हैं।

विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था के आगामी पाँच वर्ष के लिये कार्ययोजना को अनुमोदित कर प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था की लेनदारी एवं देनदारी, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन हेतु अपैक्स बैंक के पत्र क्रमांक-2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर एसओपी के अनुसार किये जाने का निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्तानुसार आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा दिये गये निर्देशों, कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति/कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति DCDC एवं अपर कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की उप समिति ज्यांईट वर्किंग कमेटी JWC की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) एवं 16 (5) के अन्तर्गत की गई अध्यापेक्षा के सम्बन्ध में प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सुल्तानपुर की विशेष साधारण सभा दिनांक 25 मार्च 2025 में संस्था के पुनर्गठन की योजना स्वीकृत की जाकर प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किये जाने का निर्णय पारित किया गया है तथा पुनर्गठन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर मेरे मत से प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किया जाकर परिणामी संस्था पंजीकृत किया जाना सदस्यों के हित में आवश्यक हो गया है।

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अंतर्गत, जिसकी शक्तियां मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ छविकांत वाघमारे, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्वारा प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सुल्तानपुर पंजीयन क्रमांक-394 दिनांक 12 फरवरी 1982 तहसील सुल्तानपुर जिला रायसेन के पुनर्गठन योजना को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता हूँ:—

1. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सुल्तानपुर, पंजीयन क्रमांक—394, दिनांक 12 फरवरी 1982 का नाम एवं पंजीयन क्रमांक यथावत् रहेगा। संस्था का मुख्यालय ग्राम रायसेन, तहसील सुल्तानपुर, जिला रायसेन रहेगा। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 11(2) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार संशोधन स्वीकृत कर पंजीबद्ध किया जाता है, तदनुसार प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:—

क्रमांक (1)	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम (2)	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत (3)
1	सुल्तानपुर, मंगरई, सेमरीकंला, राजलसुल्तानपुर, कराघाटी, खमरिया, दारूदगढ़, तजपुरा, ताडी सिवनी, खमरिया निमावर, बम्हैरी, बोरखाड़ी, सतधारा.	सुल्तानपुर, सेमरीकंला, राजलसुल्तानपुर, ताडी, खमरिया निमावर.

2. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बगासपुर (एम. पैक्स.) का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 (1) के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है, नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बगासपुर का पंजीयन क्रमांक DR-RSN-1598 दिनांक 29 अप्रैल 2025 है।

संस्था का मुख्यालय ग्राम बगासपुर, तहसील सुल्तानपुर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश होगा। संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:—

क्रमांक (1)	परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम (2)	ग्राम पंचायत (3)
1.	बगासपुर, हिरदुआ, मंजूसखुर्द, घाट पिपिलिया, देहगांव, खपरियाखापा, मगरधा पिपिलिया, मड़वा रमपुरा, जेतपुर दातेखो, सेमरीखुर्द, सिलारी, चितोडा, पूसा, टिमकली, चकावाली, झिरपई, पोनिया, केमवाली, पीपलवाली, नीलगढ़, धुंधवानी.	बगासपुर, सेमरीखुर्द, घाटपिपिलिया, खपरियाखापा, छुगरिया.

3. प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सुल्तानपुर की विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बगासपुर (एम. पैक्स.) की आदर्श उपविधि अंगीकृत की गई है, जिसे अनुमोदित एवं पंजीबद्ध किया जाता है।

4. नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बगासपुर (एम. पैक्स.) का वर्गीकरण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 के अंतर्गत "संसाधन सोसायटी" के अंतर्गत किया जाता है।

5. प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के पुनर्गठन की कार्यवाही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार की जावें। प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सुल्तानपुर (एम. पैक्स.) की विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, सदस्यों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन अपैक्स बैंक भोपाल के पत्र क्रमांक—2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) के अनुसार नियत समय सीमा में महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सुल्तानपुर के मार्गदर्शन में पूर्ण किया जावें। उक्त विभाजन के उपरान्त परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बगासपुर (एम. पैक्स.) अपना कार्य प्रारंभ करेगी।

6. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बगासपुर (एम. पैक्स.) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि, संस्था पर लागू होने वाले अन्य अधिनियम तथा नियमों के अनुबन्धों, शासन एवं शासकीय विभागों/अधिकारियों द्वारा समय—समय पर जारी किये गए अथवा जारी किये जाने वाले परिपत्रों/निर्देशों तथा लगाई गई शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सुल्तानपुर (एम. पैक्स.) के विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बगासपुर (एम. पैक्स.) के लिये प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का हस्तांतरण होने तक प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सुल्तानपुर (एम. पैक्स.) के प्रशासक/संचालक मण्डल के मार्गदर्शन में कार्य करेगी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 34(1) के अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

रायसेन, दिनांक 29 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 एवं 16 के अंतर्गत]

क्र.-पंजीयन—पुनर्गठन—2025—269.—आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680 भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 के द्वारा प्रदेश की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के संबंध में भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय की मंशा अनुरूप ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स के पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी की बैठक में जिले की 11 पैक्स संस्थाओं में से 17 नवीन पैक्स के गठन हेतु निर्णय लिया गया, जिसमें बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गुगलवाड़ा का पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, समनापुर काछी का गठन करने का निर्णय भी समिलित था। तत्पश्चात् शासन के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) तथा अपर कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित DCDC की उप समिति ज्वाइंट वर्किंग कमेटी (JWC) की बैठकों में भी उक्तानुसार निर्णय पारित किये गये।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के उक्त निर्देशों एवं कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी—DCDC—JWC की बैठकों में लिए गये निर्णय अनुसार प्रभावित बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गुगलवाड़ा पंजीयन क्रमांक—280, दिनांक 25 जनवरी 1977 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—838, रायसेन, दिनांक 12 दिसम्बर 2023. से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) एवं धारा 16 (5) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के समस्त सदस्यों को अध्यापेक्षा/सूचना—पत्र जारी कर अपेक्षा की गई थी कि एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करे कि वे परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जायें अथवा प्रभावित सोसायटी में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों को बने रहने दें।

अध्यापेक्षा—पत्र मे प्रभावित और परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र का निम्नानुसार उल्लेख किया गया था:—

क्रमांक (1)	वर्तमान समिति का नाम (प्रभावित संस्था) (2)	समिति अंतर्गत ग्राम के नाम (परिणामी संस्था) (3)	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था) (4)	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम के नाम (5)	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम की पंचायत (6)
1.	गुगलवाड़ा गुगलवाड़ा, जमनिया, शिवलता, सैमरी खौजरी, गाजीखेड़ी, सिलगेना, इमलिया, चंदवार, कोडरी।	समनापुर काछी, झूवतलाई, चंदपुरा	समनापुर काछी, झूवतलाई, चंदपुरा, काछी, भीष्टी, मौकलवाड़ा, खुरपाटनी, रानीपुरा, कटकाशी, जैतपुरा।	समनापुर काछी, रानीपुरा, मैकलवाड़ा।	

उपरोक्त अध्यापेक्षा—पत्र के सम्बन्ध में प्रभावित प्राथमिक कृषि साख सहकारी साख संस्था मर्यादित, गुगलवाड़ा के द्वारा दिनांक 25 मार्च 2025 को संस्था की आमसभा आयोजित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, समनापुर काछी (एम—पैक्स) के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया था, किन्तु पैक्स पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रारूप 'ब' एवं प्रारूप 'स' में जानकारी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में पुनर्गठन योजना का अनुमोदन नहीं कराने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक—साख—2025—143, रायसेन, दिनांक 7 मार्च 2025 से संस्था के पुनर्गठन हेतु प्रभावित संस्था के सदस्यों को पुनः पत्र जारी किया गया तथा पुनर्गठन हेतु आयुक्त, सहकारिता, मध्यप्रदेश भोपाल के परिपत्रों तथा अधिनियम एवं नियम के अनुसार वांछित जानकारी, निर्धारित प्रारूप अनुमोदन करने एवं शेष रहे विषयों पर चर्चा कर निर्णय लेने हेतु प्रभावित संस्था से विशेष साधारण सभा आयोजित करने की अपेक्षा की गई। उक्त अध्यापेक्षा—पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु पत्र क्रमांक—पंजीयन—2025—182, रायसेन, दिनांक 29 मार्च 2025 को प्रेषित किया गया है।

प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गुगलवाडा के द्वारा उक्त अध्यापेक्षा के संबंध में सदस्यों को विशेष साधारण सभा की सूचना एवं पुनर्गठन हेतु अपेक्षित विषयों पर निर्णय लेने के लिये निम्नानुसार सूचना—पत्र दिनांक 7 मार्च 2025 को जारी कर विशेष साधारण सभा दिनांक 25 मार्च 2025 को आयोजित की गई।

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, समनापुर काढी (एम—ऐक्स) का गठन करने हेतु निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के ग्राम तथा परिणामी संस्था के मुख्यालय निम्नानुसार निर्धारित किये गए हैं:—

क्रमांक	प्रभावित संस्था			परिणामी संस्था			
	नाम	कार्यक्षेत्र के नाम	ग्राम पंचायत	नाम	संस्था	कार्यक्षेत्र के ग्राम	ग्राम पंचायत
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	गुगलवाडा	गुगलवाडा, जमनिया, शिवतला, सैमरी खौजरी, गाजीखेड़ी, सिलगोना, इमलिया, चंदपुरा, कोडरी,	गुगलवाडा, जमनिया, शिवतला, काढी, सैमरी खौजरा, गाजीखेड़ी,	समनापुर	समनापुर काढी, छूवतलाई, चंदपुरा, भीस्टी, सैमरी, खुपाटनी, रानीपुरा, कटाकाशी, जैतपुरा,	समनापुर काढी, छूवतलाई, चंदपुरा, भीस्टी, गौकलवाडा, खुपाटनी, रानीपुरा, कटाकाशी, जैतपुरा,	समनापुर काढी, रानीपुरा, गैकलवाडा.

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में संस्था के पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रस्तावित संस्था की जानकारी, प्रारूप 'ब' परिणामी संस्था की जानकारी तथा प्रारूप 'स' संस्था में कार्यरत कर्मचारी एवं संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी अनुमोदित की गई।

विशेष साधारण सभा में प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में संशोधन बाबद निर्णय पारित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 7 के उपनियम (3) अंतर्गत निर्धारित प्रारूप बी/ख, सी/ग एवं डी/ध अनुमोदित किया गया तथा परिणामी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, समनापुर काढी की आदर्श उपविधियां अंगीकृत की गई हैं।

विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था के आगामी पांच वर्ष के लिये कार्ययोजना को अनुमोदित कर प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था की लेनदारी एवं देनदारी, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन हेतु अपैक्स बैंक के पत्र क्रमांक—2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर एसओपी के अनुसार किये जाने का निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्तानुसार आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा दिये गये निर्देशों, कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति/कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति DCDC एवं अपर कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की उप समिति ज्वाइंट वर्किंग कमेटी JWC की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) एवं 16 (5) के अन्तर्गत की गई अध्यापेक्षा के सम्बन्ध में प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गुगलवाडा की विशेष साधारण सभा दिनांक 25 मार्च 2025 में संस्था के पुनर्गठन की योजना स्वीकृत की जाकर प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किये जाने का निर्णय पारित किया गया है तथा पुनर्गठन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर मेरे मत से प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किया जाकर परिणामी संस्था पंजीकृत किया जाना सदस्यों के हित में आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अंतर्गत, जिसकी शक्तियां मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99, पन्द्रह—1—सी, 26 जुलाई 1999 (यथा—संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, मैं डॉ छविकांत वाघमारे, उप—पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन, एतद्वारा प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गुगलवाडा पंजीयन क्रमांक—280, दिनांक 25 जनवरी 1977 तहसील वाडी, जिला रायसेन के पुनर्गठन योजना को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

1. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गुगलवाडा पंजीयन क्रमांक—280, दिनांक 25 जनवरी 1977 का नाम एवं पंजीयन क्रमांक यथावत् रहेगा। संस्था का मुख्यालय ग्राम रायसेन, तहसील वाडी, जिला रायसेन रहेगा। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 11(2) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार संशोधन स्वीकृत कर पंजीबद्ध किया जाता है, तदनुसार प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:—

क्रमांक	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)
1	गुगलवाडा, जमनिया, शिवतला, सैमरी खौजरा, गाजीखेड़ी, सिलगेना, इमलिया, चंदवार, कोडरी.	गुगलवाडा, जमनिया, शिवतला, सैमरी खौजरा, गाजीखेड़ी.

2. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., समनापुर काढी (एम. पैक्स.) का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 (1) के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है, नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., समनापुर काढी का पंजीयन क्रमांक DR-RSN-1599, दिनांक 29 अप्रैल 2025 है। संस्था का मुख्यालय ग्राम समनापुर काढी, तहसील वाडी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश होगा। संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:-

क्रमांक	परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम	ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)
1	समनापुर काढी, झूवतलाई, चंदपुरा, भीष्टी, मौकलवाडा, खुरपाटनी, रानीपुरा, कटकाश्री, जैतपुरा.	समनापुर काढी, रानीपुरा, मैकलवाडा.

3. प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गुगलवाडा की विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., समनापुर काढी (एम. पैक्स.) की आदर्श उपविधि अंगीकृत की गई है, जिसे अनुमोदित एवं पंजीबद्ध किया जाता है।

4. नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, समनापुर काढी (एम. पैक्स.) का वर्गीकरण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 के अंतर्गत "संसाधन सोसायटी" के अंतर्गत किया जाता है।

5. प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के पुनर्गठन की कार्यवाही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार की जावें। प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गुगलवाडा (एम. पैक्स.) की विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, सदस्यों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन अपैक्स बैंक, भोपाल के पत्र क्रमांक-2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) के अनुसार नियत समय सीमा में महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, गुगलवाडा के मार्गदर्शन में पूर्ण किया जावें। उक्त विभाजन के उपरान्त परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., समनापुर काढी (एम. पैक्स.) अपना कार्य प्रारंभ करेगी।

6. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., समनापुर काढी (एम. पैक्स.) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि, संस्था पर लागू होने वाले अन्य अधिनियम तथा नियमों के अनुबन्धों, शासन एवं शासकीय विभागों/अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अथवा जारी किये जाने वाले परिपत्रों/निर्देशों तथा लगाई गई शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., गुगलवाडा (एम. पैक्स.) का विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., समनापुर काढी (एम. पैक्स.) के लिये प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का हस्तांतरण होने तक प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., गुगलवाडा (एम. पैक्स.) के प्रशासक/संचालक मण्डल के मार्गदर्शन में कार्य करेगी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 34(1) के अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

रायसेन, दिनांक 29 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 एवं 16 के अंतर्गत]

क्र.—पंजीयन—पुनर्गठन—2025—270.—आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680 भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 के द्वारा प्रदेश की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के संबंध में भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय की मंशा अनुरूप ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स के पुनर्गठन हेतु कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी की बैठक में जिले की 11 पैक्स संस्थाओं में से 17 नवीन पैक्स के गठन हेतु निर्णय लिया गया, जिसमें बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, भैसाया का पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दिग्वाड़ का गठन करने का निर्णय भी सम्मिलित था। तत्पश्चात् शासन के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) तथा अपर कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित DCDC की उप समिति—ज्वाइंट वर्किंग कमेटी (JWC) की बैठकों में भी उक्तानुसार निर्णय पारित किये गये।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के उक्त निर्देशों एवं कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी—DCDC—JWC की बैठकों में लिए गये निर्णय अनुसार प्रभावित बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, भैसाया पंजीयन क्रमांक—282 दिनांक 25 जनवरी 1977 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—838, रायसेन दिनांक 12 दिसम्बर 2023 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) एवं धारा 16 (5) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के समस्त सदस्यों को अध्यापेक्षा/सूचना—पत्र जारी कर अपेक्षा की गई थी कि एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि ये परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों को बने रहने दें।

अध्यापेक्षा—पत्र में प्रभावित और परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र का निम्नानुसार उल्लेख किया गया था:—

क्रमांक	वर्तमान समिति का नाम (प्रभावित संस्था)	समिति अंतर्गत ग्राम के नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भैसाया	भैसाया, कुलहाड़िया, केवलाज़िर, वितली, मांगरोल, दामादेही बहरावन, मालज़िर, लखनपुर, कड़कादेहरी।	दिग्वाड़	दिग्वाड़, छैनाकछारा, पथरई, नानपोन, विक्रममढ़या, कुटनासिर, सगौनिया, अरका, सुल्ताननगर खां डावर।	दिग्वाड़, नानपौन कुटनासिर, सगौनिया, सुल्ताननगर

उपरोक्त अध्यापेक्षा—पत्र के सम्बन्ध में प्रभावित प्राथमिक कृषि साख सहकारी साख संस्था मर्यादित, भैसाया के द्वारा दिनांक 26 मार्च 2025 को संस्था की आमसभा आयोजित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दिग्वाड़ (एम—पैक्स) के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया था, किन्तु पैक्स पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रारूप 'ब' एवं प्रारूप 'स' में जानकारी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में पुनर्गठन योजना का अनुमोदन नहीं कराने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक—साख—2025—142 रायसेन, दिनांक 7 मार्च 2025 से संस्था के पुनर्गठन हेतु प्रभावित संस्था के सदस्यों को पुनः पत्र जारी किया गया तथा पुनर्गठन हेतु आयुक्त, सहकारिता, मध्यप्रदेश, भोपाल के परिपत्रों तथा अधिनियम एवं नियम के अनुसार वांछित जानकारी, निर्धारित प्रारूप अनुमोदन करने एवं शेष रहे विषयों पर चर्चा कर निर्णय लेने हेतु प्रभावित संस्था से विशेष साधारण सभा आयोजित करने की अपेक्षा की गई। उक्त अध्यापेक्षा—पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु पत्र क्रमांक—पंजीयन—2025—182, रायसेन, दिनांक 29 मार्च 2025 को प्रेषित किया गया है।

प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, भैसाया के द्वारा उक्त अध्यापेक्षा के संबंध में सदस्यों को विशेष साधारण सभा की सूचना एवं पुनर्गठन हेतु अपेक्षित विषयों पर निर्णय लेने के लिये नियमानुसार सूचना—पत्र दिनांक 7 मार्च 2025 को जारी कर विशेष साधारण सभा दिनांक 26 मार्च 2025 को आयोजित की गई।

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दिग्वाड़ (एम—पैक्स) का गठन करने हेतु निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के ग्राम तथा परिणामी संस्था के मुख्यालय निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं:—

क्रमांक	प्रभावित संस्था			परिणामी संस्था			
	नाम	कार्यक्षेत्र के नाम	ग्राम पंचायत	नाम	संस्था मुख्यालय	कार्यक्षेत्र के ग्राम	ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भैसाया	भैसाया, कुलहाड़िया, केवलाङ्गिर, वितली, मांगरोल, दामादेही, बहरावन, मलज़िर, लखनपुर, कडकादेही	भैसाया, मांगरोल, मालज़िर	दिग्वाड़	दिग्वाड़	दिग्वाड़, छैनाकछार, पथरई, नानपोन, विक्रममढ़ेया, कुटनासिर, सर्गानिया, अरका, सुल्ताननगर	दिग्वाड़, नानपौन कुटनासिर, सर्गानिया सुल्ताननगर

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में संस्था के पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप ‘अ’ प्रस्तावित संस्था की जानकारी, प्रारूप ‘ब’ परिणामी संस्था की जानकारी तथा प्रारूप ‘स’ संस्था में कार्यरत कर्मचारी एवं संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी अनुमोदित की गई।

विशेष साधारण सभा में प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में संशोधन बाबद निर्णय पारित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 7 के उपनियम (3) अंतर्गत निर्धारित प्रारूप बी/ख, सी/ग एवं ढी/घ अनुमोदित किया गया तथा तथा परिणामी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दिग्वाड़ की आदर्श उपविधिया अंगीकृत की गई हैं।

विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था के आगामी पाँच वर्ष के लिये कार्ययोजना को अनुमोदित कर प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था की लेनदारी एवं देनदारी, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन हेतु अपैक्स बैंक के पत्र क्रमांक—2661 दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेंडर्ड ॲपरेटिंग प्रोसेजर एसओपी के अनुसार किये जाने का निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्तानुसार आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा दिये गये निर्देशों कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति/कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति DCDC एवं अपर कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की उप समिति ज्वाइंट वर्किंग कमेटी JWC की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) एवं 16(5) के अन्तर्गत की गई अध्यापेक्षा के सम्बन्ध में प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, भैसाया की विशेष साधारण सभा दिनांक 26 मार्च 2025 में संस्था के पुनर्गठन की योजना स्वीकृत की जाकर प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किये जाने का निर्णय पारित किया गया है तथा पुनर्गठन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर मेरे मत से प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किया जाकर परिणामी संस्था पंजीकृत किया जाना सदस्यों के हित में आवश्यक हो गया है।

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अंतर्गत, जिसकी शक्तियां मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99 पन्द्रह—1—सी 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ छविकांत वाघमारे, उप—पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन, एतद्वारा प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, भैसाया पंजीयन क्रमांक—282, दिनांक 25 जनवरी 1977 तहसील वाड़ी, जिला रायसेन के पुनर्गठन योजना को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

1. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, भैसाया पंजीयन क्रमांक—282, दिनांक 25 जनवरी 1977 का नाम एवं पंजीयन क्रमांक यथावत् रहेगा। संस्था का मुख्यालय ग्राम रायसेन, तहसील वाड़ी, जिला रायसेन रहेगा। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 11(2) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार संशोधन स्वीकृत कर पंजीबद्ध किया जाता है, तदनुसार प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:—

क्रमांक	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)
1	भैसाया, कुलहाड़िया, केवलाज़िर, वितली, मांगरोल, दामादेही, बहरावन, मालज़िर, लखनपुर, कडकादेहरी.	भैसाया, मांगरोल, मालज़िर.

2. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., दिगवाड़ (एम. पैक्स.) का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 (1) के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है, नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., दिगवाड़ का पंजीयन क्रमांक DR-RSN-1600, दिनांक 29 अप्रैल 2025 है।

संस्था का मुख्यालय ग्राम दिगवाड़, तहसील वाड़ी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश होगा। संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:-

क्रमांक	परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम	ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)
1	दिगवाड़, छैनाकछार, पथरई, नानपोन, विक्रममढ़ैया, कुटनासिर सगौनिया, अरका, सुल्ताननगर, खांडावर.	दिगवाड़, नानपौन, कुटनासिर, सगौनिया, सुल्ताननगर.

3. प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साथ सहकारी संस्था मर्यादित, भैसाया की विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., दिगवाड़ (एम. पैक्स.) की आदर्श उपविधि अंगीकृत की गई है। जिसे अनुमोदित एवं पंजीबद्ध किया जाता है।

4. नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दिगवाड़ (एम. पैक्स.) का वर्गीकरण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 के अंतर्गत "संसाधन सोसायटी" के अंतर्गत किया जाता है।

5. प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के पुनर्गठन की कार्यवाही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार की जावें। प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, भैसाया (एम. पैक्स.) की विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, सदस्यों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन अपैक्स बैंक भोपाल के पत्र क्रमांक-2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर (SOP) के अनुसार नियत समय रीमा में महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, भैसाया के मार्गदर्शन में पूर्ण किया जावें। उक्त विभाजन के उपरान्त परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., दिगवाड़ (एम. पैक्स.) अपना कार्य प्रारंभ करेगी।

6. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., दिगवाड़ (एम. पैक्स.) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि, संस्था पर लागू होने वाले अन्य अधिनियम तथा नियमों के अनुबन्धों, शासन एवं शासकीय विभागों/अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अथवा जारी किये जाने वाले परिपत्रों/निर्देशों तथा लगाई गई शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., भैसाया (एम. पैक्स.) के विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., दिगवाड़ (एम. पैक्स.) के लिये प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का हस्तांतरण होने तक प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., भैसाया (एम. पैक्स.) के प्रशासक/संचालक मण्डल के मार्गदर्शन में कार्य करेगी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 34(1) के अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

रायसेन, दिनांक 29 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 एवं 16 के अंतर्गत]

क्र.-पंजीयन—पुनर्गठन—2025—271.—आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 के द्वारा प्रदेश की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के संबंध में भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय की मंशा अनुरूप ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स के पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी की बैठक में जिले की 11 पैक्स संस्थाओं में से 17 नवीन पैक्स के गठन हेतु निर्णय लिया गया। जिसमें बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दिवानगंज का पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खौहा का गठन करने का निर्णय भी सम्मिलित था। तत्पश्चात् शासन के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) तथा अपर कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित DCDC की उप समिति ज्वाइंट वर्किंग कमेटी (JWC) की बैठकों में भी उक्तानुसार निर्णय पारित किये गये।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के उक्त निर्देशों एवं कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी— DCDC—JWC की बैठकों में लिए गये निर्णय अनुसार प्रभावित बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दिवानगंज पंजीयन क्रमांक—287, दिनांक 25 जनवरी 1977 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—838, रायसेन, दिनांक 12 दिसम्बर 2023 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) एवं धारा 16 (5) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के समस्त सदस्यों को अध्यापेक्षा/सूचना—पत्र जारी कर अपेक्षा की गई थी कि एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि वे परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी में यथारित अपने अंश या हित या शोध्यों को बने रहने दें।

अध्यापेक्षा—पत्र मे प्रभावित और परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र का निम्नानुसार उल्लेख किया गया था:—

क्रमांक	वर्तमान समिति का नाम (प्रभावित संस्था)	समिति अंतर्गत ग्राम के नाम	नवीन पैक्स में सम्मिलित का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दिवानगंज	दिवानगंज, अम्बाडी, वनखेड़ी, वरजोरपुर, भंवरखेड़ी, दहीड़ा, दीवानगंज, गीदगढ़, हिनोनिया, केमखेड़ी, महुआखेड़ी, मुश्कावाद, सरार, सेमरा, सेमरी।	खौहा	खौहा, बेरखेड़ीटुंडा, पुरा, भैरोपुरा, नरखेड़ा पिपलिया, चांदखा, छौला, कुल्हाडिया।	खौहा, नरखेड़ा

उपरोक्त अध्यापेक्षा—पत्र के सम्बन्ध में प्रभावित प्राथमिक कृषि साख सहकारी साख संस्था मर्यादित, दिवानगंज के द्वारा दिनांक 25 मार्च 2025 को संस्था की आमसभा आयोजित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खौहा (एम—पैक्स) के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया था, किन्तु पैक्स पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रारूप 'ब' एवं प्रारूप 'स' में जानकारी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में पुनर्गठन योजना का अनुमोदन नहीं कराने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक—साख—2025—138, रायसेन, दिनांक 7 मार्च 2025 से संस्था के पुनर्गठन हेतु प्रभावित संस्था के सदस्यों को पुनः पत्र जारी किया गया तथा पुनर्गठन हेतु आयुक्त, सहकारिता, मध्यप्रदेश, भोपाल के परिपत्रों तथा अधिनियम एवं नियम के अनुसार वांछित जानकारी, निर्धारित प्रारूप अनुमोदन करने एवं शेष रहे विषयों पर चर्चा कर निर्णय लेने हेतु प्रभावित संस्था से विशेष साधारण सभा आयोजित करने की अपेक्षा की गई। उक्त अध्यापेक्षा—पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु पत्र क्रमांक—पंजीयन—2025—182, रायसेन, दिनांक 29 मार्च 2025 को प्रेषित किया गया है।

प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दिवानगंज के द्वारा उक्त अध्यापेक्षा के संबंध में सदस्यों को विशेष साधारण सभा की सूचना एवं पुनर्गठन हेतु अपेक्षित विषयों पर निर्णय लेने के लिये निम्नानुसार सूचना—पत्र दिनांक 7 मार्च 2025 को जारी कर विशेष साधारण सभा दिनांक 25 मार्च 2025 को आयोजित की गई।

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खौहा (एम—पैक्स) का गठन करने हेतु निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के ग्राम तथा परिणामी संस्था के मुख्यालय निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं:—

क्रमांक	प्रभावित संस्था			परिणामी संस्था			
	नाम	कार्यक्षेत्र के नाम	ग्राम पंचायत	नाम	संस्था मुख्यालय	कार्यक्षेत्र के ग्राम	ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	दिवानगंज	दिवानगंज, अम्बाडी, बनखेड़ी, वरजोरपुर, भंवरखेड़ी, दहीड़ा, दीवानगंज, गीदगढ़, हिनोनिया, केमखेड़ी, महुआखेड़ी, मुश्कावाद, सरार, समरा,	दिवानगंज, अम्बाडी, गीदगढ़, सरार, समरा,	खौहा	खौहा	खौहा, बैरखेड़ीटुंडा, पुरा भैरोपुरा, नरखेड़ा, पिपलियाचांदखा, छौला, कुलहाड़िया,	खौहा, नरखेड़ा

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में संस्था के पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रस्तावित संस्था की जानकारी, प्रारूप 'ब' परिणामी संस्था की जानकारी तथा प्रारूप 'स' संस्था में कार्यरत कर्मचारी एवं संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी अनुमोदित की गई।

विशेष साधारण सभा में प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में संशोधन बाबद निर्णय पारित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 7 के उपनियम (3) अंतर्गत निर्धारित प्रारूप बी/ख, सी/ग एवं डी/घ अनुमोदित किया गया तथा परिणामी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खौहा की आदर्श उपविधियां अंगीकृत की गई हैं।

विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था के आगामी पाँच वर्ष के लिये कार्ययोजना को अनुमोदित कर प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था की लेनदारी एवं देनदारी, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन हेतु अपैक्स बैंक के पत्र क्रमांक—2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर एसओपी के अनुसार किये जाने का निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्तानुसार आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा दिये गये निर्देशों, कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति/कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति DCDC एवं अपर कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की उप समिति ज्वाइंट वर्किंग कमेटी JWC की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) एवं 16 (5) के अन्तर्गत की गई अध्यापेक्षा के सम्बन्ध में प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दिवानगंज की विशेष साधारण सभा दिनांक 25 मार्च 2025 में संस्था के पुनर्गठन की योजना स्वीकृत की जाकर प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किये जाने का निर्णय पारित किया गया है तथा पुनर्गठन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर मेरे मत से प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किया जाकर परिणामी संस्था पंजीकृत किया जाना सदस्यों के हित में आवश्यक हो गया है।

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अंतर्गत, जिसकी शक्तियां मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक—एफ—५—१—९९, पन्द्रह—१—सी, 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ छविकांत वाघमारे, उप—पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन, एतद्वारा प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दिवानगंज पंजीयन क्रमांक—287, दिनांक 25 जनवरी 1977, तहसील रायसेन के पुनर्गठन योजना को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

1. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दिवानगंज पंजीयन क्रमांक—287, दिनांक 25 जनवरी 1977 का नाम एवं पंजीयन क्रमांक यथावत् रहेगा। संस्था का मुख्यालय ग्राम खौहा, तहसील रायसेन, जिला रायसेन रहेगा। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 11 (2) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार संशोधन स्वीकृत कर पंजीबद्ध किया जाता है, तदनुसार प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:—

क्रमांक (1)	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम (2)	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत (3)
1.	दीवानगंज, अम्बाडी, वनखेड़ी, वरजोरपुर, भंवरखेड़ी दहीड़ा, दिवानगंज, गीदगढ़, हिनोनिया, केमखेड़ी, महुआखेड़ी, मुश्कावाद, सरार, सेमरा.	दीवानगंज, अम्बाडी, गीदगढ़, सरार, सेमरा.
2.	परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., खौहा (एम. पैक्स.) का अंतर्गत स्वीकार किया जाता है, नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., खौहा का पंजीयन क्रमांक—DR-RSN-1601, दिनांक 29 अप्रैल 2025 है।	संस्था का मुख्यालय ग्राम खौहा, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश होगा। संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:-

क्रमांक (1)	परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम (2)	ग्राम पंचायत (3)
1.	खौहा, बेरखेड़ीटुंडा, पुरा, भैरोपुरा, नरखेड़ा, पिपलियाचांदखा, छौला, कुल्हाड़िया.	खौहा, नरखेड़ा

3. प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दिवानगंज की विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., खौहा (एम. पैक्स.) की आदर्श उपविधि अंगीकृत की गई है। जिसे अनुमोदित एवं पंजीबद्ध किया जाता है।

4. नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खौहा (एम. पैक्स.) का वर्गीकरण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 के अंतर्गत "संसाधन सोसायटी" के अंतर्गत किया जाता है।

5. प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के पुनर्गठन की कार्यवाही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार की जायें। प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दिवानगंज (एम. पैक्स.) की विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, सदस्यों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन अपैक्स बैंक, भोपाल के पत्र क्रमांक—2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) के अनुसार नियत समय—सीमा में महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दिवानगंज के मार्गदर्शन में पूर्ण किया जायें। उक्त विभाजन के उपरान्त परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., खौहा (एम. पैक्स.) अपना कार्य प्रारंभ करेगी।

6. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., खौहा (एम. पैक्स.) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि, संस्था पर लागू होने वाले अन्य अधिनियम तथा नियमों के अनुबन्धों, शासन एवं शासकीय विभागों/अधिकारियों द्वारा समय—समय पर जारी किये गए अथवा जारी किये जाने वाले परिपत्रों/निर्देशों तथा लगाई गई शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., दिवानगंज (एम. पैक्स.) के विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., खौहा (एम. पैक्स.) के लिये प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का हस्तांतरण होने तक प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., दिवानगंज (एम. पैक्स.) के प्रशासक/संचालक मण्डल के मार्गदर्शन में कार्य करेगी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 34(1) के अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

रायसेन, दिनांक 29 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 एवं 16 के अंतर्गत]

क्र.—पंजीयन—पुनर्गठन—2025—272.— आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 के द्वारा प्रदेश की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के संबंध में भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय की मंशा अनुरूप ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स के पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी की बैठक में जिले की 11 पैक्स संस्थाओं में से 17 नवीन पैक्स के गठन हेतु निर्णय लिया गया, जिसमें बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित। दिवानगंज का पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, जमुनिया का गठन करने का निर्णय भी समिलित था। तत्पश्चात् शासन के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) तथा अपर कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित DCDC की उप समिति— ज्वाइंट वर्किंग कमेटी (JWC) की बैठकों में भी उक्तानुसार निर्णय पारित किय गये।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के उक्त निर्देशों एवं कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी—DCDC—JWC की बैठकों में लिए गये निर्णय अनुसार प्रभावित बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दिवानगंज पंजीयन क्रमांक—287 दिनांक 25 जनवरी 1977 को कार्यालयीन पंत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—838 रायसेन, दिनांक 12 दिसम्बर 2023 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) एवं धारा 16 (5) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के समस्त सदस्यों को अध्यापेक्षा/सूचना—पत्र जारी कर अपेक्षा की गई थी कि एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि वे परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जायें अथवा प्रभावित सोसायटी में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों को बने रहने दें।

अध्यापेक्षा—पत्र में प्रभावित और परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र का निम्नानुसार उल्लेख किया गया था—

क्रमांक	वर्तमान समिति का नाम (प्रभावित संस्था)	समिति अंतर्गत ग्राम के नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम के नाम	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम पंचायत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	दिवानगंज	दिवानगंज, अम्बाडी, वनखेड़ी वरजोरपुर, भंवरखेड़ी, दहीड़ा, दीवानगंज, गीदगढ़, हिनोनिया, केमखेड़ी, महुआखेड़ी, मुश्कावाद, सरार, सेमरा, सेमरी।	जमुनिया	जमुनिया, कायमपुर नीनोद, अन्नतपुरा, करैया, सिग्रामपुर।	जमुनिया, नीनोद	

उपरोक्त अध्यापेक्षा—पत्र के सम्बन्ध में प्रभावित प्राथमिक कृषि साख सहकारी साख संस्था मर्यादित, दिवानगंज के द्वारा दिनांक 25 मार्च 2025 को संस्था की आमसभा आयोजित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, जमुनिया (एम—पैक्स) के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया था, किन्तु पैक्स पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रारूप 'ब' एवं प्रारूप 'स' में जानकारी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में पुनर्गठन योजना का अनुमोदन नहीं कराने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक—साख—2025—138 रायसेन, दिनांक 5 मार्च 2025 से संस्था के पुनर्गठन हेतु प्रभावित संस्था के सदस्यों को पुनः पत्र जारी किया गया तथा पुनर्गठन हेतु आयुक्त सहकारिता मध्यप्रदेश, भोपाल के परिपत्रों तथा अधिनियम एवं नियम के अनुसार वांछित जानकारी निर्धारित प्रारूप अनुमोदन करने एवं शेष रहे विषयों पर चर्चा कर निर्णय लेने हेतु प्रभावित संस्था से विशेष साधारण सभा आयोजित करने की अपेक्षा की गई। उक्त अध्यापेक्षा—पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु पत्र क्रमांक—पंजीयन—2025—182, रायसेन, दिनांक 29 मार्च 2025 को प्रेषित किया गया है।

प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दिवानगंज के द्वारा उक्त अध्यापेक्षा के संबंध में सदस्यों को विशेष साधारण सभा की सूचना एवं पुनर्गठन हेतु अपेक्षित विषयों पर निर्णय लेने के लिये निम्नानुसार सूचना—पत्र दिनांक 5 मार्च 2025 को जारी कर विशेष साधारण सभा दिनांक 25 मार्च 2025 को आयोजित की गई।

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, जमुनिया (एम—पैक्स) का गठन करने हेतु निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के ग्राम तथा परिणामी संस्था के मुख्यालय निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं:-

क्रमांक	प्रभावित संस्था				परिणामी संस्था		
	नाम	कार्यक्षेत्र के नाम	ग्राम	नाम	संस्था	कार्यक्षेत्र के ग्राम	ग्राम पंचायत
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	दिवानगंज	दिवानगंज, अम्बाडी, वनखेड़ी, वरजोरपुर, भंवरखेड़ी, दहीड़ा, दीवानगंज, गीदगढ़, हिनोनिया, केमखेड़ी, महुआखेड़ी, मुश्कावाद, सरार, सेमरा, सेमरी।	दिवानगंज अम्बाडी, गीदगढ़ सरार, समेरा	जमुनिया अम्बाडी, गीदगढ़ सरार, समेरा	जमुनिया मुख्यालय	जमुनिया, कायमपुर, नीनोद, अनंतपुरा, करैया, सिग्रामपुर।	जमुनिया, नीनोद

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में संस्था के पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रस्तावित संस्था की जानकारी, प्रारूप 'ब' परिणामी संस्था की जानकारी तथा प्रारूप 'स' संस्था में कार्यरत कर्मचारी एवं संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी अनुमोदित की गई।

विशेष साधारण सभा में प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में संशोधन बाबद निर्णय पारित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 7 के उपनियम 3 अंतर्गत निर्धारित प्रारूप बी/ख, सी/ग एवं डी/घ अनुमोदित किया गया तथा तथा परिणामी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, जमुनिया की आदर्श उपविधिया अंगीकृत की गई हैं।

विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था के आगामी पांच वर्ष के लिये कार्ययोजना को अनुमोदित कर प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था की लेनदारी एवं देनदारी, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन हेतु अपैक्स बैंक के पत्र क्रमांक—2661 दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेंडर्ड ऑफरेटिंग प्रोसिजर एसओपी के अनुसार किये जाने का निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्तानुसार आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा दिये गये निर्देशों, कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति/कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति DCDC एवं अपर कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की उप समिति ज्यांइट वर्किंग कमेटी JWC की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) एवं 16 (5) के अन्तर्गत की गई अध्यापेक्षा के सम्बन्ध में प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दीवानगंज की विशेष साधारण सभा दिनांक 25 मार्च 2025 में संस्था के पुनर्गठन की योजना स्वीकृत की जाकर प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किये जाने का निर्णय पारित किया गया है तथा पुनर्गठन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर मेरे मत से प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किया जाकर परिणामी संस्था पंजीकृत किया जाना सदस्यों के हित में आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अंतर्गत, जिसकी शक्तियां मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99, पन्द्रह—1—सी 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ छविकांत वाघमारे, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्वारा प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दीवानगंज की उप समिति ज्यांइट वर्किंग कमेटी JWC की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 11 (2) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार संशोधन स्वीकृत कर पंजीबद्ध किया जाता है, तदनुसार प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:-

1. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दीवानगंज क्रमांक—287 दिनांक 25 जनवरी 1977 का नाम एवं पंजीयन क्रमांक यथावत रहेगा। संस्था का मुख्यालय ग्राम जमुनिया, तहसील रायसेन, जिला रायसेन रहेगा। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 11 (2) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार संशोधन स्वीकृत कर पंजीबद्ध किया जाता है, तदनुसार प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:-

क्रमांक	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)
1	दीवानगंज, अम्बाडी, वनखेड़ी, वरजोरपुर, भंवरखेड़ी दहीड़ा, दीवानगंज, गीदगढ़, हिनोनिया, केमखेड़ी, महुआखेड़ी, मुश्कावाद, सरार, सेमरा.	दिवानगंज, अम्बाडी, गीदगढ़, सरार, सेमरा.

2. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., जमुनिया (एम. पैक्स.) का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 (1) के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है, नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., जमुनिया का पंजीयन क्रमांक DR-RSN-1602, दिनांक 29 अप्रैल 2025 है।

संस्था का मुख्यालय ग्राम जमुनिया, तहसील रायसेन, जिला रायसेन मध्यप्रदेश होगा। संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:-

क्रमांक	परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम	ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)
1.	जमुनिया, कायमपुर, नीनोद, अंनतपुरा, करैया, सिग्रामपुर	जमुनिया, नीनोद

3. प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दिवानगंज की विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., जमुनिया (एम. पैक्स.) की आदर्श उपविधि अंगीकृत की गई है, जिसे अनुमोदित एवं पंजीबद्ध किया जाता है।

4. नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, जमुनिया (एम. पैक्स.) का वर्गीकरण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 के अंतर्गत "संसाधन सोसायटी" के अंतर्गत किया जाता है।

5. प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के पुनर्गठन की कार्यवाही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार की जावें। प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दिवानगंज (एम. पैक्स.) की विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, सदस्यों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन अपैक्स बैंक भोपाल के पत्र क्रमांक-2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) के अनुसार नियम समय-सीमा में महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दिवानगंज के मार्गदर्शन में पूर्ण किया जावें। उक्त विभाजन के उपरान्त परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., जमुनिया (एम. पैक्स.) अपना कार्य प्रारंभ करेगी।

6. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., जमुनिया (एम.पैक्स.) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि, संस्था पर लागू होने वाले अन्य अधिनियम तथा नियमों के अनुबन्धों, शासन एवं शासकीय विभागों/अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अथवा जारी किये जाने वाले परिपत्रों/निर्देशों तथा लगाई गई शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., दिवानगंज (एम. पैक्स.) का विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., जमुनिया (एम. पैक्स.) के लिये प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का हस्तांतरण होने तक प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., दीवानगंज (एम. पैक्स.) के प्रशासक/संचालक मण्डल के मार्गदर्शन में कार्य करेगी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 34(1) के अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-2479)

रायसेन, दिनांक 29 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 एवं 16 के अंतर्गत]

क्र.—पंजीयन—पुनर्गठन—2025—273.— आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 के द्वारा प्रदेश की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के संबंध में भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय की मंशा अनुरूप ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, यहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स के पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी की बैठक में जिले की 11 पैक्स संस्थाओं में से 17 नवीन पैक्स के गठन हेतु निर्णय लिया गया, जिसमें बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पग्नेश्वर का पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मेहगांव का गठन करने का निर्णय भी सम्मिलित था। तत्पश्चात् शासन के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) तथा अपर कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित DCDC की उप समिति ज्वाइंट वर्किंग कमेटी (JWC) की बैठकों में भी उक्तानुसार निर्णय पारित किय गये।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के उक्त निर्देशों एवं कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी—DCDC—JWC की बैठकों में लिए गये निर्णय अनुसार प्रभावित बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पग्नेश्वर पंजीयन क्रमांक—284 दिनांक 25 जनवरी 1977 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—838 रायसेन दिनांक 12 दिसम्बर 2023 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) एवं धारा 16 (5) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के समस्त सदस्यों को अध्यापेक्षा/सूचना—पत्र जारी कर अपेक्षा की गई थी कि एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि वे परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जायें अथवा प्रभावित सोसायटी में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों को बने रहने दें।

अध्यापेक्षा पत्र मे प्रभावित और परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र का निम्नानुसार उल्लेख किया गया था:-

क्रमांक	वर्तमान समिति का नाम (प्रभावित संस्था)	समिति अंतर्गत ग्राम के नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम की ग्राम पंचायत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	पग्नेश्वर	पग्नेश्वर, धोबाखेड़ी, परवरिया, कौड़ी, बारला, गिरवर, अरवरिया, धनियाखेड़ी, कटारिया	मेहगांव	मेहगांव, चिरहौली, ताजपुर, चौपडा	मेहगांव, चिरहौली	

उपरोक्त अध्यापेक्षा—पत्र के सम्बन्ध में प्रभावित प्राथमिक कृषि साख सहकारी साख संस्था मर्यादित, पग्नेश्वर के द्वारा दिनांक 25 मार्च 2025 को संस्था की आमसभा आयोजित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मेहगांव (एम—पैक्स) के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया था, किन्तु पैक्स पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रारूप 'ब' एवं प्रारूप 'स' में जानकारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के अनुसार निर्धारित प्रारूप मे पुनर्गठन योजना का अनुमोदन नहीं कराने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक—साख—2025—139 रायसेन, दिनांक 7 मार्च 2025 से संस्था के पुनर्गठन हेतु प्रभावित संस्था के सदस्यों को पुनः पत्र जारी किया गया तथा पुनर्गठन हेतु आयुक्त सहकारिता मध्यप्रदेश, भोपाल के परिपत्रों तथा अधिनियम एवं नियम के अनुसार वांछित जानकारी, निर्धारित प्रारूप अनुमोदन करने एवं शेष रहे विषयों पर चर्चा कर निर्णय लेने हेतु प्रभावित संस्था से विशेष साधारण सभा आयोजित करने की अपेक्षा की गई। उक्त अध्यापेक्षा—पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु पत्र क्रमांक—पंजीयन—2025—182 रायसेन, दिनांक 29 मार्च 2025 को प्रेषित किया गया है।

प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पग्नेश्वर के द्वारा उक्त अध्यापेक्षा के संबंध में सदस्यों को विशेष साधारण सभा की सूचना एवं पुनर्गठन हेतु अपेक्षित विषयों पर निर्णय लेने के लिये निम्नानुसार सूचना—पत्र दिनांक 5 मार्च 2025 को जारी कर विशेष साधारण सभा दिनांक 25 मार्च 2025 को आयोजित की गई।

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मेहगांव (एम—पैक्स) का गठन करने हेतु निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के ग्राम तथा परिणामी संस्था के मुख्यालय निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं—

क्रमांक	प्रभावित संस्था			परिणामी संस्था			
	नाम	कार्यक्षेत्र के नाम	ग्राम	नाम	संस्था मुख्यालय	कार्यक्षेत्र के ग्राम	ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	पग्नेश्वर	पग्नेश्वर, धोबाखेड़ी, परवरिया, कौड़ी, बारला, गिरवर, अरवरिया, धनियाखेड़ी कटारिया	पग्नेश्वर, चिरहौली, बारला, परवरिया	मेहगांव	मेहगांव, चिरहौली, ताजपुर, चौपड़ा	मेहगांव, चिरहौली	मेहगांव, चिरहौली

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में संस्था के पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रस्तावित संस्था की जानकारी, प्रारूप 'ब' परिणामी संस्था की जानकारी तथा प्रारूप 'स' संस्था में कार्यरत कर्मचारी एवं संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी अनुमोदित की गई।

विशेष साधारण सभा में प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में संशोधन बाबद निर्णय पारित कर मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 7 के उपनियम (3) अंतर्गत निर्धारित प्रारूप बी/ख, सी/ग एवं डी/घ अनुमोदित किया गया तथा परिणामी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मेहगांव की आदर्श उपविधिया अंगीकृत की गई हैं।

विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था के आगामी पांच वर्ष के लिये कार्ययोजना को अनुमोदित कर प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था की लेनदारी एवं देनदारी, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन हेतु अपैक्स बैंक के पत्र क्रमांक—2661 दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर एसओपी के अनुसार किये जाने का निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्तानुसार आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा दिये गये निर्देशों कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति/कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति DCDC एवं अपर कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की उप समिति ज्वाइंट वर्किंग कमेटी JWC की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) एवं 16(5) के अन्तर्गत की गई अध्यापेक्षा के सम्बन्ध में प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पग्नेश्वर की विशेष साधारण सभा दिनांक 25 मार्च 2025 में संस्था के पुनर्गठन की योजना स्वीकृत की जाकर प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किये जाने का निर्णय पारित किया गया है तथा पुनर्गठन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर मेरे मत से प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किया जाकर परिणामी संस्था पंजीकृत किया जाना सदस्यों के हित में आवश्यक हो गया है।

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अंतर्गत, जिसकी शक्तियां मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99, पन्द्रह—1—सी, 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ छविकांत गाधमारे, उप—पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्वारा प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पग्नेश्वर पंजीयन, क्रमांक—284, दिनांक 25 जनवरी 1977 ग्राम पग्नेश्वर, तहसील रायसेन के पुनर्गठन योजना को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

1. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पग्नेश्वर पंजीयन क्रमांक—284, दिनांक 25 जनवरी 1977 का नाम एवं पंजीयन क्रमांक यथावत् रहेगा। संस्था का मुख्यालय ग्राम पग्नेश्वर, तहसील रायसेन, जिला रायसेन रहेगा। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 11(2) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार संशोधन स्वीकृत कर पंजीबद्ध किया जाता है, तदनुसार प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा—

क्रमांक	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में समिलित ग्राम	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में समिलित ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)
1.	पग्नेश्वर, धोबाखेड़ी, परवरिया, कौड़ी, बारला, गिरवर, अरवरिया, धनियाखेड़ी, कटारिया.	पग्नेश्वर, चिरहौली, बारला, परवरिया.
2.	परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मेहगांव (एम. पैक्स.) का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 (1) के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है, नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मेहगांव का पंजीयन क्रमांक DR-RSN-1603, दिनांक 29 अप्रैल 2025 है।	संस्था का मुख्यालय ग्राम मेहगांव, तहसील रायसेन, जिला रायसेन मध्यप्रदेश होगा। संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:-

क्रमांक	परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र में समिलित ग्राम	ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)
1	मेहगांव, चिरहौली, ताजपुर, चौपडा	मेहगांव, नरखेड़ा

3. प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पग्नेश्वर की विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मेहगांव (एम. पैक्स.) की आदर्श उपविधि अंगीकृत की गई है, जिसे अनुमोदित एवं पंजीबद्ध किया जाता है।

4. नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मेहगांव (एम. पैक्स.) का वर्गीकरण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 के अंतर्गत "संसाधन सोसायटी" के अंतर्गत किया जाता है।

5. प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के पुनर्गठन की कार्यवाही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार की जावें। प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पग्नेश्वर (एम. पैक्स.) की विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, सदस्यों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन अपैक्स बैंक भोपाल के पत्र क्रमांक-2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसिजर (SOP) के अनुसार नियत समय सीमा में महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, पग्नेश्वर के मार्गदर्शन में पूर्ण किया जावें। उक्त विभाजन के उपरान्त परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मेहगांव (एम. पैक्स.) अपना कार्य प्रारंभ करेगी।

6. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मेहगांव (एम. पैक्स.) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि संस्था पर लागू होने वाले अन्य अधिनियम तथा नियमों के अनुबन्धों शासन एवं शासकीय विभागों/अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अथवा जारी किये जाने वाले परिपत्रों/निर्देशों तथा लगाई गई शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., पग्नेश्वर (एम. पैक्स.) का विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मेहगांव (एम. पैक्स.) के लिये प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का हस्तांतरण होने तक प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., पग्नेश्वर (एम. पैक्स.) के प्रशासक/संचालक मण्डल के मार्गदर्शन में कार्य करेगी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 34(1) के अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

रायसेन, दिनांक 29 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 एवं 16 के अंतर्गत]

क्र.-पंजीयन—पुनर्गठन—2025—274.—आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 के द्वारा प्रदेश की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के संबंध में भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय की मंशा अनुरूप ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स के पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी की बैठक में जिले की 11 पैक्स संस्थाओं में से 17 नवीन पैक्स के गठन हेतु निर्णय लिया गया, जिसमें बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पग्नेश्वर का पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सनखेड़ी का गठन करने का निर्णय भी सम्मिलित था। तत्पश्चात् शासन के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) तथा अपर कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित DCDC की उप समिति ज्वाइंट वर्किंग कमेटी (JWC) की बैठकों में भी उक्तानुसार निर्णय पारित किय गये।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के उक्त निर्देशों एवं कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी—DCDC—JWC की बैठकों में लिए गये निर्णय अनुसार प्रभावित बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पग्नेश्वर पंजीयन क्रमांक—284, दिनांक 25 जनवरी 1977 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—838 रायसेन, दिनांक 12 दिसम्बर 2023 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) एवं धारा 16 (5) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के समस्त सदस्यों को अध्यापेक्षा/सूचना—पत्र जारी कर अपेक्षा की गई थी कि एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि वे परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों को बने रहने दें।

अध्यापेक्षा—पत्र मे प्रभावित और परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र का निम्नानुसार उल्लेख किया गया था—

क्रमांक	वर्तमान समिति का नाम (प्रभावित संस्था)	समिति अंतर्गत ग्राम के नाम	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम की पंचायत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	पग्नेश्वर	पग्नेश्वर, धोबाखेड़ी, परवरिया, कौड़ी, बारला, गिरवर, अरवरिया, धनियाखेड़ी, कटारिया।	सनखेड़ी	सनखेड़ी, महुआखेड़ा, देवलखेड़ा, आलमखेड़ा	सनखेड़ी, उमरिया, झिरनिया, उपरिया, बैजाखेड़ा।	

उपरोक्त अध्यापेक्षा—पत्र के सम्बन्ध में प्रभावित प्राथमिक कृषि साख सहकारी साख संस्था मर्यादित, पग्नेश्वर के द्वारा दिनांक 25 मार्च 2025 को संस्था की आमसभा आयोजित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सनखेड़ी (एम—पैक्स) के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया था। किन्तु पैक्स पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रारूप 'ब' एवं प्रारूप 'स' में जानकारी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के अनुसार निर्धारित प्रारूप मे पुनर्गठन योजना का अनुमोदन नहीं कराने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक—साख—2025—139, रायसेन, दिनांक 7 मार्च 2025 से संस्था के पुनर्गठन हेतु प्रभावित संस्था के सदस्यों को पुनः पत्र जारी किया गया तथा पुनर्गठन हेतु आयुक्त, सहकारिता, मध्यप्रदेश, भोपाल के परिपत्रों तथा अधिनियम एवं नियम के अनुसार वांछित जानकारी निर्धारित प्रारूप अनुमोदन करने एवं शेष रहे विषयों पर चर्चा कर निर्णय लेने हेतु प्रभावित संस्था से विशेष साधारण सभा आयोजित करने की अपेक्षा की गई। उक्त अध्यापेक्षा—पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र मे प्रकाशन हेतु पत्र क्रमांक—पंजीयन—2025—182, रायसेन, दिनांक 29 मार्च 2025 को प्रेषित किया गया है।

प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पग्नेश्वर के द्वारा उक्त अध्यापेक्षा के संबंध में सदस्यों को विशेष साधारण सभा की सूचना एवं पुनर्गठन हेतु अपेक्षित विषयों पर निर्णय लेने के लिये निम्नानुसार सूचना—पत्र दिनांक 5 मार्च 2025 को जारी कर विशेष साधारण सभा दिनांक 25 मार्च 2025 को आयोजित की गई।

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सनखेड़ी (एम—पैक्स) का गठन करने हेतु निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के ग्राम तथा परिणामी संस्था के मुख्यालय निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं:-

क्रमांक	प्रभावित संस्था				परिणामी संस्था		
	नाम	कार्यक्षेत्र के नाम	ग्राम पंचायत	नाम	संस्था मुख्यालय	कार्यक्षेत्र के ग्राम	ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	पग्नेश्वर	पग्नेश्वर, धोबाखेड़ी, परवरिया, कौड़ी, बारला, गिरवर, अरवरिया, धनियाखेड़ी कटारिया।	पग्नेश्वर, चिरहौली, बारला, परवरिया।	सनखेड़ी	सनखेड़ी, महुआखेड़ा, देवलखेड़ा, आलमखेड़ा, झिरनिया, उपरिया, वैजाखेड़ा।	सनखेड़ी, उमरिया,	

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में संस्था के पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रस्तावित संस्था की जानकारी, प्रारूप 'ब' परिणामी संस्था की जानकारी तथा प्रारूप 'स' संस्था में कार्यरत कर्मचारी एवं संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी अनुमोदित की गई।

विशेष साधारण सभा में प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में संशोधन बाबद निर्णय पारित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 7 के उपनियम (3) अंतर्गत निर्धारित प्रारूप बी/ख, सी/ग एवं डी/घ अनुमोदित किया गया तथा परिणामी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सनखेड़ी की आदर्श उपविधियां अंगीकृत की गई हैं।

विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था के आगामी पाँच वर्ष के लिये कार्ययोजना को अनुमोदित कर प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था की लेनदारी एवं देनदारी, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन हेतु अपैक्स बैंक के पत्र क्रमांक—2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर एसओपी के अनुसार किये जाने का निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्तानुसार आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा दिये गये निर्देशों कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति/कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति DCDC एवं अपर कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की उप समिति ज्याइट वर्किंग कमेटी JWC की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) एवं 16 (5) के अन्तर्गत की गई अध्यापेक्षा के सम्बन्ध में प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पग्नेश्वर की विशेष साधारण सभा दिनांक 25 मार्च 2025 में संस्था के पुनर्गठन की योजना स्वीकृत की जाकर प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किये जाने का निर्णय पारित किया गया है तथा पुनर्गठन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर मेरे मत से प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किया जाकर परिणामी संस्था पंजीकृत किया जाना सदस्यों के हित में आवश्यक हो गया है।

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अंतर्गत, जिसकी शक्तियां मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99, पन्द्रह—1—सी, 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ छविकांत वाघमारे, उप—पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन, एतद्वारा प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पग्नेश्वर पंजीयन क्रमांक—284, दिनांक 25 जनवरी 1977 तहसील रायसेन, जिला रायसेन, के पुनर्गठन योजना को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

1. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पग्नेश्वर पंजीयन क्रमांक—284, दिनांक 25 जनवरी 1977 का नाम एवं पंजीयन क्रमांक यथावत् रहेगा। संस्था का मुख्यालय ग्राम सनखेड़ी, तहसील रायसेन, जिला रायसेन रहेगा। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 11(2) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार संशोधन स्वीकृत कर पंजीबद्ध किया जाता है, तदनुसार प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:-

क्रमांक	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)
1.	पग्नेश्वर, धोबाखेड़ी, परवरिया, कौड़ी, बारला, गिरवर, अरवरिया, धनियाखेड़ी, कटारिया.	पग्नेश्वर, चिरहौली, बारला, परवरिया.

2. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सनखेड़ी (एम. पैक्स.) का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 (1) के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है, नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सनखेड़ी का पंजीयन क्रमांक DR-RSN-1604, दिनांक 29 अप्रैल 2025 है।

संस्था का मुख्यालय ग्राम सनखेड़ी, तहसील रायसेन, जिला रायसेन मध्यप्रदेश होगा। संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:-

क्रमांक	परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम	ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)
1.	सनखेड़ी, महुआखेड़ा, देवलखेड़ा, आलमखेड़ा, झिरनिया, उपरिया, बैजाखेड़ा.	सनखेड़ी, उमरिया

3. प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पग्नेश्वर की विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सनखेड़ी (एम. पैक्स.) की आदर्श उपविधि अंगीकृत की गई है, जिसे अनुमोदित एवं पंजीबद्ध किया जाता है।

4. नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सनखेड़ी (एम. पैक्स.) का वर्गीकरण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 के अंतर्गत "संसाधन सोसायटी" के अंतर्गत किया जाता है।

5. प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के पुनर्गठन की कार्यवाही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार की जायें। प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पग्नेश्वर (एम. पैक्स.) की विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, सदस्यों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन अपैक्स बैंक, भोपाल के पत्र क्रमांक-2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) के अनुसार नियत समय सीमा में महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, पग्नेश्वर के मार्गदर्शन में पूर्ण किया जावें। उक्त विभाजन के उपरान्त परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सनखेड़ी (एम. पैक्स.) अपना कार्य प्रारंभ करेगी।

6. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सनखेड़ी (एम.पैक्स.) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि संस्था पर लागू होने वाले अन्य अधिनियम तथा नियमों के अनुबन्धों शासन एवं शासकीय विभागों/अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अथवा जारी किये जाने वाले परिपत्रों/निर्देशों तथा लगाई गई शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., पग्नेश्वर (एम. पैक्स.) का विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सनखेड़ी (एम. पैक्स.) के लिये प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का हस्तांतरण होने तक प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., पग्नेश्वर (एम. पैक्स.) के प्रशासक/संचालक मण्डल के मार्गदर्शन में कार्य करेगी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 34(1) के अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

रायसेन, दिनांक 29 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 एवं 16 के अंतर्गत]

क्र.—पंजीयन—पुनर्गठन—2025—275.—आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 के द्वारा प्रदेश की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के संबंध में भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय की मंशा अनुरूप ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स के पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी की बैठक में जिले की 11 पैक्स संस्थाओं में से 17 नवीन पैक्स के गठन हेतु निर्णय लिया गया, जिसमें बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन का पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मुरेलकला का गठन करने का निर्णय भी समिलित था। तत्पश्चात् शासन के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) तथा अपर कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित DCDC की उप समिति ज्वाइंट वर्किंग कमेटी (JWC) की बैठकों में भी उक्तानुसार निर्णय पारित किये गये।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के उक्त निर्देशों एवं कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी—DCDC—JWC की बैठकों में लिए गये निर्णय अनुसार प्रभावित बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन, पंजीयन क्रमांक—277, दिनांक 31 जनवरी 1976 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—838, रायसेन, दिनांक 12 दिसम्बर 2023 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) एवं धारा 16 (5) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के समस्त सदस्यों को अध्यापेक्षा/सूचना—पत्र जारी कर अपेक्षा की गई थी कि एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि वे परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों को बने रहने दें।

अध्यापेक्षा—पत्र में प्रभावित और परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र का निम्नानुसार उल्लेख किया गया था:—

क्रमांक (1)	वर्तमान समिति का नाम (प्रभावित संस्था) (2)	समिति अंतर्गत ग्राम के नाम (परिणामी संस्था) (3)	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था) (4)	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम के नाम (5)	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम की ग्राम पंचायत (6)
1.	रायसेन, गोपालपुर, ताजपुर महल, मुरेलकला पाठनदेव, रत्नपुर, रायपुर, रमासिया, धनियाखेड़ी, हक्काबाद, करमोदिया, पिपलई, मासेर, रंगपुरा, इमलिया, भादनेर, खरगांवली, भुआरा, गनिहारी, पठारी, बम्हौरी, सुरई।		मुरेलकला, कानपौहरा, करहौद, मुरेलखुर्द, डाबरा, ईमलिया, सग्रामपुर, निहालपुर, पड़रिया, पाली, मिर्जापुर।	मुरेलकला, कानपौहरा, करहौद, मुरेलखुर्द, डाबरा, ईमलिया, सग्रामपुर, निहालपुर, डाबरा, इमलिया।	मुरेलकला, कानपौहरा, करहौद, मुरेलखुर्द, डाबरा, ईमलिया, सग्रामपुर, निहालपुर, डाबरा, इमलिया।

उपरोक्त अध्यापेक्षा—पत्र के सम्बन्ध में प्रभावित प्राथमिक कृषि साख सहकारी साख संस्था मर्यादित, रायसेन के द्वारा दिनांक 25 मार्च 2025 को संस्था की आमसभा आयोजित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मुरेलकला (एम—पैक्स) के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया था, किन्तु पैक्स पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रारूप 'ब' एवं प्रारूप 'स' में जानकारी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में पुनर्गठन योजना का अनुमोदन नहीं कराने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक—साख—2025—137, रायसेन, दिनांक 7 मार्च 2025 से संस्था के पुनर्गठन हेतु प्रभावित संस्था के सदस्यों को पुनः पत्र जारी किया गया तथा पुनर्गठन हेतु आयुक्त, सहकारिता, मध्यप्रदेश, भोपाल के परिपत्रों तथा अधिनियम एवं नियम के अनुसार वांछित जानकारी निर्धारित प्रारूप अनुमोदन करने एवं शेष रहे विषयों पर चर्चा कर निर्णय लेने हेतु प्रभावित संस्था से विशेष साधारण सभा आयोजित करने की अपेक्षा की गई। उक्त अध्यापेक्षा—पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु पत्र क्रमांक—पंजीयन—2025—182, रायसेन, दिनांक 29 मार्च 2025 को प्रेषित किया गया है।

प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन के द्वारा उक्त अध्यापेक्षा के संबंध में सदस्यों को विशेष साधारण सभा की सूचना एवं पुनर्गठन हेतु अपेक्षित विषयों पर निर्णय लेने के लिये निम्नानुसार सूचना—पत्र दिनांक 7 मार्च 2025 को जारी कर विशेष साधारण सभा दिनांक 25 मार्च 2025 को आयोजित की गई।

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मुरेलकला (एम—पैक्स) का गठन करने हेतु निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के ग्राम तथा परिणामी संस्था के मुख्यालय निर्धारित किये गये हैं:—

क्रमांक	प्रभावित संस्था				परिणामी संस्था		
	नाम	कार्यक्षेत्र के नाम	ग्राम पंचायत	नाम	संस्था मुख्यालय	कार्यक्षेत्र के ग्राम	ग्राम पंचायत
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	रायसेन	रायसेन, गोपालपुर, ताजपुरमहल, पाठनदेव, रत्नपुर, रायपुरमासिया, धनियाखेड़ी, हककाबाद, करमोदिया, पिपलई, मासेर, रंगपुरा, इमलिया, भादनेर, खरगावली, भुआरा, गनिहारी, पठारी, बन्हौरी, सुरई।	रायसेन, धनियाखेड़ी, भादनेर, पठारी।	मुरेलकला	मुरेलकला	मुरेलकला, कानपौहरा, करहौद, मुरेलखुर्द, डाबरा, इमलिया, निहालपुर, पड़िरिया, पाली, मिर्जापुर	मुरेलकला, कानपौहरा, डाबरा, इमलिया, सग्रामपुर,

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में संस्था के पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रस्तावित संस्था की जानकारी, प्रारूप 'ब' परिणामी संस्था की जानकारी तथा प्रारूप 'स' संस्था में कार्यरत कर्मचारी एवं संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी अनुमोदित की गई।

विशेष साधारण सभा में प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में संशोधन बाबद निर्णय पारित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 7 के उपनियम 3 अंतर्गत निर्धारित प्रारूप बी/ख, सी/ग एवं डी/घ अनुमोदित किया गया तथा परिणामी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मुरेलकला की आदर्श उपविधिया अंगीकृत की गई हैं।

विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था के आगामी पांच वर्ष के लिये कार्ययोजना को अनुमोदित कर प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था की लेनदारी एवं देनदारी, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन हेतु अपैक्स बैंक के पत्र क्रमांक—2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर एसओपी के अनुसार किये जाने का निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्तानुसार आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा दिये गये निर्देशों कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति/कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति DCDC एवं अपर कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की उप समिति ज्वाइट वर्किंग कमेटी JWC की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) एवं 16(5) के अन्तर्गत की गई अध्यापेक्षा के सम्बन्ध में प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन की विशेष साधारण सभा दिनांक 25 मार्च 2025 में संस्था के पुनर्गठन की योजना स्वीकृत की जाकर प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किये जाने का निर्णय पारित किया गया है तथा पुनर्गठन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर मेरे मत से प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किया जाकर परिणामी संस्था पंजीकृत किया जाना सदस्यों के हित में आवश्यक हो गया है।

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अंतर्गत, जिसकी शक्तियां मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99, पन्द्रह—1—सी, 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ छविकांत वाघमारे, उप—पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्वारा प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन पंजीयन क्रमांक—277, दिनांक 31 जनवरी 1976 तहसील रायसेन जिला रायसेन के पुर्नगठन योजना को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

1. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन पंजीयन क्रमांक—277, दिनांक 31 जनवरी 1976 का नाम एवं पंजीयन क्रमांक यथावत रहेगा। संस्था का मुख्यालय ग्राम रायसेन, तहसील रायसेन, जिला रायसेन रहेगा। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 11(2) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार संशोधन स्वीकृत कर पंजीबद्ध किया जाता है, तदनुसार प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:—

क्रमांक	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)
1.	रायसेन, गोपालपुर, ताजपुरमहल, पाठनदेव, रतनपुर, रायपुर, रमासिया, धनियाखेडी, हककाबाद, करमोदिया, पिपलई, मासेर, रंगपुरा, इमलिया, भादनेर, खरगावली, भुआरा, गनिहारी, पठारी, बम्हौरी, सुरई.	रायसेन, धनियाखेडी, भादनेर, पठारी.

2. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मुरेलकला (एम. पैक्स.) का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 (1) के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है, नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मुरेलकला का पंजीयन क्रमांक—DR-RSN—1605, दिनांक 29 अप्रैल 2025 है।

संस्था का मुख्यालय ग्राम मुरेलकला, तहसील रायसेन, जिला रायसेन मध्यप्रदेश होगा। संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:-

क्रमांक	परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम	ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)
1.	मुरेलकला, कानपौहरा, करहौद, मुरेलखुर्द, डाबरा इमलिया, सग्रामपुर, निहालपुर, पड़रिया, पाली, मिर्जापुर.	मुरेलकला, कानपौहरा, डाबरा इमलिया.

3. प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन की विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मुरेलकला (एम. पैक्स.) की आदर्श उपविधि अंगीकृत की गई है, जिसे अनुमोदित एवं पंजीबद्ध किया जाता है।

4. नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मुरेलकला (एम. पैक्स.) का वर्गीकरण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 के अंतर्गत "संसाधन सोसायटी" के अंतर्गत किया जाता है।

5. प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के पुनर्गठन की कार्यवाही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार की जावें। प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन (एम. पैक्स.) की विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, सदस्यों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन अपैक्स बैंक, भोपाल के पत्र क्रमांक—2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर (SOP) के अनुसार नियत समय सीमा में महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायसेन के मार्गदर्शन में पूर्ण किया जावें। उक्त विभाजन के उपरान्त परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मुरेलकला (एम. पैक्स.) अपना कार्य प्रारंभ करेगी।

6. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मुरेलकला (एम. पैक्स.) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधियां संस्था पर लागू होने वाले अन्य अधिनियम तथा नियमों के अनुबंधों, शासन एवं शासकीय विभागों/अधिकारियों द्वारा समय—समय पर जारी किये गए अथवा जारी किये जाने वाले परिपत्रों/निर्देशों तथा लगाई गई शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रायसेन (एम. पैक्स.) का विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मुरेलकला (एम. पैक्स.) के लिये प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का हस्तांतरण होने तक प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रायसेन (एम. पैक्स.) के प्रशासक/संचालक मण्डल के मार्गदर्शन में कार्य करेगी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 34 (1) के अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

रायसेन, दिनांक 29 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 एवं 16 के अंतर्गत]

क्र.—पंजीयन—पुनर्गठन—2025—276.—आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 के द्वारा प्रदेश की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के संबंध में भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय की मंशा अनुरूप ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स के पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी की बैठक में जिले की 11 पैक्स संस्थाओं में से 17 नवीन पैक्स के गठन हेतु निर्णय लिया गया, जिसमें बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन का पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गयारसावाद का गठन करने का निर्णय भी समिलित था। तत्पश्चात् शासन के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) तथा अपर कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित DCDC की उप समिति ज्वाइंट वर्किंग कमेटी (JWC) की बैठकों में भी उक्तानुसार निर्णय पारित किय गये।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के उक्त निर्देशों एवं कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी—DCDC—JWC की बैठकों में लिए गये निर्णय अनुसार प्रभावित बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन पंजीयन क्रमांक—277, दिनांक 31 जनवरी 1976 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—838, रायसेन दिनांक 12 दिसम्बर 2023 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) एवं धारा 16 (5) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के समस्त सदस्यों को अध्यापेक्षा/सूचना—पत्र जारी कर अपेक्षा की गई थी कि एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करे कि वे परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों को बने रहने दें।

अध्यापेक्षा—पत्र में प्रभावित और परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र का निम्नानुसार उल्लेख किया गया था:—

क्रमांक (1)	वर्तमान समिति का नाम (प्रभावित संस्था) (2)	समिति अंतर्गत ग्राम के नाम (परिणामी संस्था) (3)	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था) (4)	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम के नाम (5)	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम पंचायत (6)
1.	रायसेन रायसेन, गोपालपुर, ताजपुर महल, गयारसावाद पाठनदेव, रत्नपुर, रायपुर, रमासिया, धनियाखेड़ी, हक्काबाद, करमोदिया, पिपलई, मासेर, रंगपुरा, इमलिया, भादनेर, खरगांवली, भुआरा, गनिहारी, पठारी, बम्हौरी, सुरई।	गयारसावाद, गमीरी, बहेड़िया, धनाश्री, बामनोद, अण्डोलबहेड़, डंडेरा, पीपलखेड़ी, बाबलिया, सेमरा कदीम, हकीमखेड़ी।	गयारसावाद, गमीरी, बहेड़िया, धनाश्री, बामनोद, अण्डोलबहेड़, डंडेरा, पीपलखेड़ी, बाबलिया, सेमरा कदीम, हकीमखेड़ी।	गयारसावाद, अण्डोल बहेड़, पीपलखेड़ी, हकीमखेड़ी।	

उपरोक्त अध्यापेक्षा—पत्र के सम्बन्ध में प्रभावित प्राथमिक कृषि साख सहकारी साख संस्था मर्यादित, रायसेन के द्वारा दिनांक 25 मार्च 2025 को संस्था की आमसभा आयोजित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गयारसावाद (एम—पैक्स) के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया था, किन्तु पैक्स पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रारूप 'ब' एवं प्रारूप 'स' में जानकारी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में पुनर्गठन योजना का अनुमोदन नहीं कराने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक—साख—2025—137, रायसेन, दिनांक 7 मार्च 2025 से संस्था के पुनर्गठन हेतु प्रभावित संस्था के सदस्यों को पुनः पत्र जारी किया गया तथा पुनर्गठन हेतु आयुक्त, सहकारिता मध्यप्रदेश, भोपाल के परिपत्रों तथा अधिनियम एवं नियम के अनुसार वांछित जानकारी निर्धारित प्रारूप अनुमोदन करने एवं शेष रहे विषयों पर चर्चा कर निर्णय लेने हेतु प्रभावित संस्था से विशेष साधारण सभा आयोजित करने की अपेक्षा की गई। उक्त अध्यापेक्षा—पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु पत्र क्रमांक—पंजीयन—2025—182, रायसेन, दिनांक 29 मार्च 2025 को प्रेषित किया गया है।

प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन के द्वारा उक्त अध्यापेक्षा के संबंध में सदस्यों को विशेष साधारण सभा की सूचना एवं पुर्नगठन हेतु अपेक्षित विषयों पर निर्णय लेने के लिये निम्नानुसार सूचना—पत्र दिनांक 7 मार्च 2025 को जारी कर विशेष साधारण सभा दिनांक 25 मार्च 2025 को आयोजित की गई।

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गयारसावाद (एम—पैक्स) का गठन करने हेतु निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के ग्राम तथा परिणामी संस्था के मुख्यालय निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं—

क्रमांक	प्रभावित संस्था			परिणामी संस्था			
	नाम	कार्यक्षेत्र के नाम	ग्राम पंचायत	नाम	संस्था मुख्यालय	कार्यक्षेत्र के ग्राम	ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	रायसेन	रायसेन, गोपालपुर, ताजपुरमहल, पाठनदेव, रत्नपुर, रायपुररमासिया, धनियाखेड़ी, हककाबाद, करमोदिया, पिपलई, मासेर, रंगपुरा, इमलिया, भादनेर, खरगावली, भुआरा, गनिहारी, पठारी, बम्हौरी, सुरई	रायसेन, धनियाखेड़ी, भादनेर, पठारी	गयारसावाद	गयारसावाद	गयारसावाद, गमीरी, बहेडिया, धनाश्री, बामनोद, अण्डोलवहेड, डंडेरा, पीपलखेडी, बाबलिया, हकीमखेडी, सेमराकदीम, हकीमखेडी	गयारसावाद, अण्डोल, बहेड, पीपलखेडी, हकीमखेडी

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में संस्था के पुर्नगठन के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रस्तावित संस्था की जानकारी, प्रारूप 'ब' परिणामी संस्था की जानकारी तथा प्रारूप 'स' संस्था में कार्यरत कर्मचारी एवं संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी अनुमोदित की गई।

विशेष साधारण सभा में प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में संशोधन बाबद निर्णय पारित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 7 के उपनियम 3 अंतर्गत निर्धारित प्रारूप बी/ख, सी/ग एवं डी/घ अनुमोदित किया गया तथा परिणामी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गयारसावाद की आदर्श उपविधियां अंगीकृत की गई हैं।

विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था के आगामी पांच वर्ष के लिये कार्ययोजना को अनुमोदित कर प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था की लेनदारी एवं देनदारी, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन हेतु अपैक्स बैंक के पत्र क्रमांक—2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर एसओपी के अनुसार किये जाने का निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्तानुसार आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा दिये गये निर्देशों कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति/कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति DCDC एवं अपर कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की उप समिति ज्याइट वकिंग कमेटी JWC की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) एवं 16 (5) के अन्तर्गत की गई अध्यापेक्षा के सम्बन्ध में प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन की विशेष साधारण सभा दिनांक 25 मार्च 2025 में संस्था के पुर्नगठन की योजना स्वीकृत की जाकर प्रभावित संस्था का पुर्नगठन किये जाने का निर्णय पारित किया गया है तथा पुर्नगठन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर मेरे मत से प्रभावित संस्था का पुर्नगठन किया जाकर परिणामी संस्था पंजीकृत किया जाना सदस्यों के हित में आवश्यक हो गया है।

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अंतर्गत, जिसकी शक्तियां मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99, पन्द्रह—1—सी 26 जुलाई 1999 (थथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ छविकांत वाघमारे, उप—पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन, एतद्वारा प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन पंजीयन क्रमांक—277, दिनांक 31 जनवरी 1976 तहसील रायसेन जिला रायसेन के पुर्नगठन योजना को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

1. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन पंजीयन क्रमांक—277, दिनांक 31 जनवरी 1976 का नाम एवं पंजीयन क्रमांक यथावत् रहेगा। संस्था का मुख्यालय ग्राम रायसेन, तहसील रायसेन, जिला रायसेन रहेगा। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 11 (2) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार संशोधन स्वीकृत कर पंजीबद्ध किया जाता है, तदनुसार प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा—

क्रमांक (1)	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम (2)	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत (3)
1.	रायसेन, गोपालपुर, ताजपुरमहल, पाठनदेव, रतनपुर, रायपुर, रमासिया, धनियाखेड़ी, हक्काबाद, करमोदिया, पिपलई, मासेर, रंगपुरा, इमलिया, भादनेर, खरगावली, भुआरा, गनिहारी, पठारी, बम्हौरी, सुरई..	रायसेन, धनियाखेड़ी, भादनेर, पठारी.
2.	परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., गयारसावाद (एम. पैक्स.) का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 (1) के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है, नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., गयारसावाद का पंजीयन क्रमांक DR-RSN-1606, दिनांक 29 अप्रैल 2025 है। संस्था का मुख्यालय ग्राम गयारसावाद, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश होगा। संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:-	

क्रमांक (1)	परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम (2)	ग्राम पंचायत (3)
1.	गयारसावाद, गमीरी, बहेड़िया, धनाश्री, बामनोद, अण्डोल बहेड़, डंडेरा, पीपलखेड़ी, बाबलिया, सेमरा कदीम, हकीमखेड़ी.	गयारसावाद अण्डोल बहेड़, पीपलखेड़ी, हकीमखेड़ी.

3. प्रमाणित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साथ सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन की विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साथ सहकारी संस्था मर्या., गवारसावाद (एम. पैक्स.) की आदर्श उपविधियां अंगीकृत की गई हैं। जिसे अनुमोदित एवं पंजीबद्ध किया जाता है।

4. नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गयारसावाद (एम. पैक्स.) का वर्गीकरण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 के अंतर्गत "संसाधन सोसायटी" के अंतर्गत किया जाता है।

5. प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के पुनर्गठन की कार्ययाही मध्यप्रदेश सहमारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार की जावें। प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साथ सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन (एम. पैक्स) की विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य सेनदारियों, देनदारियों, सदस्यी, कर्मचारियों एवं अन्य मदी का विभाजन अपेक्ष सैंक भोपाल के पत्र क्रमांक-2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) के अनुसार नियत समय सीमा में महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय सैंक भोपाल के विभाजन एवं अन्य अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अथवा जारी किये जाने वाले परिपत्रों/निर्देशों तथा लगाई गई शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

6. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., गयारसावाद (एम. पैक्स) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962, संस्था की पंजीकृत उपविधि, संस्था पर लागू होने वाले अन्य अधिनियम तथा नियमों के अनुबन्धों, शासन एवं शासकीय विभागों/अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अथवा जारी किये जाने वाले परिपत्रों/निर्देशों तथा लगाई गई शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रायसेन (एम. पैक्स) का विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साथ सहकारी संस्था मर्या., गयारसावाद (एम. पैक्स) के लिये प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का हस्तांतरण होने तक प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साथ सहकारी संस्था मर्या., रायसेन (एम. पैक्स) के प्रशासक संचालक मण्डल के मार्गदर्शन में कार्य करेगी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 34(1) के अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

रायसेन, दिनांक 29 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 एवं 16 के अंतर्गत]

क्र.—पंजीयन—पुनर्गठन—2025—277.—आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 के द्वारा प्रदेश की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के संबंध में भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय की मंशा अनुरूप ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिक्रमा में जिले पैक्स के पुनर्गठन हेतु कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी की बैठक में जिले की 11 पैक्स संस्थाओं में से 17 नवीन पैक्स के गठन हेतु निर्णय लिया गया, जिसमें बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन का पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, आंवा का गठन करने का निर्णय भी समिलित था। तत्पश्चात् शासन के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) तथा अपर कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित DCDC की उप समिति ज्वाइंट वर्किंग कमेटी (JWC) की बैठकों में भी उक्तानुसार निर्णय पारित किय गये।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के उक्त निर्देशों एवं कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी—DCDC—JWC की बैठकों में लिए गये निर्णय अनुसार प्रभावित बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन पंजीयन क्रमांक—277, दिनांक 31 जनवरी 1976 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—838, रायसेन दिनांक 12 दिसम्बर 2023 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) एवं धारा 16 (5) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के समस्त सदस्यों को अध्यापेक्षा/सूचना—पत्र जारी कर अपेक्षा की गई थी कि एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि वे परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जायें अथवा प्रभावित सोसायटी में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों को बने रहने दें।

अध्यापेक्षा—पत्र मे प्रभावित और परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र का निम्नानुसार उल्लेख किया गया था:—

क्रमांक (1)	वर्तमान समिति का नाम (प्रभावित संस्था) (2)	समिति अंतर्गत ग्राम के नाम (परिणामी संस्था) (3)	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था) (4)	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम के नाम (5)	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम की ग्राम पंचायत (6)
1.	रायसेन	रायसेन, गोपालपुर, ताजपुरमहल, पाठनदेव, रत्नपुर, रायपुर, रमासिया, धनियाखेड़ी, हक्काबाद, करमोदिया, पिपलई, मासेर, रंगपुरा, इमलिया, भादनेर, खरगावली, भुआरा, गणिहारी, पठारी, बम्हौरी, सुरई।	आंवा	आंवा, कोटरा, मर्दानपुर, माखनी, बीलारा, अमरावद।	कोटरा, माखनी।

उपरोक्त अध्यापेक्षा—पत्र के सम्बन्ध में प्रभावित प्राथमिक कृषि साख सहकारी साख संस्था मर्यादित, रायसेन के द्वारा दिनांक 25 मार्च 2025 को संस्था की आमसभा आयोजित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, आंवा (एम—पैक्स) के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया था, किन्तु पैक्स पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रारूप 'व' एवं प्रारूप 'स' में जानकारी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के अनुसार निर्धारित प्रारूप मे पुनर्गठन योजना का अनुमोदन नहीं कराने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक—साख—2025—137, रायसेन, दिनांक 7 मार्च 2025 से संस्था के पुनर्गठन हेतु प्रभावित संस्था के सदस्यों को पुनः पत्र जारी किया गया तथा पुनर्गठन हेतु आयुक्त, सहकारिता, मध्यप्रदेश, भोपाल के परिपत्रों तथा अधिनियम एवं नियम के अनुसार वांछित जानकारी निर्धारित प्रारूप अनुमोदन करने एवं शेष रहे विषयों पर चर्चा कर निर्णय लेने हेतु प्रभावित संस्था से विशेष साधारण सभा आयोजित करने की अपेक्षा की गई। उक्त अध्यापेक्षा—पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु पत्र क्रमांक—पंजीयन—2025—182, रायसेन दिनांक 29 मार्च 2025 को प्रेषित किया गया है।

प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन के द्वारा उक्त अध्यापेक्षा के संबंध में सदस्यों को विशेष साधारण सभा की सूचना एवं पुनर्गठन हेतु अपेक्षित विषयों पर निर्णय लेने के लिये निम्नानुसार सूचना—पत्र दिनांक 7 मार्च 2025 को जारी कर विशेष साधारण सभा दिनांक 25 मार्च 2025 को आयोजित की गई।

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, आंवा (एम—पैक्स) का गठन करने हेतु निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के ग्राम तथा परिणामी संस्था के मुख्यालय निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं:—

क्रमांक	प्रभावित संस्था			परिणामी संस्था			
	नाम	कार्यक्षेत्र के नाम	ग्राम पंचायत	नाम	संस्था मुख्यालय	कार्यक्षेत्र के ग्राम	ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	रायसेन	रायसेन, गोपालपुर, ताजपुरमहल, पाठनदेव, रत्नपुर, रायपुर, रमासिया, धनियाखेड़ी, हक्काबाद, करमोदिया, पिपलई, मासेर, रंगपुरा, इमलिया, भादनेर, खरगावली, भुआरा, गनिहारी, पठारी, बम्हौरी, सुरई।	रायसेन, धनियाखेड़ी, भादनेर, पठारी।	आंवा	आंवा	आंवा, कोटरा, मर्दानपुर, माखनी, बीलारा, अमरायद।	कोटरा, माखनी

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में संस्था के पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रस्तावित संस्था की जानकारी, प्रारूप 'ब' परिणामी संस्था की जानकारी तथा प्रारूप 'स' संस्था में कार्यरत कर्मचारी एवं संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी अनुमोदित की गई।

विशेष साधारण सभा में प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में संशोधन बाबद निर्णय पारित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 7 के उपनियम (3) अंतर्गत निर्धारित प्रारूप बी/ख, सी/ग एवं डी/घ अनुमोदित किया गया तथा तथा परिणामी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, आंवा की आदर्श उपविधियां अंगीकृत की गई हैं।

विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था के आगामी पांच वर्ष के लिये कार्ययोजना को अनुमोदित कर प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था की लेनदारी एवं देनदारी, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन हेतु अपैक्स बैंक के पत्र क्रमांक—2661 दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर एसओपी के अनुसार किये जाने का निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्तानुसार आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा दिये गये निर्देशों कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति/कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति DCDC एवं अपर कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की उप समिति ज्वाइंट वर्किंग कमेटी JWC की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 (3) एवं 16 (5) के अन्तर्गत की गई अध्यापेक्षा के सम्बन्ध में प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन की विशेष साधारण सभा दिनांक 25 मार्च 2025 में संस्था के पुनर्गठन की योजना स्वीकृत की जाकर प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किये जाने का निर्णय पारित किया गया है तथा पुनर्गठन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर मेरे मत से प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किया जाकर परिणामी संस्था पंजीकृत किया जाना सदस्यों के हित में आवश्यक हो गया है।

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 के अंतर्गत, जिसकी शक्तियां मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99, पन्द्रह—1—सी, 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ छविकांत वाघमारे, उप—पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन, एतद्वारा प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन पंजीयन क्रमांक—277, दिनांक 31 जनवरी 1976 तहसील रायसेन जिला रायसेन के पुनर्गठन योजना को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

1. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन पंजीयन क्रमांक—277, दिनांक 31 जनवरी 1976 का नाम एवं पंजीयन क्रमांक यथावत रहेगा। संस्था का मुख्यालय ग्राम रायसेन, तहसील रायसेन, जिला रायसेन रहेगा। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 11(2) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार संशोधन स्वीकृत कर पंजीबद्ध किया जाता है, तदनुसार प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:—

क्रमांक (1)	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम (2)	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत (3)
1.	रायसेन, गोपालपुर, ताजपुरमहल, पाठनदेव, रतनपुर, रायपुर, रमासिया, धनियाखेड़ी, हककाबाद, करमोदिया, पिपलई, मासेर, रंगपुरा, इमलिया, भादनेर, खरगावली, भुआरा, गनिहारी, पठारी, बम्हौरी, सुरई.	रायसेन, धनियाखेड़ी, भादनेर, पठारी.
2.	परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., आंवा (एम. पैक्स.) का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 (1) के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है, नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., आंवा का पंजीयन क्रमांक DR-RSN-1607, दिनांक 29 अप्रैल 2025 है।	संस्था का मुख्यालय ग्राम आंवा, तहसील रायसेन, जिला रायसेन मध्यप्रदेश होगा। संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:-

क्रमांक (1)	परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम (2)	ग्राम पंचायत (3)
1.	आंवा, कोटरा, मर्दनपुर, माखनी, बीलारा, अमरावद	कोटरा, माखनी

3. प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन की विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., आंवा (एम. पैक्स.) की आदर्श उपविधि अंगीकृत की गई है, जिसे अनुमोदित एवं पंजीबद्ध किया जाता है।

4. नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, आंवा (एम. पैक्स.) का वर्गीकरण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 के अंतर्गत "संसाधन सोसायटी" के अंतर्गत किया जाता है।

5. प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के पुनर्गठन की कार्यवाही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार की जावें। प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन (एम. पैक्स.) की विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, सदस्यों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन अपैक्स बैंक, भोपाल के पत्र क्रमांक-2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) के अनुसार नियत समय सीमा में महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायसेन के मार्गदर्शन में पूर्ण किया जावे। उक्त विभाजन के उपरान्त परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., आंवा (एम. पैक्स.) अपना कार्य प्रारंभ करेगी।

6. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., आंवा (एम. पैक्स.) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि संस्था पर लागू होने वाले अन्य अधिनियम तथा नियमों के अनुबन्धों शासन एवं शासकीय विभागों/अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अथवा जारी किये जाने वाले परिपत्रों/निर्देशों तथा लगाई गई शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रायसेन (एम. पैक्स.) के विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक प्राथ कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., आंवा (एम. पैक्स.) के लिये प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का हस्तांतरण होने तक प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रायसेन (एम. पैक्स.) के प्रशासक/संचालक मण्डल के मार्गदर्शन में कार्य करेगी तथा मध्यप्रेदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 34(1) के अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

रायसेन, दिनांक 29 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 एवं 16 के अंतर्गत]

क्र.-पंजीयन—पुनर्गठन—2025—278.—आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 के द्वारा प्रदेश की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के संबंध में भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय की मंशा अनुरूप ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स के पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी की बैठक में जिले की 11 पैक्स संस्थाओं में से 17 नवीन पैक्स के गठन हेतु निर्णय लिया गया जिसमें बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन का पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सालेरा का गठन करने का निर्णय भी समिलित था। तत्पश्चात् शासन के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) तथा अपर कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित DCDC की उप समिति ज्याइंट वर्किंग कमेटी (JWC) की बैठकों में भी उक्तानुसार निर्णय पारित किय गये।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के उक्त निर्देशों एवं कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी—DCDC—JWC की बैठकों में लिए गये निर्णय अनुसार प्रभावित बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन पंजीयन क्रमांक—277, दिनांक 31 जनवरी 1976 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—838, रायसेन, दिनांक 12 दिसम्बर 2023. से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) एवं धारा 16 (5) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के समस्त सदस्यों को अध्यापेक्षा/सूचना—पत्र जारी कर अपेक्षा की गई थी कि एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि वे परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जायें अथवा प्रभावित सोसायटी में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों को बने रहने दें।

अध्यापेक्षा—पत्र में प्रभावित और परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र का निम्नानुसार उल्लेख किया गया था:—

क्रमांक (1)	वर्तमान समिति का नाम (प्रभावित संस्था) (2)	समिति अंतर्गत ग्राम के नाम (परिणामी संस्था) (3)	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था) (4)	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम के नाम (5)	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम की पंचायत (6)
1.	रायसेन	रायसेन, गोपालपुर, ताजपुरमहल, पाठनदेव, रतनपुर, रायपुर, रमासिया, धनियाखेड़ी, हक्काबाद, करमोदिया, पिपलई, मासेर, रंगपुरा, इमलिया, भादनेर, खरगावली, भुआरा, गनिहारी, पठारी, बम्हौरी, सुरई.	सालेरा	सालेरा, हिम्मतगढ़, मउपथरई, सूँड, पुरामुगांवली, मोहनियाखेड़ी, चांदना, घाटपिपरिया.	सालेरा, मउपथरई, चांदना.

उपरोक्त अध्यापेक्षा—पत्र के सम्बन्ध में प्रभावित प्राथमिक कृषि साख सहकारी साख संस्था मर्यादित, रायसेन के द्वारा दिनांक 25 मार्च 2025 को संस्था की आमसभा आयोजित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सालेरा (एम—पैक्स) के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया था, किन्तु पैक्स पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रारूप 'ब' एवं प्रारूप 'स' में जानकारी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में पुनर्गठन योजना का अनुमोदन नहीं कराने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक—साख—2025—137, रायसेन, दिनांक 7 मार्च 2025 से संस्था के पुनर्गठन हेतु प्रभावित संस्था के सदस्यों को पुनः पत्र जारी किया गया तथा पुनर्गठन हेतु आयुक्त सहकारिता, मध्यप्रदेश, भोपाल के परिपत्रों तथा अधिनियम एवं नियम के अनुसार वांछित जानकारी निर्धारित प्रारूप अनुमोदन करने एवं शेष रहे विषयों पर चर्चा कर निर्णय लेने हेतु प्रभावित संस्था से विशेष साधारण सभा आयोजित करने की अपेक्षा की गई। उक्त अध्यापेक्षा—पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु पत्र क्रमांक—पंजीयन—2025—182, रायसेन, दिनांक 29 मार्च 2025 को प्रेषित किया गया है।

प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन के द्वारा उक्त अध्यापेक्षा के संबंध में सदस्यों को विशेष साधारण सभा की सूचना एवं पुनर्गठन हेतु अपेक्षित विषयों पर निर्णय लेने के लिये निम्नानुसार सूचना—पत्र दिनांक 7 मार्च 2025 को जारी कर विशेष साधारण सभा दिनांक 25 मार्च 2025 को आयोजित की गई।

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साब संहकारी संस्था मर्यादित, सालेरा (एम—पैक्स) का गठन करने हेतु निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के ग्राम तथा परिणामी संस्था के मुख्यालय निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं—

क्रमांक	प्रभावित संस्था			परिणामी संस्था			
	नाम	कार्यक्षेत्र के नाम	ग्राम पंचायत	नाम	संस्था मुख्यालय	कार्यक्षेत्र के ग्राम	ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	रायसेन	रायसेन, गोपालपुर, ताजपुरमहल, पाठनदेव, रतनपुर, रायपुर, रमासिया, धनियाखेड़ी, हक्काबाद, करमोदिया, पिपलई, गासेर, रंगपुरा, इमलिया, भादनेर, खरगावली, भुआरा, गनिहारी, पठारी, बम्हौरी, सुरई।	रायसेन, धनियाखेड़ी, भादनेर, पठारी।	सालेरा	सालेरा	सालेरा, हिम्मतगढ़, मउपथरई, सूड़, पुरामुरांवली, मोहनियाखेड़ी, चांदना, घाटपिपरिया।	सालेरा, मउपथरई, चांदना।

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में संस्था के पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रस्तावित संस्था की जानकारी, प्रारूप 'ब' परिणामी संस्था की जानकारी तथा प्रारूप 'स' संस्था में कार्यरत कर्मचारी एवं संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी अनुमोदित की गई।

विशेष साधारण सभा में प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में संशोधन बाबद निर्णय पारित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 7 के उपनियम 3 अंतर्गत निर्धारित प्रारूप बी/ख, सी/ग एवं डी/घ अनुमोदित किया गया तथा परिणामी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सालेरा की आदर्श उपविधियां अंगीकृत की गई हैं।

विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था के आगामी पांच वर्ष के लिये कार्ययोजना को अनुमोदित कर प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था की लेनदारी एवं देनदारी, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन हेतु अपैक्स बैंक के पत्र क्रमांक—2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर एसओपी के अनुसार किये जाने का निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्तानुसार आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा दिये गये निर्देशों कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिलास्टरीय समिति / कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति DCDC एवं अपर कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की उप समिति ज्वांइट वर्किंग कमेटी JWC की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) एवं 16 (5) के अन्तर्गत की गई अध्यापेक्षा के सम्बन्ध में प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साथ सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन की विशेष साधारण सभा दिनांक 25 मार्च 2025 में संस्था के पुनर्गठन की योजना स्वीकृत की जाकर प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किये जाने का निर्णय पारित किया गया है तथा पुनर्गठन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर मेरे मत से प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किया जाकर परिणामी संस्था पंजीकृत किया जाना सदस्यों के हित में आवश्यक हो गया है।

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अंतर्गत, जिसकी शक्तियां मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99, पन्द्रह—1—सी 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ छविकांत वाघमारे, उप—पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्वारा प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन पंजीयन क्रमांक—277, दिनांक 31 जनवरी 1976 तहसील रायसेन, जिला रायसेन के पुनर्गठन योजना को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

1. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन पंजीयन क्रमांक—277, दिनांक 31 जनवरी 1976 का नाम एवं पंजीयन क्रमांक यथावत् रहेगा। संस्था का मुख्यालय ग्राम रायसेन, तहसील रायसेन, जिला रायसेन रहेगा। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 11(2) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार संशोधन स्वीकृत कर पंजीबद्ध किया जाता है, तदनुसार प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा—

क्रमांक (1)	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में समिलित ग्राम (2)	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में समिलित ग्राम पंचायत (3)
1.	रायसेन, गोपालपुर, ताजपुरमहल, पाठनदेव, रतनपुर, रायपुर, रमासिया, धनियाखेड़ी, हककाबाद, करमोदिया, पिपलई, मासेर, रंगपुरा, इमलिया, भादनेर, खरगावली, भुआरा, गनिहारी, पठारी, बम्हौरी, सुरई.	रायसेन, धनियाखेड़ी, भादनेर, पठारी.
2.	परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सालेरा (एम. पैक्स.) का अंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 (1) के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है, नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सालेरा का पंजीयन क्रमांक DR-RSN-2608, दिनांक 29 अप्रैल 2025 है।	संस्था का मुख्यालय ग्राम सालेरा, तहसील रायसेन, जिला रायसेन मध्यप्रदेश होगा। संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:-

क्रमांक (1)	परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र में समिलित ग्राम (2)	ग्राम पंचायत (3)
1.	सालेरा, हिम्मतगढ़, मउपथरई, सूँड, पुरामुगांवली, मोहनियाखेड़ी, चांदना, घाटपिपरिया.	सालेरा, मपउथरई, चांदना.

3. प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन की विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सालेरा (एम. पैक्स.) की आदर्श उपविधि अंगीकृत की गई है, जिसे अनुमोदित एवं पंजीबद्ध किया जाता है।

4. नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साथ सहकारी संस्था मर्यादित, सालेरा (एम. पैक्स.) का वर्गीकरण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 के अंतर्गत "संसाधन सोसायटी" के अंतर्गत किया जाता है।

5. प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के पुनर्गठन की कार्यवाही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार की जायें। प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रायसेन (एम. पैक्स.) की विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, सदस्यों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन अपैक्स बैंक भोपाल के पत्र क्रमांक-2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) के अनुसार नियत समय सीमा में महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मर्यादित, रायसेन के मार्गदर्शन में पूर्ण किया जायें। उक्त विभाजन के उपरान्त परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सालेरा (एम. पैक्स.) अपना कार्य प्रारंभ करेगी।

6. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सालेरा (एम. पैक्स.) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962, संस्था की पंजीकृत उपविधि, संस्था पर लागू होने वाले अन्य अधिनियम तथा नियमों के अनुबन्धों, शासन एवं शासकीय विभागों/अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अथवा जारी किये जाने वाले परिपत्रों/निर्देशों तथा लगाई गई शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रायसेन (एम. पैक्स.) के विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार पुरिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साथ सहकारी संस्था मर्या., सालेरा (एम. पैक्स.) के लिये प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का हस्तांतरण होने तक प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रायसेन (एम. पैक्स.) के प्रशासक/संचालक मण्डल के मार्गदर्शन में कार्य करेगी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 34 (1) के अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन की कार्यवाही सुनिचित करेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

रायसेन, दिनांक 29 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 एवं 16 के अंतर्गत]

क्र.—पंजीयन—पुनर्गठन—2025—266.— आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 के द्वारा प्रदेश की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के संबंध में भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय की मंशा अनुरूप ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स के पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया, उक्त कमेटी की बैठक में जिले की 11 पैक्स संस्थाओं में से 17 नवीन पैक्स के गठन हेतु निर्णय लिया गया जिसमें बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, वर्धा बम्होरी का पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रोसराघाटी का गठन करने का निर्णय भी समिलित था। तत्पश्चात् शासन के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) तथा अपर कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित DCDC की उप समिति, ज्वाइंट वर्किंग कमेटी (JWC) की बैठकों में भी उक्तानुसार निर्णय पारित किये गये।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के उक्त निर्देशों एवं कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी—DCDC—JWC की बैठकों में लिए गये निर्णय अनुसार प्रभावित बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, वर्धा बम्होरी पंजीयन क्रमांक 04 दिनांक 20 जनवरी 1960 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—838, रायसेन, दिनांक 12 दिसम्बर 2023 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) एवं धारा 16 (5) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के समस्त सदस्यों को अध्यापेक्षा/सूचना—पत्र जारी कर अपेक्षा की गई थी कि एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करे कि वे परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों को बने रहने दें।

अध्यापेक्षा—पत्र में प्रभावित और परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र का निम्नानुसार उल्लेख किया गया था:—

क्रमांक	वर्तमान समिति का नाम (प्रभावित संस्था)	समिति अंतर्गत ग्राम के नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम के नाम	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम की पंचायत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वर्धा बम्होरी उमरझीर, बुढ़ा, पाला, चंद्रपुरा, रिमझा, मनकवाड़ा।	वर्धा बम्होरी, सिंगोटा,	रोसराघाटी।	रोसराघाटी, गुंदरई, प्रतापगढ़, बाबलिया, खरैरी, छिरपिपरिया, चिरह।	रोसराघाटी।

उपरोक्त अध्यापेक्षा—पत्र के सम्बन्ध में प्रभावित प्राथमिक कृषि साख सहकारी साख संस्था मर्यादित, वर्धा बम्होरी के द्वारा दिनांक 28 मार्च 2025 को संस्था की आमसभा आयोजित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रोसराघाटी (एम—पैक्स) के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया था, किन्तु पैक्स पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रारूप 'ब' एवं प्रारूप 'स' में जानकारी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में पुनर्गठन योजना का अनुमोदन नहीं कराने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक—साख—2025—145 रायसेन, दिनांक 7 मार्च 2025 से संस्था के पुनर्गठन हेतु प्रभावित संस्था के सदस्यों को पुनः पत्र जारी किया गया तथा पुनर्गठन हेतु आयुक्त, सहकारिता मध्यप्रदेश भोपाल के परिपत्रों तथा अधिनियम एवं नियम के अनुसार वांछित जानकारी निर्धारित प्रारूप अनुमोदन करने एवं शेष रहे विषयों पर चर्चा कर निर्णय लेने हेतु प्रभावित संस्था से विशेष साधारण सभा आयोजित करने की अपेक्षा की गई। उक्त अध्यापेक्षा—पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु पत्र क्रमांक—पंजीयन—2025—182, रायसेन, दिनांक 29 मार्च 2025 को प्रेषित किया गया है।

प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साथ सहकारी संस्था मर्यादित, वर्धा बम्होरी के द्वारा उक्त अध्यापेक्षा के संबंध में सदस्यों को विशेष साधारण सभा की सूचना एवं पुनर्गठन हेतु अपेक्षित विषयों पर निर्णय लेने के लिये नियमानुसार सूचना—पत्र दिनांक 7 मार्च 2025 को जारी कर विशेष साधारण सभा दिनांक 28 मार्च 2025 को आयोजित की गई।

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रोसराघाटी (एम-पैक्स) का गठन करने हेतु निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के ग्राम तथा परिणामी संस्था के मुख्यालय निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं:-

क्रमांक	प्रभावित संस्था			परिणामी संस्था			
	नाम	कार्यक्षेत्र के नाम	ग्राम पंचायत	नाम	संस्था मुख्यालय	कार्यक्षेत्र के ग्राम	ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	वर्धा बम्होरी	वर्धा बम्होरी, सिंगोटा उमरजिर, बुढ़ा, पाला, चंद्रपुरा, रिमझा, मनकवाड़ा	वर्धा, बम्होरी, मनकवाड़ा	रोसराघाटी	रोसराघाटी	रोसराघाटी, गुंदरई, प्रतापगढ़, बाबलिया, खरौरी, छिरपिपरिया, चिरह	रोसराघाटी

प्रभावित संस्था की विशेष साधारण सभा में संस्था के पुनर्गठन के संबंध में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप 'अ' प्रस्तावित संस्था की जानकारी, प्रारूप 'ब' परिणामी संस्था की जानकारी तथा प्रारूप 'स' संस्था में कार्यरत कर्मचारी एवं संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी अनुमोदित की गई।

विशेष साधारण सभा में प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में संशोधन बाबद निर्णय पारित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 7 के उपनियम 3 अंतर्गत निर्धारित प्रारूप बी/ख, सी/ग एवं डी/घ अनुमोदित किया गया तथा तथा परिणामी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रोसराघाटी की आदर्श उपविधियां अंगीकृत की गई हैं।

विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था के आगामी पांच वर्ष के लिये कार्ययोजना को अनुमोदित कर प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था की लेनदारी एवं देनदारी, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन हेतु अपैक्स बैंक के पत्र क्रमांक-2661, दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टेंडर्ड ऑफरेटिंग प्रोसिजर एसओपी के अनुसार किये जाने का निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्तानुसार आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा दिये गये निर्देशों कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति/कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित जिला सहकारी विकास समिति DCDC एवं अपर कलेक्टर, जिला रायसेन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की उप समिति, ज्वांइट वर्किंग कमेटी JWC की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) एवं 16(5) के अन्तर्गत की गई अध्यापेक्षा के सम्बन्ध में प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, वर्धा बम्होरी की विशेष साधारण सभा दिनांक 28 मार्च 2025 में संस्था के पुनर्गठन की योजना स्वीकृत की जाकर प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किये जाने का निर्णय पारित किया गया है तथा पुनर्गठन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर मेरे मत से प्रभावित संस्था का पुनर्गठन किया जाकर परिणामी संस्था पंजीकृत किया जाना सदस्यों के हित में आवश्यक हो गया है।

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अंतर्गत, जिसकी शक्तियां मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99, पन्द्रह-1-सी 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ छविकांत वाघमारे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्वारा प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, वर्धा बम्होरी पंजीयन क्रमांक-04 दिनांक 20 जनवरी 1960, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन के पुनर्गठन योजना को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता हूँ:-

1. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, वर्धा बम्होरी पंजीयन क्रमांक 04 दिनांक 20 जनवरी 1960 का नाम एवं पंजीयन क्रमांक यथावत् रहेगा। संस्था का मुख्यालय ग्राम वर्धा बम्होरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन रहेगा। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 11(2) के अंतर्गत प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार संशोधन स्वीकृत कर पंजीबद्ध किया जाता है, तदनुसार प्रभावित संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:-

क्रमांक	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम	प्रभावित संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)
1.	वर्धा बम्होरी, सिंगोटा, उमरज़िर, बुढ़ा, पाला, चंद्रपुरा, रिमझा, मनकवाड़ा.	वर्धा, बम्होरी, मनकवाड़ा

2. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रोसराघाटी (एम. पैक्स.) का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 (1) के अंतर्गत स्थीकार किया जाता है, नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रोसराघाटी का पंजीयन क्रमांक DR-RSN-1596, दिनांक 29 अप्रैल 2025 है।

संस्था का मुख्यालय ग्राम रोसराघाटी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन मध्यप्रदेश होगा। संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:-

क्रमांक	परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित ग्राम	ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)
1.	रोसराघाटी, गुंदरई, प्रतापगढ़, बाबलिया, खरैरी, छिरपिपरिया, चिरह.	रोसराघाटी

3. प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, वर्धा बम्होरी की विशेष साधारण सभा में परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रोसराघाटी (एम. पैक्स.) की आदर्श उपविधि अंगीकृत की गई है, जिसे अनुमोदित एवं पंजीबद्ध किया जाता है।

4. नवीन पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रोसराघाटी (एम. पैक्स.) का वर्गीकरण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 के अंतर्गत "संसाधन सोसायटी" के अंतर्गत किया जाता है।

5. प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के पुनर्गठन की कार्यवाही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार की जावें। प्रभावित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, वर्धा बम्होरी (एम. पैक्स.) की विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, सदस्यों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का विभाजन अपैक्स बैंक, भोपाल के पत्र क्रमांक-2661 दिनांक 10 मार्च 2025 से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर (SOP) के अनुसार नियत समय-सीमा में महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायसेन के मार्गदर्शन में पूर्ण किया जावें। उक्त विभाजन के उपरान्त परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रोसराघाटी (एम. पैक्स.) अपना कार्य प्रारंभ करेगी।

6. परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रोसराघाटी (एम. पैक्स.) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि संस्था पर लागू होने वाले अन्य अधिनियम तथा नियमों के अनुबन्धों, शासन एवं शासकीय विभागों/अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अथवा जारी किये जाने वाले परिपत्रों/निर्देशों तथा लगाई गई शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., वर्धा बम्होरी (एम. पैक्स.) के विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय अनुसार परिणामी संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रोसराघाटी (एम. पैक्स.) के लिये प्रभावित संस्था एवं परिणामी संस्था के मध्य लेनदारियों, देनदारियों, कर्मचारियों एवं अन्य मदों का हस्तांतरण होने तक प्रभावित संस्था बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., वर्धा बम्होरी (एम. पैक्स.) के प्रशासक/संचालक मण्डल के मार्गदर्शन में कार्य करेगी तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 34(1) के अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-2486)

छविकांत वाघमारे, उप-पंजीयक।

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 मई 2025—ज्येष्ठ 9, शक 1947

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएँ

(कुछ नहीं)